

# सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 36)

[28 सितम्बर, 2020]

संगठित या असंगठित या किन्हीं अन्य सेक्टरों में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के गिन्न-गिन्न उपबंधों के लिए गिन्न-गिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस संहिता के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार, प्रारंभ और  
लागू होना।

(4) पहली अनुसूची के स्तंभ (1) और स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अध्यायों का लागू होना इस संहिता के अन्य उपबंधों के लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार होगा, जो उस अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी स्थापन के नियोजक द्वारा उसको किए गए आवेदन पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि उस स्थापन का नियोजक और बहुसंख्यक कर्मचारियों ने यह सहमति दे दी है कि अध्याय 3 के उपबंध उस स्थापन को लागू होने चाहिए, तो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अधिसूचना द्वारा ऐसे करार की तारीख से ही या करार में विनिर्दिष्ट किसी पश्चात्पूर्ती तारीख से उस स्थापन को उक्त अध्याय के उपबंध लागू कर सकेगा :

परंतु जहां किसी स्थापन का नियोजक, जिसे इस उपधारा के अधीन अध्याय 3 के उपबंध लागू होते हैं, ऐसे लागू होने से अलग होने की वांछा करता है, वह केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को आवेदन कर सकेगा और यदि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि इसमें नियोजक और बहुसंख्यक कर्मचारियों के बीच इस प्रभाव का कोई करार हो गया है तो वह, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, ऐसे स्थापन को लागू न होने वाले उस अध्याय के उपबंध बनाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार ऐसा करने की अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी स्थापन को, जिसमें कम से कम उतने व्यक्तियों की संख्या नियोजित हैं, जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस संहिता के उपबंधों को लागू कर सकेगी।

(7) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां निगम के महानिदेशक को किसी स्थापन के नियोजक द्वारा उसको किए गए आवेदन पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि उस स्थापन का नियोजक और बहुसंख्यक कर्मकार ने यह सहमति दे दी है कि अध्याय 4 के उपबंध उस स्थापन को लागू होने चाहिए, तो निगम का महानिदेशक, अधिसूचना द्वारा, ऐसे करार की तारीख से ही या करार में विनिर्दिष्ट किसी पश्चात्पूर्ती तारीख से उस स्थापन को उक्त अध्याय के उपबंध लागू कर सकेगा :

परंतु जहां किसी स्थापन का नियोजक जिसे इस उपधारा के अधीन अध्याय 4 के उपबंध लागू होते हैं, ऐसे लागू होने से अलग होने की वांछा करता है, वह निगम के महानिदेशक को आवेदन कर सकेगा और यदि निगम के महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि इसमें नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या के बीच इस प्रभाव का कोई करार हो गया है तो वह, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, ऐसे स्थापन लागू न होने वाले उस अध्याय के उपबंध बनाएगा।

(8) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, कोई स्थापन, जिसको पहली बार में कोई अध्याय लागू होता है, उसके पश्चात् तब भी लागू होता रहेगा, भले ही किसी पश्चात्पूर्ती समय पर उसमें कर्मचारियों की संख्या उस अध्याय के संबंध में पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा से कम हो जाती है।

परिभाषाएं।

2. इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “अभिकर्ता” से जब यह किसी स्थापन के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उस रूप में नियुक्त किया गया हो या नहीं, अभिप्रेत है, जो स्वामी की ओर से कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होते हुए ऐसे स्थापन या उसके भाग के प्रबंध, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निदेशन में भाग लेता है;

(2) “समूहक” से विक्रेता या सेवा प्रदाता से जोड़ने के लिए किसी सेवा के क्रेता या उपयोगकर्ता के लिए कोई डिजिटल मध्यवर्ती या कोई बाजार स्थान अभिप्रेत है;

(3) “समुचित सरकार” से—

(क) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए गए किसी स्थापन या ऐसे किसी नियंत्रित उद्योग के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या मेट्रो रेल सहित रेल, खान, तेल क्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन सेवाएं, दूर-संचार, बैंककारी और बीमा कंपनी या निगम का स्थापन या केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य प्राधिकरण या केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा स्थापित केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम या समनुषंगी कंपनियों या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित प्रधान उपक्रम या स्वशासी निकाय द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियों, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, ऐसे स्थापन के प्रयोजनों के लिए संविदाकारों का स्थापन, निगम या अन्य प्राधिकरण या केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, समनुषंगी कंपनियों या स्वशासी निकाय या कोई ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत संवत्त शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है, या एक से अधिक राज्य में विभागों या शाखाओं वाले किसी स्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार ; और

(ख) किसी अन्य स्थापन के संबंध में, राज्य सरकार अभिप्रेत है।

2002 का 60 **स्पष्टीकरण 1**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए “मेट्रो रेल” पद से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (1) के उपखंड (i) में यथापरिभाषित मेट्रो रेल अभिप्रेत है।

**स्पष्टीकरण 2**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, इस सहिता के प्रारंभ के पश्चात् उस पब्लिक सेक्टर उपक्रम में केन्द्रीय सरकार की धृति साधारण शेयर में पचास प्रतिशत से कम होने पर भी, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए समुचित सरकार के रूप में बनी रहेगी ;

(4) “श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति” से भारत में पूर्णतः या भागतः प्रस्तुत श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत—

(i) व्यंग चित्रकारी, कार्टून चित्रण, श्रव्य-दृश्य विज्ञापन ;

(ii) डिजिटल प्रस्तुति या उसके बनाने के संबंध में कोई भी क्रियाकलाप है ;  
और

(iii) फीचर फिल्में, गैर-फीचर फिल्में, टेलीविजन, वेब आधारित सीरियल, टाक शो, रियलिटी शो और खेल संबंधी शो भी हैं ;

(5) “प्राधिकृत अधिकारी” से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है ;

(6) “भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य” से भवनों के संबंध में सन्निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, रखरखाव या विध्वंस, गलियां, सड़क, रेलमार्ग, ट्राम, हवाई क्षेत्र, सिंचाई, जल निकास, तटबंध और नौ चालन संकर्म, बाढ़ नियंत्रण संकर्म (जिसके अंतर्गत तूफानी जल का जल निकास संकर्म भी है), विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, जल संकर्म (जिसके अंतर्गत जल वितरण के लिए सरणियां भी हैं), तेल और गैस संस्थापन, विद्युत लाइन, इंटरनेट टावर, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, दूरभाष, तार और विदेशी संचार, बांध, नहर, जलाशय, जलमार्ग, सुरंग, पुल, सेतु, जल नलिका, नल, टावर, शीतलन टावर, पारेषण टावर और ऐसा अन्य कार्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य नहीं है, जो पूर्ववर्ती बारह मास में दस से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाले किसी कारखाने या खान या किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित है या जहां ऐसा कार्य किसी व्यक्ति

या व्यक्तियों के समूह के, उनके अपने आवास हेतु, अपने ही आवासीय प्रयोजनों से संबंधित है और ऐसे कार्य की कुल लागत पचास लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से अनधिक है और उसमें उतनी संख्या से अधिक कर्मकार नियोजित हैं जितने समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ;

(7) “भवन निर्माण कर्मकार” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में, जो भाड़े पर या पारितोषिक के लिए, चाहे ऐसे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित हों, कोई कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल, शारीरिक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी या प्रशासनिक हैसियत में मुख्यतया नियोजित किया गया है ;

(8) “भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड” से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(9) “कैरियर केंद्र” से ऐसी कैरियर सेवाएं (जिनके अंतर्गत या तो रजिस्टर रखकर या अन्यथा शारीरिक रूप से, डिजिटल रूप में, परोक्ष रूप से या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से सूचना का रजिस्ट्रीकरण संग्रहण और उसको दिया जाना भी है), प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में स्थापित और अनुरक्षित कोई भी कार्यालय (जिसके अंतर्गत रोजगार कार्यालय, स्थान या पोर्टल भी हैं) जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, साधारणतया या विनिर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित से संबंधित है—

(i) ऐसे व्यक्तियों से, जो कर्मचारियों को नियोजित करना चाहते हैं;

(ii) ऐसे व्यक्तियों से, जो नियोजन चाहते हैं ;

(iii) रिक्तियों के होने से ; और

(iv) ऐसे व्यक्तियों, जो व्यवसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श या स्वनियोजन आरंभ करने के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं ;

(10) “केंद्रीय बोर्ड” से धारा 4 के अधीन गठित कर्मचारी भविष्य निधि न्यासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(11) “केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त” से धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय बोर्ड का केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अभिप्रेत है ;

(12) “बालक” के अंतर्गत अध्याय 6 के प्रयोजन के लिए मृतजात बालक भी है ;

(13) “कमीशनिंग माता” से ऐसी जैविक माता अभिप्रेत है, जो किसी अन्य स्त्री में प्रविष्ट किए गए किसी भ्रूण को पैदा करने के लिए अपने अंडे का उपयोग करती है ;

2013 का 18

(14) “कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ;

(15) “प्रतिकर” से अध्याय 7 के अधीन यथा उपबंधित प्रतिकर अभिप्रेत है ;

(16) “सक्षम प्राधिकारी” से, यथास्थिति, समुचित सरकार या राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में, यथास्थिति, अध्याय 5 के प्रयोजनों के लिए धारा 58 के अधीन नियुक्त या अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित या अध्याय 8 के प्रयोजनों के लिए धारा 91 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(17) “सेवा का संपूरित वर्ष” से बारह मास की निरंतर सेवा अभिप्रेत है;

(18) “प्रसवावस्था” से अभिप्रेत है ऐसी प्रसववेदना जिसके परिणामस्वरूप जीवित बालक पैदा हो या गर्भधारण के छब्बीस सप्ताह के पश्चात् प्रसववेदना जिसके परिणामस्वरूप कोई जीवित या मृत बालक पैदा हो ;

(19) “संविदा श्रमिक” से ऐसा कर्मकार अभिप्रेत है, जो किसी स्थापन में या स्थापन के कार्य के संबंध में नियोजित किया गया समझा जाएगा, जब उसे प्रधान नियोजक की जानकारी में या उसकी जानकारी के बिना किसी संविदाकार द्वारा या उसके माध्यम से ऐसे कार्य के संबंध में भाड़े पर लगाया जाता है और इसके अंतर्गत अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार भी आता है किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा कर्मचारी (अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न) नहीं आता है, जो संविदाकार द्वारा उसके स्थापन के किसी क्रियाकलाप के लिए नियमित रूप से नियोजित किया जाता है और उसके नियोजन की शर्तों के पारस्परिक रूप से सहमत मानकों द्वारा शासित होता है (जिसके अंतर्गत स्थायी आधार पर विनियोजन भी है) और जो वेतन में सावधिक वेतनवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कवरेज और ऐसे नियोजन में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार अन्य कल्याणकारी फायदे प्राप्त करता है ;

(20) “संविदाकार” से किसी स्थापन के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

(i) संविदा श्रमिक के माध्यम से ऐसे स्थापन को विनिर्माण के माल या वस्तुओं की केवल पूर्ति से भिन्न स्थापन के लिए निश्चित परिणाम का वचन देता है; या

(ii) स्थापन के किसी कार्य के लिए केवल मानव संसाधन के रूप में संविदा श्रमिक की पूर्ति करता है और इसके अंतर्गत कोई उप संविदाकार भी है;

(21) “अभिदाय” से इस संहिता के अधीन नियोजक द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय न्यासी बोर्ड को और निगम को, संदेय धनराशि अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी द्वारा या उसकी और से संदेय कोई रकम भी है ;

(22) “निगम” से धारा 5 के अधीन गठित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अभिप्रेत है ;

(23) “प्रसव” से किसी बालक का जन्म अभिप्रेत है ;

(24) “आश्रित” से मृतक कर्मचारी के निम्नलिखित में से कोई भी नातेदार अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(क) कोई विधवा, कोई अवयस्क धर्मज या दत्तक पुत्र, कोई अविवाहित धर्मज या दत्तक पुत्री या कोई विधवा माता :

परंतु अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए धर्मज दत्तक पुत्र, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, मृतक कर्मचारी का आश्रित होगा;

(ख) यदि कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्णतः आश्रित हो, तो कोई धर्मज या दत्तक पुत्र या कोई पुत्री, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो शिथिलांग है ; अध्याय 4 के प्रयोजनों के सिवाय, जिसमें इस उपखंड में आने वाले “अठारह” शब्द के स्थान पर “पच्चीस” शब्द रखा गया समझा जाएगा;

(ग) यदि कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्णतः या भागतः आश्रित हो, तो—

(i) कोई विधुर ;

(ii) किसी विधवा माता से भिन्न कोई माता—पिता ;

(iii) कोई अवयस्क अधर्मज पुत्र, कोई अविवाहित अधर्मज पुत्री या कोई

धर्मज या अधर्मज या दत्तक पुत्री, यदि विवाहित है और अवयस्क है या यदि विधवा है और अवयस्क है ;

(iv) कोई अवयस्क भाई या कोई अविवाहित बहन या कोई विधवा बहन, यदि अवयस्क हो ;

(v) कोई विधवा पुत्रवधू ;

(vi) किसी पूर्व मृत पुत्र का कोई अवयस्क बालक ;

(vii) किसी पूर्व मृत पुत्री का कोई अवयस्क बालक, जहां बालक के माता-पिता जीवित न हो ; या

(viii) कोई पितामह-पितामही, यदि कर्मचारी के माता-पिता जीवित न हों।

**स्पष्टीकरण**—उपखंड (ख) और उपखंड (ग) की मद (vi) और मद (vii) के प्रयोजनों के लिए किसी पुत्र, पुत्री या बालक के प्रतिनिर्देश के अंतर्गत क्रमशः कोई दत्तक पुत्र, पुत्री या बालक भी हैं ;

(25) “डॉक-कार्य” से किसी पत्न के सामीप्य में या उसके आसपास पोट या अन्य जलयान, पत्न, डॉक, भंडारण स्थान या माल उतराई स्थान में या उससे स्थौरा की लदाई, माल उतराई, संचलन या भंडारण के संबंध में या उसके लिए अपेक्षित या उसके आनुषंगिक कोई कार्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है,—

(i) स्थौरा या प्रस्थान पत्न की प्राप्ति या अवतारणा के लिए पोतों या अन्य जलयानों की तैयारी के संबंध में कार्य ;

(ii) पोत के फलक पर या डॉक में किसी पेटा, टैंक संरचना या उत्पाकक मशीनरी या किसी अन्य भंडारण क्षेत्र से संबंधित सभी मरम्मतकारी और रखरखाव प्रक्रियाएं ; और

(iii) पोत के फलक पर या डॉक में किसी पेटा, टैंक संरचना या उत्पाकक मशीनरी या किसी अन्य भंडारण क्षेत्र में चिप्पी लगाना, रंग-रोगन करना या उसे साफ करना ;

(26) “कर्मचारी” से कोई ऐसा व्यक्ति (शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन लगाए गए किसी शिक्षु से भिन्न) अभिप्रेत है जो किसी स्थापन द्वारा सीधे या संविदाकार के माध्यम से किसी कुशल, अर्ध कुशल या अकुशल, शारीरिक, प्रचालनात्मक, पर्यवेक्षणीय, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी, लिपिकीय या कोई अन्य कार्य करने के लिए मजदूरी पर नियोजित है चाहे ऐसे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित हों और इसके अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा किसी व्यक्ति का कर्मचारी होना घोषित किया जाना भी है किन्तु इसके अंतर्गत संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य नहीं है :

1961 का 52

परंतु कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम और अध्याय 4 की दशा में के सिवाय, अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए “कर्मचारी” पद से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा क्रमशः उन अध्यायों के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचित मजदूरी की अधिकतम सीमा से कम या उसके बराबर मजदूरी लेता है और इसके अंतर्गत ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग भी है, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा कर्मचारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि किसी स्थापन को, यथास्थिति, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन लाने हेतु कर्मचारियों की गणना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर्मचारियों जिनकी

मजदूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित मजदूरी की अधिकतम सीमा से अधिक है, को भी हिसाब में लिया जाएगा :

परंतु यह भी कि अध्याय 7 के प्रयोजनों के लिए "कर्मचारी" पद से केवल ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत होंगे, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हों और ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग होगा, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस सरकार के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा उक्त अनुसूची में सम्मिलित करे ;

(27) "नियोजक" से कोई ऐसा व्यक्ति, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी व्यक्ति के माध्यम से या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से अपने स्थापन में एक या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करता है, अभिप्रेत है और जहां स्थापन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाया जाता है, वहां इस निमित्त ऐसे विभाग के अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या जहां इस प्रकार कोई प्राधिकारी विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, वहां विभागाध्यक्ष और किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जाने वाले किसी स्थापन के संबंध में उस प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो कोई कारखाना है, कारखाने का अधिभोगी ;

(ख) किसी खान के संबंध में, खान का स्वामी या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपेक्षित अर्हता रखने वाला तथा उस रूप में खान के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा नियुक्त अभिकर्ता या प्रबंधक ;

(ग) किसी अन्यत्र स्थापन के संबंध में, वह व्यक्ति या वह प्राधिकरण, जो स्थापन के कार्यकलापों पर अंतिम नियंत्रण रखता है और जहां उक्त कार्यकलाप किसी प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को न्यस्त कर दिए जाते हैं, वहां ऐसा प्रबंधक या प्रबंध निदेशक;

(घ) संविदाकार ; और

(ङ) किसी मृतक नियोजक का विधिक प्रतिनिधि ;

(28) "नियोजन-क्षति" से किसी कर्मचारी को, अपने नियोजन से होने वाली या उसके दौरान हुई, यथास्थिति, दुर्घटना से या उपजीविकाजन्य रोग से कारित कोई वैयक्तिक क्षति अभिप्रेत है,—

(i) अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए, यदि कर्मचारी धारा 28 के अधीन बीमाकृत या बीमायोग्य कर्मचारी है चाहे वह दुर्घटना या उपजीविकाजन्य रोग, भारत की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर हुई हो या बाहर लगा हो ; और

(ii) अध्याय 7 के प्रयोजनों के लिए चाहे ऐसी दुर्घटना या उपजीविकाजन्य रोग का होना भारत की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर हुई हो या बाहर लगा हो ;

(29) "स्थापन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) कोई स्थान, जहां कोई उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उपजीविका चलाई जाती है ;

(ख) कोई कारखाना, कोई मोटर परिवहन उपक्रम, कोई समाचार पत्र स्थापन, कोई श्रवण-दृश्य प्रस्तुति, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य या कोई बागान ; या

(ग) कोई खान, पत्तन या पत्तन का सामीप्य क्षेत्र जहां डॉक कार्य किया जाता है ;

**स्पष्टीकरण—**अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए जहां किसी स्थापन में भिन्न-भिन्न विभाग या शाखाएं हैं, चाहे वे एक ही स्थान पर हो या भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित हों, सभी ऐसे विभागों या शाखाओं को उसी स्थापन का भागरूप समझा जाएगा ;

(30) “कार्यपालक अधिकारी” से समुचित सरकार का ऐसा अधिकारी, जो अध्याय 13 के प्रयोजनों के लिए उस सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए या उस अध्याय के अधीन ऐसे कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(31) “छूट प्राप्त कर्मचारी” से अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसको धारा 15 में निर्दिष्ट स्कीमों में से कोई भी स्कीम यदि इस संहिता के अधीन प्रदत्त छूट न मिली होती, लागू होती और अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जिसकी मजदूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और जो कर्मचारी के अभिदाय का संदाय करने का दायी नहीं है ;

(32) “कारखाना” से अभिप्रेत है कोई ऐसा परिसर जिसके अन्तर्गत उसकी परिसीमाएं भी हैं, जिसमें—

(क) दस या अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है या सामान्यतः इस प्रकार की जाती है ; या

(ख) बीस या अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है या सामान्यतः इस प्रकार की जाती है,

किन्तु इसके अंतर्गत कोई खान या संघ के सशस्त्र बल की चल यूनिट या रेल इंजन शेड या कोई होटल, उपाहारगृह या भोजनालय नहीं आते हैं।

**स्पष्टीकरण 1—**इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारियों की संख्या की संगणना करने के लिए किसी दिन (विभिन्न समूहों और टोलियों) के सभी कर्मचारियों को हिसाब में लिया जाएगा।

**स्पष्टीकरण 2—**इस खंड के प्रयोजनों के लिए, केवल यह तथ्य कि किसी परिसर या उसके किसी भाग में कोई इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण यूनिट या कोई कम्प्यूटर यूनिट संस्थापित की गई है, का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह कारखाना है, यदि ऐसे परिसर या उसके भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जा रही है ;

(33) “कुटुम्ब” से, यथास्थिति, किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार के निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई नातेदार अभिप्रेत हैं, अर्थात् :—

(क) पति या पत्नी ;

(ख) अवयस्क धर्मज या दत्तक बालक, जो, यथास्थिति, किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार का आश्रित हो ;

(ग) कोई बालक, जो, यथास्थिति, किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार के उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित हो और जो—

(i) शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, तब तक जब तक वह इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले ; और

(ii) कोई अविवाहिता पुत्री ;

(घ) ऐसी संतान, जो शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यता या क्षति के कारण शिथिलांग है और, यथास्थिति, किसी कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार के उपार्जनो पर पूर्णतः आश्रित है, तब तक जब तक अंग शैथिल्य बना रहता है ;

(ङ) आश्रित माता-पिता (जिसके अंतर्गत किसी महिला कर्मचारी के सास-श्वसुर भी हैं) जिनकी सभी स्रोतों से आय ऐसी आय से अधिक नहीं है जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(च) यदि, यथास्थिति, कोई कर्मचारी या किसी असंगठित कर्मकार अविवाहित है और उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जनो पर पूर्ण रूप से आश्रित अवयस्क भाई या बहिन ;

(34) “नियत अवधि नियोजन” से किसी नियत अवधि के लिए नियोजन की किसी लिखित संविदा के आधार पर किसी कर्मकार को नियोजित करना अभिप्रेत है :

परंतु—

(क) उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य फायदे, वही कार्य या उसी प्रकृति का कार्य करने वाले किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे ; और

(ख) वह, उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, स्थायी कर्मचारी को उपलब्ध सभी फायदों के लिए पात्र होगा, चाहे उसके नियोजन की अवधि नियोजन की अपेक्षित अर्हक अवधि तक की नहीं भी हो ;

(35) “गिग कर्मकार” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्य के इंतजाम में कार्य करता है या भाग लेता है और पारंपरिक नियोजक-कर्मचारी संबंधों से अलग ऐसे क्रियाकलापों से उपार्जन करता है;

(36) “आस्थानी कर्मकार” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी नियोजक के लिए अपने गृह में या नियोजक के कार्य स्थल से भिन्न अपनी इच्छा के किसी इच्छित किसी अन्य परिसर में पारिश्रमिक के लिए इस बात का विचार किए बिना कि नियोजक उसे उपस्कर, सामग्री या अन्य इनपुट उपलब्ध कराता है या नहीं, माल के उत्पादन और सेवाओं में लगा हुआ है;

(37) “निरीक्षक-सह-सुकारक” से धारा 122 के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षक-सह-सुकारक अभिप्रेत है ;

(38) “बीमा निधि” से धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन स्थापित डिपाजिट-लिंकड बीमा निधि अभिप्रेत है ;

(39) “बीमाकृत व्यक्ति” से धारा 28 में निर्दिष्ट बीमाकृत व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(40) “बीमा स्कीम” से धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन विरचित डिपाजिट-लिंकड बीमा स्कीम अभिप्रेत है ;

(41) “अन्तरराज्यीय प्रवासी कर्मकार” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थापन में नियोजित है और नियोजन के लिए किसी करार या अन्या ठहराव के अधीन—

(i) जो किसी अन्य राज्य में स्थित ऐसे स्थापन में नियोजन के लिए नियोजक द्वारा सीधे या एक राज्य में संविदाकार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया गया है ; या

(ii) जो एक राज्य से स्वयं आया है और दूसरे राज्य के किसी स्थापन में नियोजन अभिप्राप्त किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् गंतव्य राज्य कहा गया है) या जिसने तत्पश्चात् गंतव्य राज्य के भीतर स्थापन में परिवर्तन किया है,

और जो अठारह हजार रुपए से अनधिक या ऐसी उच्चतर रकम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, की मजदूरी प्राप्त करता है ;

(42) “विनिर्माण प्रक्रिया” से अभिप्रेत है—

(i) किसी वस्तु या पदार्थ का उसके प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण, परिवर्तन, परिसज्जन, मरम्मत, अलंकरण, स्नेहन, धुलाई, सफाई, विघटन, विध्वंस, परिष्करण या अन्यथा या अनुकूलन अभिक्रिया करने के लिए कोई प्रक्रिया ; या

(ii) तेल, जल, मल या किसी अन्य पदार्थ को पंप करने के लिए कोई प्रक्रिया; या

(iii) शक्ति का उत्पादन, रूपांतरण या पारेषित करने के लिए कोई प्रक्रिया ; या

(iv) कम्पोज करने अनुचित्रित मुद्रण, लेटर प्रेस द्वारा मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटोग्रेव्यूर स्क्रीन मुद्रण, तीन या चार आयामी मुद्रण, फोटो टाइपिंग, फ्लेक्सोग्राफी या अन्य प्रकार की मुद्रण प्रक्रिया या जिल्दबन्दी के लिए कोई प्रक्रिया ; या

(v) पोतों या जलयानों के सन्निर्माण, पुनःसन्निर्माण, उसकी मरम्मत करने, उसकी पुनःफिटिंग करने, उसकी परिसज्जा करने या विघटित करने के लिए कोई प्रक्रिया ; या

(vi) किसी वस्तु के शीतागार में परिरक्षण या भंडारण के लिए कोई प्रक्रिया ; या

(vii) ऐसे अन्य क्रियाकलाप, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे ;

(43) अध्याय 4 के संबंध में “प्रसूति प्रसुविधा” से धारा 60 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय अभिप्रेत है;

(44) “चिकित्सा व्यवसायी” से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अर्हित होना घोषित किया जाए, अभिप्रेत है :

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हता रखने वाले चिकित्सा व्यवसायी के विभिन्न वर्ग या वर्गों को इस संहिता के अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा और अन्य अध्यायों के लिए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा ;

(45) “गर्भ का चिकित्सीय समापन” से गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 का 34 1971 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय गर्भ का समापन अभिप्रेत है;

(46) “खान” का वही अर्थ है जो खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा 1952 का 35 (1) के खंड (य) में उसका है ;

(47) “अवयस्क” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है ;

(48) “गर्भपात” से गर्भावस्था के छब्बीस सप्ताह के पहले या उसके दौरान की किसी अवधि में सगर्भ गर्भाशय की अंतर्वस्तुओं का निष्कासन अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा गर्भपात नहीं आता, जिसका कारित किया जाना भारतीय दंड संहिता के अधीन 1860 का 52 दंडनीय है ;

(49) "राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन गठित असंगठित कर्मचारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अभिप्रेत है ;

(50) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित किया जाना" पद का अर्थान्वयन इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित तदनुसार किया जाएगा ;

(51) "उपजीविकाजन्य रोग" से तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा रोग अभिप्रेत है, जो कर्मचारी के नियोजन के लिए विशिष्ट रोग के रूप में है;

(52) किसी कारखाने के संबंध में "अधिभोगी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कारखाने के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण रखता है :

परंतु—

(क) किसी फर्म या व्यष्टियों के किसी अन्य संगम की दशा में उसका कोई एक व्यष्टिक, भागीदार या सदस्य ;

2013 का 18

(ख) किसी कंपनी की दशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अर्थात्गत किसी स्वतंत्र निदेशक के सिवाय निदेशकों में से कोई एक निदेशक ;

(ग) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कारखाने की दशा में, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा, जो केंद्रीय सरकार विहित करे, कारखाने के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति,

अधिभोगी समझे जाएंगे :

परंतु यह और कि किसी ऐसे पोट की दशा में, जिसकी किसी शुष्क डॉक में मरम्मत की जा रही है या जिस पर रखरखाव का कार्य किया जा रहा है, जो भाड़े के लिए उपलब्ध है, वहां डॉक के स्वामी को सभी प्रयोजनों के लिए अधिभोगी उन मामलों के सिवाय, समझा जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, जो प्रत्यक्ष रूप से उस पोट की स्थिति से संबंधित हैं, जिसके लिए पोट का स्वामी अधिभोगी समझा जाएगा ;

1948 का 53

(53) "तेल क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 3 के खंड (ड) में उसका है ;

(54) "संगठित क्षेत्र" से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है, जो असंगठित क्षेत्र नहीं है ;

(55) "स्थायी आंशिक निःशक्तता" से जहां निःशक्तता स्थायी प्रकृति की है, ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, जो किसी कर्मचारी की प्रत्येक नियोजन में उपार्जन सामर्थ्य को कम कर देती है, जिसे ग्रहण करने के लिए वह दुर्घटना के समय जिसके परिणामस्वरूप वह निःशक्तता हुई, समर्थ था :

परंतु चौथी अनुसूची के भाग में विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्षति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक्तता होती है ;

(56) "स्थायी पूर्ण निःशक्तता" से स्थायी प्रकृति की ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, जो किसी कर्मचारी को ऐसे समस्त कार्य के लिए असमर्थ बना देती है, जिसे वह दुर्घटना के समय जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई, करने में समर्थ था :

परंतु चौथी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्षति के या उसके भाग 2 में विनिर्दिष्ट क्षतियों के किसी समुच्चय के बारे में जहां उपार्जन सामर्थ्य की हानि का संकलित

प्रतिशत उक्त भाग 2 में उन क्षतियों के सामने विनिर्दिष्ट है एक सौ प्रतिशत या उससे अधिक होता है, वहां यह समझा जाएगा कि उसके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण निःशक्तता हुई है ;

(57) “पेंशन निधि” से धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन स्थापित पेंशन निधि अभिप्रेत है ;

(58) “पेंशन स्कीम” से धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन विरचित कर्मचारी पेंशन स्कीम अभिप्रेत है ;

(59) “बागान” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) निम्नलिखित के लिए उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई भूमि—

(i) चाय, काफी, रबड़, सिंकोना या इलायची उगाना, जिसका आकार पांच हेक्टेयर या उससे अधिक है ;

(ii) कोई अन्य पौधा उगाना, जिसका आकार पांच हेक्टेयर या उससे अधिक है और जिसमें दस या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन नियोजित थे, यदि केंद्रीय सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा निदेश दे।

**स्पष्टीकरण**—यदि इस उपखंड में निर्दिष्ट किसी पौधे को उगाने के लिए उपयोग किया गया किसी भूखंड का आकार पांच हेक्टेयर से कम है और वह इस प्रकार उपयोग नहीं किए गए किसी अन्य भूखंड का भाग है, किन्तु इस प्रकार उपयोग किए जाने के योग्य हैं और ऐसे दोनों भूखंड उसी नियोजक के प्रबंध के अधीन हैं, तो इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए पहले वर्णित भूखंड को बागान तब समझा जाएगा, जब ऐसे दोनों भूखंडों का आकार पांच हेक्टेयर या उससे अधिक है ;

(ख) कोई भी भूमि, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे और जिसका उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी पौधे के उगाए जाने के लिए उपयोग किया गया हो या उपयोग किया जाना आशयित हो, इस बात के होते हुए भी कि उसका आकार पांच हेक्टेयर से कम है :

परंतु ऐसी भूमि के संबंध में, जिसका आकार इस संहिता के प्रारंभ से ठीक पहले पांच हेक्टेयर से कम है, ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाएगी ; और

(ग) कार्यालय, अस्पताल, औषधालय, विद्यालय और उपखंड (क), उपखंड (ख) के अर्थात्गत किसी बागान से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कोई अन्य परिसर; किन्तु इसके अंतर्गत परिसर में कारखाना नहीं है ;

(60) “प्लेटफार्म कार्य” से पारंपरिक नियोजक – कर्मचारी संबंध से बाहर कार्य का इंतजाम अभिप्रेत है, जिसमें संगठन या व्यक्ति अन्य संगठनों या व्यष्टियों तक किसी आनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से विनिर्दिष्ट समस्याओं का समाधान करने की पहुंच रखते हैं या विनिर्दिष्ट सेवाएं या कोई ऐसे अन्य क्रियाकलाप उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा संदाय के विनिमय के लिए अधिसूचित किया जाए ;

(61) “प्लेटफार्म कर्मकार” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्लेटफार्म कार्य में लगा है या कार्य करता है ;

(62) “पत्तन” का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खंड (4) में उसका है ;

(63) "भविष्य निधि" से धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि अभिप्रेत है ;

(64) "भविष्य निधि स्कीम" से धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विरचित कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम अभिप्रेत है ;

(65) "विहित" से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया गया अभिप्रेत है ;

1989 का 24

(66) "रेल" का वही अर्थ है जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (31) में उसका है ;

(67) "रेल कंपनी" के अंतर्गत कोई भी ऐसे व्यक्ति आते हैं, चाहे वे निगमित हो या नहीं, जो रेल के स्वामी या पट्टेदार या रेल में काम करने के लिए किसी करार के पक्षकार हैं ;

(68) "वसूली अधिकारी" से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय बोर्ड या निगम का कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संहिता के अधीन वसूली अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए;

(69) "विनियम" से इस संहिता के अधीन निगम द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(70) "सेवानिवृत्ति" से किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता से भिन्न सेवा की समाप्ति अभिप्रेत है ;

1976 का 11

(71) "विक्रय संवर्धन कर्मचारी" से विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित विक्रय संवर्धन कर्मचारी अभिप्रेत है ;

(72) "अनुसूची" से इस संहिता की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(73) "नाविक" से किसी पोत के कर्मी दल का भागरूप होने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत पोत का मास्टर नहीं है ;

(74) "मौसमी कारखाना" से ऐसा कारखाना अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित विनिर्माण प्रक्रियाओं में इंतजाम से किसी एक या अधिक अनन्य रूप से लगा हुआ है, अर्थात्, कपास ओटना, कपास या जूट की दबाई, मूंगफली की छिलाई, नील, लाख, चीनी (जिसके अंतर्गत गुड़ भी है) का विनिर्माण या कोई ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया जो पूर्वोक्त प्रक्रियाओं में से किसी प्रक्रिया के आनुषंगिक है या उससे संबंधित है और इसके अंतर्गत ऐसा कारखाना भी है, जो एक वर्ष में सात मास से अनधिक अवधि के लिए किसी ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया में लगा हुआ है, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(75) "स्वनियोजित कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी नियोजक द्वारा नियोजित नहीं है किन्तु जो असंगठित सेक्टर में किसी उपजीविका में स्वयं को मासिक रूप से ऐसी रकम अर्जित करने के अधीन रहते हुए लगा हुआ है, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, या जो ऐसी अधिकतम सीमा के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, कृषि योग्य भूमि धारण करता है ;

(76) किसी राज्य के संबंध में "दुकान" से दुकान से संबंधित और उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में यथा परिभाषित दुकान अभिप्रेत है ;

(77) “बीमारी” से ऐसी दशा अभिप्रेत है, जिसमें चिकित्सीय उपचार और चिकित्सीय परिचर्या की अपेक्षा की जाती है तथा जिसके कारण चिकित्सीय आधारों पर कार्य से प्रविरति आवश्यक हो जाती है ;

(78) “सामाजिक सुरक्षा” से किसी कर्मचारी, असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार और प्लेटफार्म कर्मकार के लिए स्वास्थ्य देखरेख तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और इस संहिता के अधीन उनको प्रदत्त अधिकारों और विरचित स्कीमों के माध्यम से विशिष्टता वृद्धावस्था, बेरोजगारी, रुग्णता, अविधिमान्यता, कार्य-क्षति, प्रसूति या कमाने वाले की हानि के मामलों में आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध संरक्षण के उपाय अभिप्रेत हैं ;

(79) “सामाजिक सुरक्षा संगठन” से इस संहिता के अधीन स्थापित निम्नलिखित में कोई संगठन अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(क) धारा 4 के अधीन गठित केंद्रीय कर्मचारी भविष्य-निधि न्यासी बोर्ड ;

(ख) धारा 5 के अधीन गठित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ;

(ग) धारा 6 के अधीन गठित राष्ट्रीय असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ;

(घ) धारा 6 के अधीन गठित राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ;

(ङ) धारा 7 के अधीन गठित राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा संगठन के रूप में घोषित कोई अन्य संगठन या विशेष प्रयोजन यान ;

(80) “राज्य सरकार” के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ; और

(ख) बिना विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन उसका प्रशासक के रूप में नियुक्त प्रशासक ;

(81) “राज्य असंगठित कर्मकार” बोर्ड से धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन गठित राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अभिप्रेत है ;

(82) किसी कर्मचारी के संबंध में “अधिवर्षिता” से कर्मचारी द्वारा ऐसी आयु की प्राप्ति अभिप्रेत है, जो सेवा की संविदा या शर्तों में ऐसी आयु अटावन वर्ष के रूप में नियत की गई है, जिसकी प्राप्ति पर कर्मचारी नियोजन रिक्त कर देगा :

परंतु अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए अधिवर्षिता की आयु अटावन वर्ष होगी ;

(83) “अस्थायी निःशक्तता” से किसी नियोजन क्षति के परिणामस्वरूप हुई कोई ऐसी दशा अभिप्रेत है, जिसमें चिकित्सा उपचार अपेक्षित है और जिससे कोई कर्मचारी ऐसा कार्य करने के लिए ऐसी क्षति के परिणामस्वरूप अस्थायी रूप से असमर्थ है, जो वह उस क्षति से पहले या उस क्षति के समय कर रहा था ;

(84) “अधिकरण” से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7क के अधीन समुचित सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है ; 1947 का 14

(85) “असंगठित सेक्टर” से व्यष्टियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय में या सेवा प्रदान करने में लगा हुआ उद्यम अभिप्रेत है और जहां उद्यम में कर्मकार नियोजित किए जाते हैं, वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से कम है ;

1947 का 14

(86) “असंगठित कर्मकार” से असंगठित सेक्टर में आस्थानी कर्मकार, स्वनियोजित कर्मकार या कोई मजदूरी कर्मकार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संगठित सेक्टर में ऐसा कर्मकार भी आता है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या इस संहिता के अध्याय 3 से अध्याय 7 के अंतर्गत नहीं आता है;

(87) “रिक्ति” से अध्याय 13 के प्रयोजनों के लिए, किसी पद में किसी व्यक्ति को नियोजित करने के प्रयोजन के लिए और पारिश्रमिक वाले किसी काडर या उपजीविका में कोई खाली पद अभिप्रेत है (जिसके अंतर्गत नया सृजित पद, प्रशिक्षु का पद, शिक्षु के माध्यम से भरा गया पद या किसी स्थापन में किसी अन्य माध्यम से सृजित कोई खाली पद भी है) ;

(88) “मजदूरी” से धन के रूप में अभिव्यक्त हो या इस प्रकार अभिव्यक्त हो सकने वाला वह समस्त पारिश्रमिक, चाहे वह वेतन या भत्तों के रूप में हो या अन्यथा, अभिप्रेत है, जो किसी नियोजित व्यक्ति को, यदि नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों की पूर्ति हो गई होती तो, उसके नियोजन की बाबत या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बाबत उसे संदेय होता, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है,—

(क) मूल वेतन ;

(ख) महंगाई भत्ता ;

(ग) प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो,

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेय कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं है ;

(ख) किसी गृहवास सुविधा का या रोशनी, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय का या समुचित सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की संगणना से अपवर्जित किसी सेवा का मूल्य ;

(ग) किसी पेंशन या भविष्य-निधि में नियोजक द्वारा संदत्त कोई अभिदाय और ब्याज जो उस पर प्रोद्भूत हुआ हो ;

(घ) कोई वाहन भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य ;

(ङ) किसी नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन की प्रकृति द्वारा उस पर विशेष व्यय को चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि ;

(च) मकान किराया भत्ता ;

(छ) पक्षकारों के बीच किसी अधिनिर्णय या समझौता या किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश के अधीन संदेय पारिश्रमिक ;

(ज) कोई अतिकाल भत्ता ;

(झ) कर्मचारी को संदेय कोई कमीशन ;

(ञ) नियोजन के पर्यवसान पर संदेय कोई भी उपदान ; या

(ट) कर्मचारी को संदेय कोई छंटनी प्रतिकर या अन्य सेवानिवृत्ति फायदा या नियोजन के पर्यवसान पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे किया गया कोई अनुगृहपूर्वक संदाय :

परंतु इस खंड के अधीन मजदूरी की संगणना करने के लिए, यदि नियोजक द्वारा कर्मचारी को उपखंड (क) से (झ) के अधीन किए गए संदाय इस खंड के अधीन संगणित समस्त पारिश्रमिक के आधे या ऐसा प्रतिशत, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, से अधिक होता है तो ऐसी रकम, जो ऐसी आधी रकम या इस प्रकार अधिसूचित प्रतिशत से अधिक होती है, को पारिश्रमिक समझा जाएगा और तदनुसार उसे इस खंड के अधीन मजदूरी में जोड़ा जाएगा :

परंतु यह और कि सभी स्त्री—पुरुषों के लिए समान मजदूरी के प्रयोजन के लिए और मजदूरी के संदाय के प्रयोजन के लिए उपखंड (घ), उपखंड (च), उपखंड (छ) और उपखंड (ज) में विनिर्दिष्ट परिलब्धियों को मजदूरी की संगणना के लिए लिया जाएगा।

**स्पष्टीकरण**—जहां किसी कर्मचारी को उसे संदेय संपूर्ण या भाग मजदूरी के बदले में कोई पारिश्रमिक उसके नियोजक द्वारा पूर्णतः या भागतः वस्तु के रूप में दिया जाता है, तो वस्तु के रूप में ऐसे पारिश्रमिक का मूल्य, जो उसको संदेय कुल मजदूरी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, को ऐसे कर्मचारी की मजदूरी का एक भाग समझा जाएगा।

(89) “मजदूरी की अधिकतम सीमा” से मजदूरी की ऐसी रकम अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन सदस्य बनने के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित की जाए ;

(90) “मजदूरी कर्मकार” से असंगठित सेक्टर में पारिश्रमिक के लिए नियोजित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी नियोजक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या किसी संविदाकार के माध्यम से कार्य स्थल को विचार में लाए बिना, चाहे अनन्य रूप से एक नियोजक के लिए या एक से अधिक नियोजकों के लिए, चाहे नकद में या वस्तु रूप में पारिश्रमिक के लिए, चाहे गृह आधारित कर्मकार के रूप में या अस्थायी या आकस्मिक कर्मकार के रूप में या प्रवासी कर्मकार के रूप में या गृहस्थियों द्वारा नियोजित कर्मकार के लिए है और इसके अंतर्गत ऐसी रकम की मासिक मजदूरी सहित, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, घरेलू कर्मकार भी है ;

(91) “स्त्री” से किसी स्थापन में मजदूरी पर स्त्री अभिप्रेत है चाहे वह सीधे नियोजित हो या किसी संविदाकार के माध्यम से :

परंतु अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए कोई स्त्री, जो ऐसी कर्मचारी है या थी, जिसकी बाबत उक्त अध्याय के अधीन अभिदाय संदेय है या था तथा जो उस कारण से उक्त अध्याय के अधीन उपबंधित किसी भी फायदे की हकदार है, को “बीमाकृत स्त्री” कहा जाएगा और इसके अंतर्गत,—

(i) एक ऐसी प्रारंभ करने वाली स्त्री, जो एक जैव माता है और जो एक बालक की वांछा करती है और किसी अन्य स्त्री में भ्रूण स्थापित करने को अधिमान देती है ;

(ii) कोई स्त्री, जो विधिपूर्वक तीन मास तक के किसी बालक का दत्तक ग्रहण करती है।

स्थापन का  
रजिस्ट्रीकरण और  
रद्दकरण।

3. (1) प्रत्येक ऐसा स्थापन, जिसको यह संहिता लागू होती है, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा :

परंतु ऐसे स्थापन से जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केंद्रीय श्रम विधि के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है, इस संहिता के अधीन पुनः रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसा रजिस्ट्रीकरण इस संहिता के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण के रूप में समझा जाएगा।

(2) कोई स्थापन जिसको अध्याय 3 या अध्याय 4 लागू होता है और जिसके कारबार संबंधी क्रियाकलाप बंद होने की प्रक्रिया में हैं, इस धारा के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने हेतु आवेदन करने की रीति, शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जाएगा और रद्दकरण की प्रक्रिया और उससे संबंधित अन्य विषय वे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

## अध्याय 2

### सामाजिक सुरक्षा संगठन

4. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, अध्याय 3 और उस अध्याय से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि केंद्रीय न्यासी बोर्ड नामक केंद्रीय बोर्ड का गठन उसमें ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, निहित निधियों के प्रशासन के लिए कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

कर्मचारी भविष्य  
निधि न्यासी बोर्ड  
का गठन।

(क) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(ख) पांच से अनधिक व्यक्ति, जो इसके पदधारियों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(ग) ऐसे राज्यों की सरकारों का, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह से अनधिक व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(घ) ऐसे स्थापनों के, जिनको धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम लागू होती है, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस व्यक्ति, जो नियोजकों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्रदान की जाए, परामर्श के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे;

(ङ) ऐसे स्थापनों के, जिनको धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम लागू होती है, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस व्यक्ति, जो कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्रदान की जाए, परामर्श के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ; और

(च) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पदेन।

(2) केंद्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि केंद्रीय न्यासी बोर्ड नामक एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, केंद्रीय बोर्ड को उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों में से एक कार्य समिति का गठन कर सकेगी।

(4) केंद्रीय बोर्ड, आदेश द्वारा, ऐसी संरचना की, जो उसके कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक या अधिक समितियां गठित कर सकेगा।

(5) केंद्रीय बोर्ड, आदेश द्वारा अपने अध्यक्ष या अपनी कार्यपालक समिति या अपने किन्हीं अधिकारियों को इस संहिता के अधीन अपनी शक्तियां और कृत्य, जो वह धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीमों के अधीन दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक समझे, धारा 12 के अधीन गठित राज्य बोर्ड अपने अध्यक्ष या अपने किन्हीं अधिकारियों को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत पदावधि भी है, जिसके अध्यक्षीन केंद्रीय बोर्ड और कार्य समिति के सदस्य अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, वे होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं :

परंतु केंद्रीय बोर्ड का कोई सदस्य उसकी पदावधि का अवसान होने पर भी उसका उत्तरवर्ती नियुक्त किए जाने तक पद धारण करता रहेगा।

(7) केंद्रीय बोर्ड इस संहिता में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन भी ऐसी रीति में करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

कर्मचारी राज्य  
बीमा निगम का  
गठन।

5. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, कर्मचारी राज्य बीमा नामक निगम के अध्याय 4 और उस अध्याय से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के प्रशासन के लिए, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, निगम का गठन कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) उपाध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ग) पांच से अनधिक व्यक्ति, जो इसके पदधारियों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(घ) ऐसे राज्यों में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ;

(ङ) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, एक व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(च) नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस व्यक्ति, जो नियोजकों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जाए, परामर्श करके केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(छ) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस व्यक्ति, जो कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जाए, परामर्श करके केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(ज) चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जो चिकित्सा व्यवसायियों के संगठनों से, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जाए, परामर्श करके केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(झ) तीन सांसद, जिनमें से दो लोक सभा से और एक सदस्य राज्य सभा से होगा, जिन्हें क्रमशः लोक सभा के सदस्य और राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे ; और

(ञ) निगम का महानिदेशक – पदेन।

(2) निगम कर्मचारी राज्य बीमा निगम नामक एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, निगम के सदस्यों में से, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, स्थायी समिति का गठन कर सकेगी।

(4) निगम के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यक्षीन स्थायी समिति—

(क) निगम के कार्यों का प्रशासन करेगी और निगम की किसी भी शक्ति का प्रयोग और किसी भी कृत्य का पालन ऐसी रीति में कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(ख) निगम के विचारार्थ और विनिश्चय के लिए ऐसे सभी मामले और विषय प्रस्तुत करेगी, जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ; और

(ग) अपने विवेकानुसार, निगम के विनिश्चय के लिए कोई अन्य मामला या विषय प्रस्तुत कर सकेगी।

(5) (क) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, चिकित्सा फायदों के प्रशासन से संबंधित निगम के कृत्यों के पालन में उसकी सहायता करने के लिए ऐसी संरचना की चिकित्सा फायदा समिति गठित कर सकेगी, जो उसके द्वारा विहित की जाए।

(ख) चिकित्सा फायदा समिति ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(6) निगम, आदेश द्वारा, ऐसी संरचना की, जो उसके कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक या अधिक समितियां गठित कर सकेगी।

(7) वे निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत पदावधि भी है, जिसके अध्यक्षीन निगम और स्थायी समिति के सदस्य अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, वे होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं :

परंतु निगम का कोई सदस्य, उसकी पदावधि का अवसान होने पर भी उसका उत्तरवर्ती नियुक्त किए जाने तक पद धारण करता रहेगा।

6. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, असंगठित कर्मकारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, इस संहिता के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और उसको सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठित करेगी।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड।

(2) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री – अध्यक्ष ;

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय का सचिव – उपाध्यक्ष ;

(ग) चालीस सदस्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें से—

(i) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य होंगे ;

(ii) असंगठित क्षेत्र के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य होंगे ;

(iii) सिविल सोसाइटी से ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य होंगे ;

(iv) लोक सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य और राज्य सभा से एक सदस्य होगा ;

(v) केंद्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस सदस्य होंगे ;

(vi) राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य होंगे ; और

(vii) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होगा; और

(घ) श्रम कल्याण महानिदेशक—पदेन सदस्य—सचिव।

(3) सभी सदस्यों के सिवाय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य श्रम कल्याण, प्रबंध, वित्त, विधि और प्रशासन के क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों में से होंगे।

(4) वह रीति जिसमें उपधारा (2) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग से, सदस्यों के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाएगा, सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, उनमें हुई रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(5) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की अवधि तीन वर्ष होगी।

(6) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड एक वर्ष में कम से कम तीन बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(7) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात:—

(क) केंद्रीय सरकार को असंगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त स्कीमों की सिफारिश करना ;

(ख) केंद्रीय सरकार को इस संहिता के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर सलाह देना, जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं ;

(ग) असंगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के लिए ऐसी सामाजिक कल्याणकारी स्कीमों को मानीटर करना, जिसका प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है ;

(घ) राज्य स्तर पर किए गए अभिलेख रखने वाले कृत्यों का पुनर्विलोकन करना ;

(ङ) निधियों और लेखे से व्यय का पुनर्विलोकन करना ; और

(च) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जाते हैं।

(8) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, असंगठित कर्मकारों से संबंधित इस संहिता के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर और ऐसे अन्य विषयों पर, जो केंद्रीय सरकार उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट करे, केंद्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक या अधिक सलाहकार समिति गठित कर सकेगी।

(9) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संहिता के अधीन राज्य बोर्ड (राज्य का नाम) नाम से ज्ञात असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और उसको सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, करेगी।

- (10) प्रत्येक राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—
- (क) संबंधित राज्य का श्रम और रोजगार मंत्री, अध्यक्ष—पदेन ;
  - (ख) प्रधान सचिव या सचिव (श्रम)—उपाध्यक्ष ;
  - (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय से केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य ;
  - (घ) इकतीस सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनमें से—
    - (i) असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य होंगे ;
    - (ii) असंगठित कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य होंगे ;
    - (iii) संबंधित राज्य की विधान सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य ;
    - (iv) सिविल सोसाइटी से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य होंगे ;
    - (v) राज्य सरकार के संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस सदस्य होंगे ; और
  - (ङ) राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, सदस्य—सचिव।

(11) सभी सदस्य राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष के सिवाय श्रम कल्याण, प्रबंध, वित्त, विधि और प्रशासन के क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों में से होंगे।

(12) इस रीति में, जिसमें उपधारा (10) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग से सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाएगा, सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसके सदस्यों में से रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(13) राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड की अवधि तीन वर्ष होगी।

(14) राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड तीन मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(15) राज्य बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) राज्य सरकार को असंगठित सेक्टर कर्मकारों को विभिन्न, वर्गों के लिए उपयुक्त स्कीमों को विरचित करने की सिफारिश करेगा ;

(ख) राज्य सरकार को इस संहिता के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर सलाह देगा, जो उसको निर्दिष्ट किए जाएं ;

(ग) असंगठित कर्मकारों के लिए ऐसी सामाजिक कल्याणकारी स्कीमों को मानीटर करेगा, जिसका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ;

(घ) जिला स्तर पर निष्पादित कृत्यों के अभिलेख रखे जाने का पुनर्विलोकन करेगा ;

(ङ) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण और कार्ड जारी करने की प्रगति का पुनर्विलोकन करेगा ;

(च) विभिन्न स्कीमों के अधीन निधियों से व्यक्त का पुनर्विलोकन करेगा; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जाते हैं।

(16) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, असंगठित कर्मकारों से संबंधित इस संहिता के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर और ऐसे अन्य विषयों पर, जो राज्य सरकार उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट करे, राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक या अधिक सलाहकारी समिति गठित कर सकेगी।

राज्य भवन निर्माण  
कर्मकार कल्याण  
बोर्ड का गठन।

7. (1) प्रत्येक राज्य सरकार ऐसी तारीख से, जो वह अधिसूचना द्वारा नियत करे..... (राज्य का नाम) के लिए उसे इस धारा और अध्याय 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड नामक बोर्ड का गठन करेगी।

(2) पूर्वोक्त नाम का भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक सदस्य और पन्द्रह से अधिक संख्या में इतने अन्य सदस्य होंगे, जो उसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं :

परंतु भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में राज्य सरकार, नियोजकों और भवन निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बराबर संख्या में सदस्य सम्मिलित किए जाएंगे और बोर्ड की कम से कम एक सदस्य कोई स्त्री होगी।

(4) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा संदेय वेतन और अन्य भत्ते वे होंगे तथा भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सदस्यों की आकस्मिक रिकित्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(5) (क) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एक सचिव की और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जो वह इस संहिता के अधीन बोर्ड के अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ;

(ख) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा ;

(ग) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव तथा अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा संदेय वेतन और भत्ते वे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(6) भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी फायदाग्राही या उसके आश्रितों को मृत्यु और निःशक्तता फायदे प्रदान करना ;

(ख) ऐसे फायदाग्राहियों को पेंशन का संदाय करना, जिन्होंने साठ वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ग) फायदाग्राहियों की समूह बीमा स्कीम के लिए प्रीमियम के संबंध में ऐसी रकम का संदाय करना, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(घ) फायदाग्राहियों के बालकों के फायदे के लिए ऐसी शैक्षिक स्कीमें विरचित करना, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं ;

(ङ) किसी फायदाग्राही या ऐसे आश्रित की गंभीर व्याधि के उपचार के लिए ऐसे चिकित्सा व्ययों की पूर्ति करना, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं ;

(च) फायदाग्राहियों को प्रसूति फायदे का संदाय करना ;

(छ) फायदाग्राहियों के लिए कौशल विकास और जागरूकता स्कीमें विरचित करना ;

(ज) फायदाग्राहियों को मार्गस्थ वास—सुविधा या छात्रावास सुविधा प्रदान करना ;

(झ) केंद्रीय सरकार की सहमति से राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण कर्मकार फायदाग्राहियों के लिए कोई अन्य कल्याण स्कीम बनाना ; और

(ञ) ऐसे अन्य कल्याणकारी उपाय और सुविधाओं का उपबंध करना और उनमें सुधार करना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(7) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, भवन निर्माण कर्मकारों से संबंधित इस संहिता के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर और ऐसे अन्य विषयों पर, जो राज्य सरकार उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट करे, राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक या अधिक सलाहकार समिति गठित कर सकेगी।

8. (1) किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जाएगा या उसका सदस्य नहीं बना रहने दिया जाएगा, जो—

(क) किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या

(ख) जिसका पागल होना या विकृतचित का होना पाया गया है; या

(ग) किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध है या ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(घ) किसी स्थापन में नियोजक है और इस संहिता के अधीन किन्हीं शोध्यों के संदाय में व्यतिक्रम किया है; या

(ङ) संसद् सदस्य या किसी राज्य विधान सभा का सदस्य होते हुए किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन का कोई सदस्य है, जब वह, यथास्थिति, संसद् सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है ; या

(च) संसद् सदस्य या किसी राज्य विधान सभा का सदस्य होते हुए किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन का कोई सदस्य है और वह—

(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का मंत्री बन जाता है;

(ii) लोक सभा या किसी राज्य विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन जाता है;

(iii) राज्य सभा का उपसभापति बन जाता है।

**स्पष्टीकरण 1**—यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई व्यक्ति खंड (घ) के अधीन निरहित है या नहीं, तो उसे समुचित सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे किसी भी प्रश्न पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

**स्पष्टीकरण 2**—खंड (च), ऐसे व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगा, जो मंत्री होने के आधार पर सामाजिक सुरक्षा संगठन के पदेन सदस्य हैं।

किसी भी सामाजिक सुरक्षा संगठन के किसी सदस्य की निरर्हता और हटाया जाना।

(2) केंद्रीय बोर्ड, निगम और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के मामले में केंद्रीय सरकार और राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड और भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले में राज्य सरकार ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन के ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जो उपधारा (1) में वर्णित किसी निरहता से ग्रस्त है या हो गया है ; या

(ख) जो उस सामाजिक सुरक्षा संगठन की अनुमति के बिना, जिसका वह सदस्य है, सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति की तीन से अधिक लगातार बैठकों में अनुपस्थित हो गया है ;

(ग) जिसने ऐसी सरकार की राय में, अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसके पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकर है या जो ऐसी सरकार की राय में ऐसे सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अन्याय अयोग्य या अनुपयुक्त हो गया है :

परंतु खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को यह हेतुक दर्शित करने का, कि उसे क्यों नहीं हटा दिया जाए, अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह और कि केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारणी समिति या निगम की स्थायी समिति का कोई सदस्य पद धारण नहीं करेगा यदि वह, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम का सदस्य नहीं रहता है।

(3) सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य, यथास्थिति, उस केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को, जिसने उसकी नियुक्ति की थी, संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद का त्याग कर सकेगा और ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा।

(4) यदि किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति में, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की यह राय है कि—

(क) यथास्थिति, नियोजकों या कर्मचारियों या असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका कोई सदस्य इस प्रकार से यथोचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है ; या

(ख) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाला उसका कोई भी सदस्य तत्पश्चात् उस क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं रखने वाला पाया जाता है; या

(ग) ऐसी सरकार में परिस्थितियों या सेवाओं की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ऐसी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका सदस्य, सरकार का निरन्तर प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है,

तो ऐसी सरकार आदेश द्वारा ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी :

परंतु खंड (क) या खंड (ख) के अधीन कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे यह हेतुक दर्शित करने का, कि उसे क्यों नहीं हटा दिया जाए, अवसर न दे दिया गया हो।

(5) यदि किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति का कोई भी सदस्य, जो किसी कंपनी का निदेशक है और जिसका ऐसे निदेशक के रूप में सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति के विचारार्थ आने वाले किसी मामले में कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित रखता है, तो वह हित के ऐसे तथ्य को उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को, यथास्थिति, सामाजिक सुरक्षा संगठन या

उसकी समिति की कार्यवाहियों में लेखबद्ध किया जाएगा और तत्पश्चात् ऐसा सदस्य सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी समिति की उस मामले से संबंधित किसी कार्रवाई या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

9. (1) कोई सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी कोई भी समिति ऐसे अंतरालों पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है), जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

सामाजिक सुरक्षा संगठन के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया आदि।

(2) सामाजिक सुरक्षा संगठन के सभी आदेशों और विनिश्चयों को, क्रमिक सामाजिक सुरक्षा संगठन के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, महानिदेशक, श्रम कल्याण महानिदेशक, राज्य के प्रधान सचिव या सचिव (श्रम) या ऐसे अन्य अधिकारी के, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी अन्य लिखतों को ऐसे अधिकारी, जो क्रमिक सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा किए गए किसी आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाए, के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(3) किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी किसी भी समिति द्वारा किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही को केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि, यथास्थिति, सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

(4) सामाजिक सुरक्षा संगठन या किसी समिति के ऐसे सदस्य, ऐसी फीस और भत्तों के हकदार होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

10. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और महानिदेशक, क्रमशः केंद्रीय बोर्ड और निगम के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे और ऐसा अधिकारी केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जो उनके पद से संबंधित नहीं हैं।

केंद्रीय बोर्ड और निगम के कार्यकारी प्रधान।

11. (1) यदि केंद्रीय बोर्ड, निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की दशा में केंद्रीय सरकार की और राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की दशा में राज्य सरकार की यह राय है कि, यथास्थिति, निगम या केंद्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी कोई समिति अपने कृत्यों का पालन करने में असमर्थ है या उसने अपने कृत्यों के निर्वहन में बार-बार विलंब किया है या अपनी शक्तियों अथवा अधिकारिता को पार किया है या उनका दुरुपयोग किया है, तो ऐसी सरकार अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, निगम या केंद्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति को अधिक्रांत कर सकेगी और ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, उसका पुनर्गठन कर सकेगी :

निगम, केंद्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का अधिक्रमण।

परंतु इस उपधारा के अधीन इसमें विनिर्दिष्ट किसी आधार पर किसी अधिसूचना के जारी किए जाने से पहले ऐसी सरकार, यथास्थिति, निगम या केंद्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति को यह हेतुक दर्शित करने के लिए कि उसे अधिक्रांत क्यों न कर दिया जाना चाहिए, अवसर देगी और उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और किए गए आक्षेपों पर विचार करेगी तथा उस पर समुचित कार्रवाई करेगी।

(2) यथास्थिति, निगम या केंद्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिक्रमण के पश्चात् और उसके पुनर्गठन किए जाने तक, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इस संहिता के सुसंगत उपबंधों के प्रशासन के प्रयोजन के लिए ऐसे अनुकल्पी इंतजाम करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(3) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस धारा के अधीन उसके द्वारा की गई किसी कार्रवाई और प्रस्थितिजन्य ऐसी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष शीघ्रतम अवसर पर और किसी भी दशा में उपधारा (1) के अधीन जारी अधिक्रमण की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के अपश्चात् रखवाएगी।

राज्य बोर्ड, क्षेत्रीय बोर्ड, स्थानीय समितियाँ, आदि।

**12. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा,—**

(i) किसी राज्य की सरकार के साथ परामर्श के पश्चात् उस राज्य के लिए एक न्यासी बोर्ड (जिसे इस संहिता में इसके पश्चात् राज्य बोर्ड कहा गया है) का गठन कर सकेगी, जो ऐसी शक्ति यों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा सौंपे जाएं ;

(ii) किसी राज्य बोर्ड के गठन की रीति, उसके सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा उसकी बैठकों में प्रक्रिया और उससे संबंधित अन्य कार्यवाहियाँ विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) निगम, आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्र में और ऐसी रीति में ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, क्षेत्रीय बोर्ड और स्थानीय समितियाँ नियुक्त कर सकेगी।

सामाजिक सुरक्षा संगठनों को अतिरिक्त कृत्यों का न्यस्त किया जाना।

**13. इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा,—**

(i) किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन को ऐसे अतिरिक्त कृत्य, जिसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा से संबंधित किसी अन्य अधिनियम या स्कीम का प्रशासन भी है, ऐसे उपबंधों के अधीन सौंप सकेगी, जो अधिसूचना में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु जब किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन को इस खंड के अधीन अधिनियम या स्कीम को प्रशासित करने के अतिरिक्त कृत्य सौंपे जाते हैं, तब ऐसे संगठन का अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे ऐसा कृत्य सौंपा गया है, ऐसी रीति में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे कृत्य के निर्वहन के लिए अपेक्षित अधिनियमिती या स्कीम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा :

परंतु यह और कि सामाजिक सुरक्षा संगठन ऐसे अतिरिक्त कृत्य विद्यमान अधिकारियों को सौंप सकेंगे या इस प्रयोजन के लिए आवश्यक नए अधिकारियों को नियुक्त कर सकेंगे या लगा सकेंगे, यदि ऐसे कृत्यों का, अतिरिक्त कृत्यों को सौंपे जाने से ठीक पहले यथाविद्यमान उसके कार्मिकों की सहायता से पालन नहीं किया जा सके या पूरा नहीं किया जा सके ;

(ii) सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा खंड (i) के अधीन कृत्यों के निर्वहन के निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी ;

(iii) यह उपबंध कर सकेगी कि खंड (i) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय, जिसके अंतर्गत ऐसे कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति या लगाया जाना भी है, केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ;

(iv) ऐसी शक्तियाँ विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका सामाजिक सुरक्षा संगठन, खंड (i) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन करते समय प्रयोग करेगा ; और

(v) यह उपबंध कर सकेगी कि खंड (iii) में निर्दिष्ट कोई भी व्यय सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

### अध्याय 3

## कर्मचारी भविष्य निधि

14. (1) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त कर सकेगी, जो केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रधान के रूप में कार्य भी करेगा।

केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों की नियुक्ति।

**स्पष्टीकरण**—इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, “कर्मचारी भविष्य निधि संगठन” पद से केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बना संगठन अभिप्रेत है।

(2) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस संहिता के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में केंद्रीय बोर्ड के साधारण नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होगा।

(3) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी नियुक्त भी करेगी।

(4) केंद्रीय बोर्ड, इतने अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी, जितने वह भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम के दक्ष प्रशासन या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड को सौंपे गए अन्य उत्तरदायित्वों के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(5) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या किसी अतिरिक्त भविष्य निधि आयुक्त या किसी वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी या केंद्रीय बोर्ड के अधीन किसी ऐसे अन्य पद पर, जिनका वेतनमान केंद्रीय सरकार के अधीन किसी भी समूह ‘क’ या समूह ‘ख’ के वेतनमान के समतुल्य है, नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के परचात् ही की जाएगी अन्यथा नहीं :

परंतु ऐसी किसी नियुक्ति की बाबत ऐसे परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी,—

(क) जो एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए है ; या

(ख) यदि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति, अपनी नियुक्ति के समय—

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य है ; या

(ii) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय बोर्ड की सेवा में समूह ‘क’ या समूह ‘ख’ पद पर है।

(6) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखाधिकारी की भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसा वेतन और भत्ता, भविष्य निधि में से संदत्त किए जाएंगे।

(7) (क) अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा केंद्रीय बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार के तत्स्थानी वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय है कि पूर्वोक्त किन्हीं विषयों में किसी विषय की बाबत उक्त नियमों और आदेशों से विचलन करने की आवश्यकता है, वहां वह केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा :

परन्तु यह और कि इस खंड में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के वेतन और भत्ते भविष्य निधि स्कीम में उपबंधित क्रमशः वेतनमान से अधिक नहीं होंगे।

(ख) खंड (क) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के तत्स्थानी वेतनमान का अवधारण करने में केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शैक्षणिक अर्हताओं, भर्ती की पद्धति, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखेगा और किसी शंका की दशा में, केंद्रीय बोर्ड मामले को केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

स्कीमें।

**15. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा—**

(क) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम नामक स्कीम विरचित कर सकेगी, जिसके लिए कर्मचारियों के लिए या कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए इस अध्याय के अधीन भविष्य निधि स्थापित की जाएगी और ऐसे स्थापनों या स्थापनों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनको उक्त स्कीम लागू होगी ;

(ख) कर्मचारी पेंशन स्कीम नामक एक स्कीम निम्नलिखित का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए विरचित कर सकेगी, —

(i) किसी स्थापन के कर्मचारियों के लिए या स्थापनों के वर्ग के लिए, जिसे यह अध्याय लागू होता है, अधिवर्षिता पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन, स्थायी पूर्ण निःशक्तता पेंशन ; और

(ii) ऐसे कर्मचारियों के फायदाग्राहियों को संदेय विधवा या विधुर पेंशन, बालक पेंशन या अनाथ पेंशन ; और

(iii) नामनिर्देशिती पेंशन ;

(ग) किसी स्थापन के कर्मचारियों को या स्थापनों के वर्गों को, जिसे यह अध्याय लागू होता है, जीवन बीमा फायदे प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कर्मचारी बीमा संबद्ध निक्षेप स्कीम नामक स्कीम विरचित कर सकेगी ;

(घ) इस संहिता के अधीन स्वनियोजित कर्मचारों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग के लिए, सामाजिक सुरक्षा फायदे प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए कोई अन्य स्कीम या स्कीमों को विरचित कर सकेगी ; और

(ङ) खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्कीम को भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से उसमें परिवर्धन करके, उसमें संशोधन करके या उसमें फेरफार करके उपांतरित कर सकेगी।

(2) इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन, उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट स्कीमों में पहली अनुसूची के भाग क, भाग ख और भाग ग में क्रमशः विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा।

(3) स्कीमों में यह उपबंध किया जा सकेगा कि इसके सभी उपबंधों या उनमें से कोई उपबंध ऐसी तारीख से ही, जो स्कीम में उस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

निधियां।

**16. (1) केंद्रीय सरकार,—**

(क) भविष्य निधि स्कीम के प्रयोजनों के लिए एक भविष्य निधि स्थापित कर सकेगी, जहां नियोजक द्वारा निधि में संदत्त अभिदाय, प्रत्येक कर्मचारी (चाहे उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित हो या किसी संविदाकार द्वारा या उसके माध्यम से) को तत्समय संदेय मजदूरी का दस प्रतिशत होगा और कर्मचारी का अभिदाय उसके संबंध में नियोजक द्वारा संदेय अभिदाय के बराबर होगा और यदि कोई कर्मचारी ऐसी वांछा करे, तो इस शर्त के अध्यधीन कि नियोजक इस धारा के अधीन संदेय उसके अभिदाय से अधिक किसी भी अभिदाय का

संदाय करने की बाध्यता के अधीन नहीं होगा, उसकी मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक रकम हो सकेगी :

परंतु किसी स्थापन या स्थापनों के वर्ग को इसके लागू होने में, जो केंद्रीय सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी । यह धारा इस उपांतरण के अधीन होगी कि दस प्रतिशत शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां—जहां वे आते हैं, बारह प्रतिशत शब्द रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा कर्मचारियों के अभिदाय की दर और उस अवधि को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके लिए ऐसी दर कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए लागू होगी ;

(ख) पेंशन स्कीम के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा उस स्कीम में विनिर्दिष्ट रीति में एक पेंशन निधि स्थापित कर सकेगी जिसमें प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के संबंध में, जो पेंशन स्कीम का कोई सदस्य है, समय—समय पर निम्नलिखित का संदाय किया जाएगा—

(i) खंड (क) के अधीन कर्मचारी के अभिदाय से मजदूरी के आठ और एक—तिहाई प्रतिशत से अनधिक ऐसी राशियां या मजदूरी का ऐसा प्रतिशत, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(ii) धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त ऐसे स्थापनों के, जिसको पेंशन स्कीम लागू होती है, नियोजकों द्वारा पेंशन निधि में अभिदाय के रूप में संदेय ऐसी राशियां, जो पेंशन स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(iii) ऐसी राशियां, जो केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् विनिर्दिष्ट, करे ;

(ग) बीमा स्कीम के प्रयोजन के लिए उस सरकार द्वारा उस स्कीम में विनिर्दिष्ट रीति में निक्षेप संबद्ध बीमा निधि स्थापित कर सकेगी, जिसमें नियोजक द्वारा ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में, जिसका वह नियोजक है, समय—समय पर, ऐसी रकम का, जो मजदूरी के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी या ऐसे कर्मचारी के संबंध में तत्समय संदेय मजदूरी का ऐसा प्रतिशत, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, संदाय किया जाएगा :

परंतु नियोजक बीमा निधि में धन की ऐसी और राशियों का संदाय करेगा, जो अभिदाय के एक—चौथाई से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए इस खंड के अधीन करने के लिए उससे अपेक्षा की जाती है, जो केंद्रीय सरकार बीमा स्कीम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किसी फायदे की लागत के मद्दे व्ययों से भिन्न बीमा स्कीम के प्रशासन के संबंध में सभी व्ययों को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार समय—समय पर अवधारित करे ।

(2) भविष्य निधि, पेंशन निधि और बीमा निधि ऐसी रीति में, जो अलग—अलग स्कीमों में विनिर्दिष्ट की जाए, केंद्रीय बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित होगी ।

17. (1) किसी संविदाकार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी के संबंध में किसी नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय निधि के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए अभिदाय की रकम (अर्थात् किसी स्कीम के अनुसरण में नियोजक के अभिदाय के साथ ही साथ कर्मचारी का अभिदाय और बीमा स्कीम के अनुसरण में नियोजक का अभिदाय) और अन्य प्रभार ऐसे नियोजक द्वारा संविदाकार से या तो किसी संविदा के अधीन संविदाकार को संदेय किसी रकम की कटौती करके या संविदाकार द्वारा संदेय किसी ऋण के रूप में वसूल किए जा सकेंगे ।

कर्मचारियों और  
ठेकेदारों के संबंध  
में अभिदाय ।

(2) कोई संविदाकार, जिससे उसके द्वारा या माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी के संबंध में उपधारा (1) में उल्लिखित रकम वसूल की जा सकेगी, ऐसे कर्मचारी को संदेय मजदूरी से कटौती द्वारा किसी स्कीम के अधीन कर्मचारी का संदाय ऐसे कर्मचारी से वसूल कर सकेगा ।

(3) किसी संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई संविदाकार, उसके द्वारा या माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी को संदेय मजदूरी से उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियोजक का अभिदाय या प्रभार की कटौती करने के लिए या ऐसे कर्मचारी से ऐसा अभिदाय या प्रभार अन्यथा वसूल करने का हकदार नहीं होगा।

निधि का 1961 के अधिनियम सं0 43 के अधीन मान्यता प्राप्त होना।

**18.** आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए भविष्य निधि को उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (38) के अर्थात्गत मान्यताप्राप्त निधि समझा जाएगा :

1961 का 43

परंतु उक्त अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात भविष्य निधि स्कीम (जिसके अधीन भविष्य निधि को स्थापित किया गया है), के किसी उपबंध को अप्रभावी करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के विरुद्ध है।

अभिदाय के संदाय का अन्य ऋणों पर अधिमान होना।

**19.** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन शोध्य कोई रकम ऐसे स्थापन की आस्तियों पर भार होगी, जिससे वह संबंधित है और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अनुसार अधिमानतः संदत्त की जाएगी।

2016 का 31

अध्याय का कतिपय स्थापनों को लागू न होना।

**20.** (1) यह अध्याय निम्नलिखित को लागू नहीं होगा—

(क) पचास से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले विद्युत की सहायता के बिना कार्य करने वाली सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी राज्य में सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्थापन को ; या

1912 का 2

(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन किसी अन्य स्थापन को और जिसके कर्मचारी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विरचित ऐसे फायदों को शासित करने वाली किसी स्कीम या नियम के अनुसार अभिदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के फायदे के हकदार हैं ; या

(ग) किसी केंद्रीय, राज्य या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य स्थापन को और जिसके कर्मचारी उस विधि के अधीन विरचित ऐसे फायदों को शासित करने वाली किसी स्कीम या नियम के अनुसार अभिदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के फायदे के हकदार हैं ; या

(घ) इस संहिता के प्रारंभ से ठीक पूर्व ऐसे किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियमिति के अधीन भविष्य निधि का फायदा प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को।

(2) यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि वर्ग के किसी स्थापन की वित्तीय स्थिति या मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, भूतलक्षी रूप से या भविष्यलक्षी रूप में स्थापनों के उस वर्ग को ऐसी अवधि के लिए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अध्याय के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी।

कतिपय नियोजकों को भविष्य निधि खाते रखने के लिए प्राधिकृत करना।

**21.** (1) केन्द्रीय सरकार, एक सौ या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन के संबंध में नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या द्वारा इस निमित्त उसको किए गए आवेदन पर, लिखित आदेश द्वारा नियोजक को स्थापन के संबंध में भविष्य निधि खाता, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो भविष्य निधि स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, रखने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु यदि ऐसे स्थापन के नियोजक ने, भविष्य निधि अभिदाय के संदाय में कोई व्यतिक्रम किया था या ऐसे प्राधिकरण की तारीख से ठीक पूर्व तीन वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य अपराध किया था तो ऐसा प्राधिकरण इस उपधारा के अधीन नहीं किया जाएगा।

(2) जहां किसी स्थापन को उपधारा (1) के अधीन भविष्य निधि खाता रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है वहां ऐसे स्थापन के संबंध में नियोजक ऐसा खाता रखेगा, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा, ऐसी रीति से अभिदाय निक्षिप्त करेगा, निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, ऐसे प्रशासनिक प्रभार संदत्त करेगा और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जो भविष्य निधि स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) इस धारा के अधीन किया गया कोई प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा उस दशा में, रद्द किया जा सकेगा यदि नियोजन प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल हो जाता है या जहां वह इस संहिता के किसी उपबंध के अधीन कोई अपराध करता है :

परंतु प्राधिकरण रद्द करने के पूर्व, केन्द्रीय सरकार नियोजक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगी।

**22. जहां कोई कर्मचारी—**

खातों का अंतरण।

(क) किसी ऐसे स्थापन में नियोजित है जिसे यह अध्याय लागू होता है, वहां से अपना नियोजन छोड़ देता है और किसी ऐसे अन्य स्थापन में, जिसे यह अध्याय लागू होता है या नहीं, नियोजन अभिप्राप्त कर लेता है ; या

(ख) किसी ऐसे स्थापन में नियोजित है जिसे यह अध्याय लागू नहीं होता है, वहां से अपना नियोजन छोड़ देता है और किसी ऐसे स्थापन में, जिसे यह अध्याय लागू होता है, नियोजन अभिप्राप्त कर लेता है,

वहां, यथास्थिति, उसके भविष्यनिधि खाते में या पेंशन खाते में संचित रकम, ऐसी रीति में, यथास्थिति, भविष्य निधि स्कीम या पेंशन स्कीम, विनिर्दिष्ट की जाएं, अंतरित कर दी जाएगी या उसका निपटान किया जाएगा।

**23. (1) कोई व्यक्ति, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित है, केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित अधिकरण में अपील कर सकेगा, अर्थात् :—**

अधिकरण को अपील।

(क) अध्याय 3 के संबंध में धारा 125 के अधीन शोध्यों का अवधारण और निर्धारण; और

(ख) अध्याय 3 के संबंध में धारा 128 के अधीन नुकसानी का उद्ग्रहण।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर की जाएगी और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए।

(3) नियोजक द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन की गई कोई अपील अधिकरण द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि धारा 125 के अधीन किसी अधिकारी द्वारा यथा अवधारित उसके द्वारा शोध्य रकम का पच्चीस प्रतिशत भाग सम्बद्ध सामाजिक सुरक्षा संगठन को जमा नहीं कर दिया जाए।

(4) अधिकरण, उस तारीख से जिसको उसे अपील की गई है एक वर्ष की अवधि के भीतर, अपील का विनिश्चय करने का प्रयास करेगा।

**अध्याय 4**

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**

**24. (1) केन्द्रीय सरकार, निगम का एक महानिदेशक और एक वित्त आयुक्त नियुक्त कर सकेगी जो निगम के प्रधान अधिकारी होंगे।**

प्रधान अधिकारी और कर्मचारिवृंद।

(2) महानिदेशक और वित्त आयुक्त पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए पद धारण करेगा जो उसे नियुक्त करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु, यथास्थिति, पद छोड़ने वाला महानिदेशक या वित्त आयुक्त, यदि वह अन्यथा अर्हित है तो वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) यथास्थिति, महानिदेशक या वित्त आयुक्त ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(4) महानिदेशक और वित्त आयुक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(5) कोई व्यक्ति निगम का महानिदेशक या वित्त आयुक्त के रूप में नियुक्ति किए जाने या होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह धारा 8 में विनिर्दिष्ट निरर्हिताओं में से किसी से ग्रस्त है।

(6) केन्द्रीय सरकार, निगम के महानिदेशक या वित्त आयुक्त को किसी भी समय पद से हटा सकेगी यदि ऐसे हटाए जाने की सिफारिश निगम के उस प्रयोजन के लिए बुलाए गए विशेष अधिवेशन में पारित और निगम की कुल सदस्य-संख्या के दो-तिहाई से अन्यून मतों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा की गई है।

(7) निगम ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियोजित कर सकेगा जो उसके कारबार के दक्ष संव्यवहार के लिए और केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को समय-समय पर सौंपे गए किन्हीं अन्य उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों :

परन्तु केन्द्रीय सरकार की मंजूरी किसी ऐसे पद के सृजन के लिए अभिप्राप्त की जाएगी जिसका अधिकतम मासिक वेतन ऐसे वेतन से अधिक है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(8) (क) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो तत्समान वेतनमान पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं :

परन्तु निगम में चिकित्सा विशेषज्ञों और अति विशेषज्ञों, जो तुल्य अर्हिताएं और विशेषज्ञता रखते हैं, के ऐसे पदों के वेतन और भत्ते सहित सेवा के निबंधन और शर्तें, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अनुसंधान आयुर्विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान या अन्य समरूप संस्थाओं में विशेषज्ञ और अति विशेषज्ञों के समतुल्य पदों के क्रमशः समरूप होंगे :

परन्तु यह और कि जहां निगम की यह राय है कि पूर्वोक्त किन्हीं विषयों के संबंध में उक्त नियमों या आदेशों का हटाया जाना आवश्यक है, वहां वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा :

परन्तु यह भी कि यह उपधारा संविदा आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त परामर्शियों और विशेषज्ञों की नियुक्ति को लागू नहीं होगी।

(ख) निगम, खंड (क) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के तत्समान वेतनमान अवधारित करने में, केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शैक्षिक अर्हिताएं, भर्ती की पद्धति, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखेगा और किसी शंका की दशा में, निगम उस विषय को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'क' और समूह 'ख' राजपत्रित पदों के तत्समान पदों, (जो चिकित्सीय, नर्सिंग या पराचिकित्सीय पदों से भिन्न हैं), पर हर नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके की जाएगी :

परंतु इस उपधारा के उपबंध एक वर्ष से अनधिक की कालावधि की किसी स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति को लागू नहीं होगी :

परंतु यह और कि ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति, नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उस हैसियत में की गई सेवाओं की गणना अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विनियमों में विनिर्दिष्ट ज्येष्ठता या न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए नहीं की जाएगी।

(10) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई पद केन्द्रीय सरकार के अधीन के समूह 'क' और समूह 'ख' के तत्समान है या नहीं तो वह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

25. (1) इस अध्याय के अधीन संदत्त किए गए सभी अभिदाय और उपभोग प्रभार और निगम की ओर से प्राप्त अन्य सभी धन (जिसे इसमें इसके पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा निधि कहा गया है) कर्मचारी राज्य बीमा निधि नामक निधि में संदत्त किए जाएंगे जो इस संहिता के प्रयोजनों के लिए निगम द्वारा धारित और प्रशासित की जाएगी :

कर्मचारी राज्य बीमा निधि।

परन्तु धारा 44 में निर्दिष्ट अन्य हिताधिकारियों से संग्रहीत उपभोग प्रभार, अभिदाय समझे जाएंगे और कर्मचारी राज्य बीमा निधि के भाग होंगे।

(2) निगम, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति या निकाय से, चाहे वह निगमित हो या न हो, इस अध्याय के सभी प्रयोजनों या किसी भी प्रयोजन के लिए अनुदान, संदान, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि और दान प्रतिगृहीत कर सकेगा।

(3) इस संहिता में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों और इस निमित्त बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन रहते हुए, उक्त निधि को प्रोद्भूत या संदेय सभी धन, ऐसे बैंक या बैंकों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं, कर्मचारी राज्य बीमा निधि खाता अभिनामक एक खाते में जमा किए जाएंगे।

(4) कर्मचारी राज्य बीमा निधि या कोई अन्य धन, जो निगम द्वारा धारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में जमा किया जाएगा या उसका विनिधान किया जाएगा और उपधारा (3) में निर्दिष्ट खाता ऐसे अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा जिन्हें धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्थायी समिति कहा गया है) निगम के अनुमोदन से प्राधिकृत करे।

26. इस अध्याय और इससे संबंधित उस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निधि में से व्यय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा, अर्थात् :—

प्रयोजन, जिनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निधि में से व्यय किया जा सकेगा।

(क) धारा 28 में निर्दिष्ट बीमाकृत व्यक्तियों को प्रसुविधाओं का संदाय तथा चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध और जहां चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए विस्तारित की गई हो वहां इस अध्याय और उससे संबंधित नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार उनके कुटुंबों के लिए ऐसी चिकित्सा प्रसुविधा का उपबंध और उससे संबद्ध प्रभारों और खर्चों का चुकाया जाना ;

(ख) निगम, स्थायी समिति, चिकित्सा प्रसुविधा समिति या उसकी अन्य समितियों के सदस्यों को फीस और भत्तों का संदाय ;

(ग) निगम के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन, छुट्टी और पद-ग्रहणकाल के भत्तों, यात्रा भत्तों और प्रतिकर भत्तों, उपदानों और अनुकंपा भत्तों, पेंशनों, भविष्य निधि या अन्य प्रसुविधा निधि में अभिदायों का संदाय और इस अध्याय से संबंधित इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए स्थापित कार्यालयों और अन्य सेवाओं की बाबत हुए व्यय की पूर्ति ;

(घ) धारा 28 में निर्दिष्ट बीमाकृत व्यक्तियों के फायदे के लिए और जहां चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए विस्तारित की गई हो, वहां उनके कुटुंबों के फायदे के लिए अस्पतालों, औषधालयों और अन्य संस्थाओं की स्थापना और अनुरक्षण तथा चिकित्सा और अन्य आनुषंगिक सेवाओं का उपबंध ;

(ङ) धारा 28 में निर्दिष्ट बीमाकृत व्यक्तियों को और जहां चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए विस्तारित की गई हो, वहां उनके कुटुंबों के लिए, उपबंधित चिकित्सीय उपचार और परिचर्या के व्यय, जिसके अंतर्गत किसी भवन और उपस्कर का व्यय भी आता है, के मद्दे किसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या किसी प्राइवेट निकाय या व्यक्ति को, किसी ऐसे करार के अनुसार अभिदायों का संदाय, जो निगम द्वारा किया गया है ;

(च) निगम के लेखाओं की संपरीक्षा के और उसकी आस्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन के खर्च का (जिसके अंतर्गत व्यय भी हैं) चुकाया जाना ;

(छ) इस अध्याय के अधीन स्थापित कर्मचारी बीमा न्यायालयों के खर्च का (जिसके अंतर्गत सब व्यय भी हैं) चुकाया जाना ;

(ज) निगम या स्थायी समिति द्वारा या निगम या स्थायी समिति द्वारा उस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए की गई किसी संविदा के अधीन किन्हीं राशियों का संदाय ;

(झ) निगम के विरुद्ध या अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए किसी कार्य के लिए उसके अधिकारियों या कर्मचारिवृन्द में से किसी अधिकारी या कर्मचारिवृन्द के विरुद्ध हुई किसी न्यायालय या अधिकरण की डिक्री, आदेश या अधिनिर्णय के अधीन या निगम के विरुद्ध संस्थित या किए गए किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही या दावे के समझौते या परिनिर्धारण के अधीन राशियों का संदाय ;

(ञ) इस अध्याय से संबंधित इस संहिता के अधीन की गई किसी कार्रवाई से उद्भूत होने वाली किन्हीं सिविल या दांडिक कार्यवाहियों को संस्थित करने या उनमें प्रतिरक्षा करने के खर्च और अन्य प्रभासों का चुकाया जाना ;

(ट) धारा 28 में निर्दिष्ट बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और उनके कल्याण की अभिवृद्धि के और उन बीमाकृत व्यक्तियों के, जो निःशक्त या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पुनर्वासन और पुनर्नियोजन के उपायों पर निगम से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिसीमाओं के भीतर व्यय चुकाना ; और

(ठ) अन्य ऐसे प्रयोजन जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा प्राधिकृत किए जाएं।

संपत्ति धारण  
करना, आदि ।

27. (1) निगम, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए भी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम से परामर्श करने के पश्चात् विहित की जाएं, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन और धारण कर सकेगा, किसी ऐसी जंगम और स्थावर संपत्ति को, जो इसमें निहित हो गई हो या जिसे उसने अर्जित कर लिया हो, बेच या अन्यथा अंतरित कर सकेगा और उन प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी बातें कर सकेगा, जिनके लिए निगम स्थापित हुआ है।

(2) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम से परामर्श करने के पश्चात् विहित की जाएं, निगम समय-समय पर ऐसे धनों को विनिहित कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन उचित रूप से चुकाए जाने योग्य व्ययों के लिए तुरंत अपेक्षित नहीं हैं और यथापूर्वोक्त अधीन रहते हुए, समय-समय पर ऐसे विनिधानों का पुनःविनिधान या आप्त कर सकेगा।

(3) निगम, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से और ऐसे निबंधनों पर, जो उसके द्वारा विहित किए जाएं, ऐसे ऋणों का उन्मोचन करने के लिए ऋण ले सकेगा और उपाय कर सकेगा।

(4) निगम, अपने अधिकारियों और कर्मचारिवृंद या उनके किसी वर्ग के फायदे के लिए, ऐसी भविष्य निधि या अन्य फायदा निधि, जो वह उचित समझे, का गठन कर सकेगा।

28. (1) इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्थापन, प्रत्येक कर्मचारी जिसको यह अध्याय लागू होता है का बीमा इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा ऐसी रीति से किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

सभी कर्मचारियों का बीमा किया जाना।

(2) कोई ऐसा कर्मचारी, अभिदाय जिसकी बाबत उसका चाहे वह उपधारा (1) के अधीन बीमाकृत है अथवा बीमा योग्य हैं या अभिदाय संदेय है या संदेय हैं या थे और जो इसके कारण अध्याय के अधीन उपबंधित किसी फायदे का हकदार है, "बीमाकृत व्यक्ति" कहा जाएगा।

29. (1) किसी कर्मचारी की बाबत इस अध्याय के अधीन संदेय अभिदाय में नियोजक द्वारा संदेय अभिदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक-अभिदाय कहा गया है) और कर्मचारी द्वारा संदेय अभिदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् कर्मचारी-अभिदाय कहा गया है) समाविष्ट होगा और निगम को दिया जाएगा।

अभिदाय।

(2) अभिदायों (नियोजक अभिदाय और कर्मचारी अभिदाय दोनों) का संदाय ऐसी दरों पर किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) किसी कर्मचारी के संबंध में मजदूरी कालावधि (जिसे उसमें इसके पश्चात् मजदूरी कालावधि कहा गया है) विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट वह इकाई होगी जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन सभी अभिदाय संदेय होंगे।

(4) हर एक मजदूरी कालावधि की बाबत संदेय अभिदाय मामूली तौर पर उस मजदूरी कालावधि के अंतिम दिन शोध्य होंगे, और जहां कोई कर्मचारी मजदूरी कालावधि के भाग के लिए नियोजित है, या एक ही मजदूरी कालावधि के दौरान दो या अधिक नियोजकों के अधीन नियोजित है, वहां अभिदाय ऐसे दिनों को शोध्य होंगे जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

30. ऐसे व्ययों के प्रकार, जिन्हें प्रशासनिक व्यय कहा जा सकेगा और निगम की आय की वह प्रतिशतता, जो ऐसे व्ययों के लिए खर्च की जा सकेगी उतनी होगी जितनी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और निगम, अपने प्रशासनिक व्ययों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार विहित परिसीमा के भीतर रखेगा।

प्रशासनिक व्यय।

31. (1) नियोजक, प्रत्येक कर्मचारी की बाबत, चाहे वह कर्मचारी सीधे उसके द्वारा नियोजित हों, या संविदाकार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित हो, नियोजक-अभिदाय और कर्मचारी-अभिदाय दोनों का संदाय करेगा।

नियोजक द्वारा अभिदायों, आदि के संदाय के बारे में उपबंध।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस संहिता के उपबंधों के और तद्धीन इस निमित्त बनाए गए नियमों और विनियमों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, संविदाकार, नियोजक, सीधे अपने द्वारा नियोजित कर्मचारी की दशा में (जो छूट-प्राप्त कर्मचारी न हो) कर्मचारी-अभिदाय कर्मचारी से उसकी मजदूरी में से कटौती करके, न कि अन्यथा, वसूल करने का हकदार होगा :

परंतु ऐसी कोई भी कटौती, ऐसी मजदूरी से, जो उस कालावधि या कालावधि के भाग से संबंधित है जिसकी बात अभिदाय संदेय है, भिन्न किसी मजदूरी में से या उस कालावधि के लिए कर्मचारी-अभिदाय के रूप में राशि से अधिक नहीं की जाएगी।

(3) किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, न तो नियोजक और न संविदाकार नियोजक ही नियोजक-अभिदाय कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से काटने का या उससे अन्यथा वसूल करने का हकदार होगा।

(4) किसी ऐसी राशि के बारे में, जो नियोजक द्वारा इस अध्याय के अधीन मजदूरी में से काट ली गई है, यह समझा जाएगा कि कर्मचारी ने उसे वह राशि ऐसा अभिदाय देने के प्रयोजनार्थ नियोजक को साँपी है जिसकी बाबत वह काटी गई थी।

(5) नियोजक निगम को अभिदाय प्रेषित करने के व्यय वहन करेगा।

(6) वह नियोजक, जिसने किसी संविदाकार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारी की बाबत अभिदाय दिया है, इस प्रकार दिए गए अभिदाय की रकम (अर्थात् नियोजक अभिदाय तथा कर्मचारी—अभिदाय, यदि कोई हो) संविदाकार से या तो किसी ऐसी रकम में से कटौती करके जो नियोजक द्वारा प्रदान किसी संविदा के अधीन उसे संदेय है, या संविदाकार द्वारा संदेय ऋण के रूप में वसूल करने का हकदार होगा।

(7) संविदाकार, विनियमों में यथा उपबंधित अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियोजित कर्मचारियों का एक रजिस्टर रखेगा और उसे उपधारा (6) के अधीन संदेय किसी रकम के परिनिर्धारण के पूर्व, नियोजक को प्रस्तुत करेगा।

(8) उपधारा (6) में निर्दिष्ट दशा में संविदाकार, कर्मचारी—अभिदाय, अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियोजित कर्मचारी से, मजदूरी में से कटौती करके, न कि अन्यथा, उपधारा (2) के परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, वसूल करने का हकदार होगा।

(9) इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम, इस अध्याय के अधीन संदेय अभिदायों के संदाय और संग्रहण से संबंधित या उसके आनुषंगिक किसी विषय के लिए विनियम बना सकेगा।

प्रसुविधाएं।

**32. (1)** इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, बीमाकृत व्यक्ति, उनके आश्रित या इसमें इसके पश्चात् वर्णित व्यक्ति निम्नलिखित प्रसुविधाओं के लिए हकदार होंगे, अर्थात् :—

(क) किसी भी बीमाकृत व्यक्ति को कालिक संदाय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बीमारी प्रसुविधा कहा गया है) उसकी ऐसी बीमारी की दशा में, जिसे सम्यक् रूप से नियुक्त किसी चिकित्सा व्यवसायी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखता हो जैसा निगम विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रमाणित किया हो ;

(ख) प्रसवावस्था की, गर्भपात की या गर्भावस्था, प्रसवावस्था, समयपूर्व शिशु जन्म या गर्भपात से उद्भूत बीमारी की दशा में किसी ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को, जो एक स्त्री है, कालिक संदाय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रसूति प्रसुविधा कहा गया है), जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए प्राधिकारी ने ऐसे संदायों के लिए पात्र प्रमाणित किया हो ;

(ग) किसी ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को कालिक संदाय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निःशक्तता—प्रसुविधा कहा गया है), जो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के रूप में उसे हुई किसी नियोजन क्षति के परिणामस्वरूप हुई निःशक्तता से ग्रस्त है और जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए प्राधिकारी ने ऐसे संदायों के लिए पात्र प्रमाणित किया हो ;

(घ) किसी ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के, जो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के रूप में उसे हुई किसी नियोजन—क्षति के परिणामस्वरूप मर जाता है, ऐसे आश्रितों को कालिक संदाय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् आश्रित—प्रसुविधा कहा गया है) जो इस अध्याय के अधीन हकदार है ;

(ङ) बीमाकृत व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या (जिसे इसमें इसके पश्चात् चिकित्सा—प्रसुविधा कहा गया है) ; और

(च) मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर व्यय के लिए ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के, जो मर गया है, कुटुंब के ज्येष्ठतम उत्तरजीवी सदस्य को, या जहां बीमाकृत व्यक्ति का कोई कुटुंब नहीं था या वह अपनी मृत्यु के समय अपने कुटुंब के साथ नहीं रह रहा था वहां उस व्यक्ति को, जो मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर वस्तुतः व्यय उपगत करता है, संदाय जिसे अंत्येष्टि व्यय के रूप में जाना जाएगा :

परंतु इस खंड के अधीन ऐसे संदाय की रकम ऐसी रकम से अधिक नहीं होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और ऐसे संदाय के लिए दावा, बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के तीन मास के भीतर या ऐसी विस्तारित कालावधि के भीतर, जिसे निगम या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकारी या प्राधिकारी अनुज्ञात करे, किया जाएगा।

(2) निगम, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों में अधिकथित की जाए, चिकित्सा-प्रसुविधा बीमाकृत व्यक्ति के कुटुंब के लिए भी विस्तारित कर सकेगा।

(3) किसी व्यक्ति की बीमारी प्रसुविधा, प्रसूति प्रसुविधा, दिव्यांगता प्रसुविधा और आश्रित प्रसुविधा की अर्हता और ऐसी शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसी प्रसुविधा दी जा सकेगी तथा उसकी दर और अवधि वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(4) इस संहिता के उपबंधों के और इस अध्याय के संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए निगम, इस अध्याय के अधीन संदेय प्रसुविधाओं के प्रोद्भूत होने और उनके संदाय से संबंधित या उनके आनुषंगिक किसी विषय के संबंध में विनियम बना सकेगा।

**33.** निगम, बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए और उन बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्नियोजन के लिए, जो दिव्यांग और क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उपाय इस अध्याय में विनिर्दिष्ट प्रसुविधाओं के अतिरिक्त संप्रवर्तित कर सकेगा और ऐसे उपायों के बारे में व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निधि में से ऐसी परिसीमाओं के भीतर उपगत कर सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य, आदि के लिए उपायों को संप्रवर्तित करने की निगम की शक्ति।

**34.** (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारी के नियोजन के अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना के बारे में, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में, यह उपधारणा की जाएगी कि वह दुर्घटना भी उस नियोजन से उद्भूत हुई है।

नियोजन के अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना के बारे में उपधारणा।

(2) कर्मचारी को किसी ऐसे परिसर में या परिसर के आस-पास, जहां वह अपने नियोजन के व्यापार या कारबार के प्रयोजन के लिए तत्समय नियोजित है, हुई दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है, यदि वह तब घटित होती है, जब वह उन परिसरों में वास्तविक या अनुमित आपात होने पर, ऐसे व्यक्तियों को, जो क्षतिग्रस्त हैं या जोखिम में पड़ गए हैं, या वैसे समझे जाते हैं, या जिनके विषय में यह समझा जाता है कि वे संभवतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं या जोखिम में पड़ गए हैं, बचाने, उन्हें सहायता देने या उनके संरक्षण के लिए या संपत्ति को गंभीर नुकसान से बचाने या ऐसा नुकसान कम से कम करने के लिए, कदम उठा रहा है।

(3) किसी कर्मचारी के साथ, कर्तव्य के लिए उसके निवास से नियोजन के स्थान तक आते समय या कर्तव्य पालन करने के पश्चात् नियोजन के स्थान से उसके निवास तक जाते समय होने वाली किसी दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह नियोजन से या उसके अनुक्रम में हुई है यदि उन परिस्थितियों, समय और स्थान, जिस पर दुर्घटना हुई है और नियोजन के बीच संबंध स्थापित हो जाता है।

(4) कर्मचारी के किसी यान द्वारा अपने काम के स्थान को या उससे, नियोजक की अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से यात्री के रूप में यात्रा करते समय हुई दुर्घटना के बारे में, इस बात के होते हुए भी कि वह उस यान से यात्रा करने के लिए अपने नियोजक के प्रति किसी बाध्यता के अधीन नहीं है, यह समझा जाएगा कि वह दुर्घटना उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है, यदि,—

(क) दुर्घटना इस प्रकार उद्भूत हुई उस दशा में समझी जाती जिसमें कि वह ऐसी बाध्यता के अधीन होता ; और

(ख) दुर्घटना के समय, यान—

(i) नियोजक द्वारा या उसकी ओर से या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें उसका उपबंध उस व्यक्ति के नियोजक के साथ किए गए किसी ठहराव के अनुसरण में किया गया है; और

(ii) लोक परिवहन सेवा के मामूली अनुक्रम में नहीं चलाया जा रहा है।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा में "यान" के अंतर्गत जलयान और वायुयान आते हैं।

विधि, आदि के भंग में कार्य करते समय घटित होने वाली दुर्घटनाएं।

**35.** इस बात के होते हुए भी कि दुर्घटना के समय कर्मचारी उसे लागू किसी विधि के उपबंधों के या उसके नियोजक द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किन्हीं आदेशों के उल्लंघन में कार्य कर रहा है या अपने नियोजक के अनुदेशों के बिना कार्य कर रहा है, दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह कर्मचारी के नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है, यदि—

(क) दुर्घटना इस प्रकार उद्भूत हुई उस दशा में समझी जाती जिसमें कि कार्य, यथास्थिति, यथापूर्वोक्त उल्लंघन में या अपने नियोजक से अनुदेशों के बिना न किया गया होता; और

(ख) कार्य, नियोजक के व्यापार या कारबार के प्रयोजनार्थ और उसके संबंध में किया जाता है।

उपजीविकाजन्य रोग।

**36. (1)** यदि तृतीय अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित किसी कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस भाग में ऐसे उपजीविकाजन्य रोग के रूप में विनिर्दिष्ट है, जो उस नियोजन में विशिष्टतः होता है या यदि अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट नियोजन में छह मास से अन्यून की निरंतर कालावधि तक नियोजित कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस भाग में ऐसे उपजीविकाजन्य रोग के रूप में विनिर्दिष्ट है, जो उस नियोजन में विशिष्टतः होता है या यदि उस अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में, ऐसी निरंतर कालावधि तक जैसी निगम विनियमों द्वारा ऐसे प्रत्येक नियोजन के बारे में विनिर्दिष्ट करें, नियोजित कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस भाग में ऐसे उपजीविकाजन्य रोग के रूप में विनिर्दिष्ट है, जो उस नियोजन में विशिष्टतः होता है तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह समझा जाएगा कि रोग का लग जाना नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत "नियोजन क्षति" है।

(2) उपधारा (1) द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, किसी रोग के लिए कोई भी प्रसुविधा कर्मचारी को तब तक संदेय न होगी जब तक रोग उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा हुई किसी विनिर्दिष्ट क्षति के फलस्वरूप प्रत्यक्षतः हुआ न माना जा सकता हो।

(3) धारा 34 की उपधारा (1) के उपबंध ऐसी दशा में लागू नहीं होंगे जिन्हें यह धारा लागू होती है।

चिकित्सा बोर्ड के प्रतिनिर्देश।

**37. (1)** यह प्रश्न कि—

(क) सुसंगत दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी निःशक्तता हुई है ; अथवा

(ख) उपार्जन—सामर्थ्य की हानि का परिमाण अनंतिम रूप से या अंतिम रूप से निर्धारित किया जा सकता है ; अथवा

(ग) उपार्जन—सामर्थ्य की हानि के अनुपात का निर्धारण अनंतिम है या अंतिम ; अथवा

(घ) अनंतिम निर्धारण की दशा में ऐसा निर्धारण कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहेगा,

विनियमों के उपबंधों के अनुसार गठित चिकित्सक बोर्ड ( जिसे इसमें इसके पश्चात् चिकित्सक बोर्ड कहा गया है) द्वारा अवधारित किया जाएगा और ऐसा प्रश्न इसके पश्चात् “दिव्यांगता का प्रश्न” कहा जाएगा।

(2) स्थायी दिव्यांगता—प्रसुविधा के लिए किसी बीमाकृत व्यक्ति का मामला दिव्यांगता के प्रश्न को अवधारित करने के लिए निगम द्वारा चिकित्सक बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा और यदि, उस या किसी उत्तरवर्ती निर्देश पर अनंतिम रूप से यह निर्धारित कर लिया जाता है कि बीमाकृत व्यक्ति की उपार्जन—सामर्थ्य की कितनी हानि हुई है तो वह प्रश्न उस कालावधि की जो अनंतिम निर्धारण में विचार में ली गई थी, समाप्ति के अनुपरांत पुनः उसी प्रकार चिकित्सक बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा।

(3) इस अध्याय के अधीन चिकित्सक बोर्ड के किसी भी विनिश्चय का किसी भी समय चिकित्सीय बोर्ड द्वारा उस दशा में पुनर्विलोकन किया जा सकेगा जब उसने नए साक्ष्य द्वारा यह समाधान कर लिया हो कि विनिश्चय कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी तात्त्विक तथ्य के अप्रकटन या दुर्ब्यपदेशन (चाहे अप्रकटन या दुर्ब्यपदेशन कपटपूर्ण रहा हो या नहीं) के परिणामस्वरूप दिया गया था।

(4) सुसंगत नियोजन—क्षति के परिणामस्वरूप कितनी दिव्यांगता हुई है इस बात के निर्धारण का भी चिकित्सक बोर्ड द्वारा उस दशा में पुनर्विलोकन किया जा सकेगा जब कि उसने यह समाधान कर लिया हो कि निर्धारण के पश्चात् सुसंगत क्षति के परिणामों में सारवान् और अनवेक्षित अपवृद्धि हुई है:

परंतु इस उपधारा के अधीन निर्धारण का पुनर्विलोकन नहीं होगा जब तक चिकित्सक बोर्ड की यह राय न हो कि निर्धारण द्वारा विचार में ली गई कालावधि को और पूर्वोक्त किसी अपवृद्धि की अधिसंभाव्य अस्तित्वावधि को ध्यान में रखते हुए उसका पुनर्विलोकन न करने से सारवान् अन्याय होगा।

(5) इन विनियमों द्वारा गठित चिकित्सा अपील अधिकरण की इजाजत के बिना, निर्धारण का, उसकी तारीख से पांच वर्ष के पूर्व या अनंतिम निर्धारण की दशा में छह मास के पूर्व किए गए किसी आवेदन पर उपधारा (4) के अधीन पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा और ऐसे पुनर्विलोकन पर उस कालावधि में, जो किसी पुनरीक्षित निर्धारण द्वारा विचार में ली जाएगी, आवेदन की तारीख के पूर्व की कोई कालावधि सम्मिलित नहीं होगी।

(6) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, चिकित्सक बोर्ड पुनर्विलोकन के मामले पर कार्यवाही किसी भी ऐसी रीति से कर सकेगा जिसमें वह उसे मूल निर्देश होने पर कर सकता था, और विशिष्टतः पुनर्विलोकनाधीन निर्धारण के अंतिम होते हुए भी अनंतिम निर्धारण कर सकेगा और उपधारा (2) के उपबंध इस उपधारा के अधीन के पुनर्विलोकन के आवेदन को और ऐसे आवेदन के संबंध में चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय को ऐसे ही लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के अधीन दिव्यांगता—प्रसुविधा के किसी मामले की और ऐसे मामले के संबंध में चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय को लागू होते हैं।

(7)(क) यदि बीमाकृत व्यक्ति या निगम चिकित्सक बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित है तो, यथास्थिति, बीमाकृत व्यक्ति या निगम केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर निम्नलिखित को अपील कर सकेगा:—

- (i) विनियमों के उपबंधों के अनुसार गठित चिकित्सा अपील अधिकरण को; या
- (ii) सीधे कर्मचारी बीमा न्यायालय को :

परंतु किसी बीमाकृत व्यक्ति द्वारा इस उपधारा के अधीन कोई अपील नहीं होगी यदि ऐसे व्यक्ति ने चिकित्सा बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर दिव्यांगता प्रसुविधा के संराशीकरण के लिए आवेदन किया है, और ऐसी प्रसुविधा का संरांशित मूल्य प्राप्त कर लिया गया :

परंतु यह और कि निगम द्वारा इस उपधारा के अधीन कोई अपील नहीं होगी यदि निगम ने चिकित्सा बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर दिव्यांगता प्रसुविधा का संराशित मूल्य संदत्त कर दिया हो।

(ख) जहां उस खंड के उपखंड (ii) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय के बजाय खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन चिकित्सा अपील अधिकरण के समक्ष बीमाकृत व्यक्ति या निगम ने अपील की है वहां वह या निगम का ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील फाइल करने का अतिरिक्त अधिकार होगा।

आश्रित प्रसुविधा।

**38.** (1) यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति इस अध्याय के अधीन कर्मचारी के रूप में उसे हुई किसी नियोजन क्षति के परिणामस्वरूप मर जाता है (चाहे उसे क्षति की बाबत अस्थायी दिव्यांगता के लिए कोई कालिक संदाय मिलता था या नहीं) तो धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (क) और उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट उसके आश्रितों को आश्रित-प्रसुविधा ऐसी दरों पर और ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए संदेय होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(2) यदि बीमाकृत व्यक्ति अपने पीछे यथापूर्वोक्त आश्रितों को छोड़े बिना मर जाता है, तो आश्रित-प्रसुविधा मृतक के अन्य आश्रितों को ऐसी दरों पर और ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए संदत्त की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) इस अध्याय के अधीन आश्रित-प्रसुविधा अधिनिर्णीत करने वाले किसी भी विनिश्चय का किसी भी समय निगम द्वारा उस दशा में पुनर्विलोकन किया जा सकेगा जब उसने नए साक्ष्य द्वारा यह समाधान करा लिया हो कि विनिश्चय दावेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी तात्त्विक तथ्य के अप्रकटन या दुर्व्यपदेशन के (चाहे अप्रकटन का दुर्व्यपदेशन कपटपूर्ण रहा हो या नहीं) परिणामस्वरूप दिया गया था या यह कि विनिश्चय किसी जन्म या मृत्यु के कारण या दावेदार के विवाह या पुनर्विवाह के कारण या अंग-शैथिल्य का अन्त हो जाने के कारण या दावेदार द्वारा पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए जाने पर अब ऐसा नहीं रह गया है जो इस अध्याय के अनुसार हो।

(4) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन पर यह निदेश दे सकेगा कि आश्रित-प्रसुविधा चालू रखी जाए, बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए या बंद कर दी जाए।

चिकित्सा प्रसुविधा।

**39.** (1) बीमाकृत व्यक्ति या (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उसके कुटुंब के लिए भी विस्तारित की गई है वहां) उसके कुटुंब का कोई सदस्य, जिसकी दशा चिकित्सीय उपचार और परिचर्या की अपेक्षा करती है, चिकित्सा-प्रसुविधा पाने का हकदार होगा।

(2) ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा या तो किसी अस्पताल या औषधालय, क्लीनिक या अन्य संस्था में बाह्य रोगी के रूप में उपचार और परिचर्या के रूप में या बीमाकृत व्यक्ति के घर पर जाकर या किसी अस्पताल या अन्य संस्था में अंतःरोगी के रूप में उपचार के रूप में दी जाएगी।

(3) किसी बीमाकृत व्यक्ति और (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उसके कुटुंब तक विस्तारित की गई है वहां) उसको कुटुंब की चिकित्सा-प्रसुविधा का दावा करने की अर्हता और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसी प्रसुविधा दी जा सकेगी, उसका पैमाना और अवधि वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु ऐसे व्यक्ति जिसकी बाबत, इस अध्याय के अधीन संदेय अभिदाय नहीं रह गया है, ऐसी अवधि और रीति से जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाए चिकित्सा प्रसुविधा अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसा बीमाकृत व्यक्ति जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त हो जाता है या समयपूर्व सेवानिवृत्ति

ले लेता है और उसकी पत्नी या उसका पति अभिदाय के संदाय और ऐसी अन्य शर्तों के, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए, चिकित्सा प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होंगे :

परंतु यह भी कि ऐसा बीमाकृत व्यक्ति, जिसका बीमा योग्य नियोजन क्षति के कारण उत्पन्न स्थायी दिव्यांगता के कारण समाप्त हो जाता है, अभिदाय के संदाय और ऐसी अन्य शर्तों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, अधीन रहते हुए, चिकित्सा—प्रसुविधा प्राप्त करता रहेगा :

परन्तु यह भी कि नियोजन क्षति के दौरान बीमाकृत व्यक्ति के लिए चिकित्सीय फायदे अनुदत्त करने की शर्तें वह होंगी जो विनियमों में विनिर्दिष्ट हों।

(4)(क) निगम, उनकी सेवाओं की क्वालिटी में सुधार की दृष्टि से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाएँ जिनके अंतर्गत आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेगा।

(ख) खंड (क) में, निर्दिष्ट आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं के लिए ऐसे समय के लिए और ऐसी शर्तों से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, निगम की सेवा के लिए, अपने विद्यार्थियों से बंधपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट ऐसे आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्था और प्रशिक्षण संस्थान जो निगम द्वारा स्वयं या निगम के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य निकाय द्वारा चलाया जा सकेगा।

**स्पष्टीकरण—**इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “अन्य निकाय” पद से व्यक्तियों का ऐसा संगठन अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार उपधारा (4) में निर्दिष्ट महाविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए समर्थ समझती है।

(6) निगम, बीमाकृत व्यक्तियों के कल्याण के लिए निवारण और रक्षोपाय करने के उद्देश्य से ऐसी शर्तों में जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य और कार्यदशाओं के निर्धारण के लिए ऐसे उपजीविकाजन्य तथा महामारी विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण और अध्ययन कर सकेगा।

**40. (1)** राज्य सरकार बीमाकृत व्यक्तियों और (जहां ऐसी प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए विस्तारित की गई है वहां) उनके कुटुंबों के लिए राज्य में युक्तियुक्त चिकित्सीय और शल्य तथा प्रसूति चिकित्सा का उपबंध करेगी:

राज्य सरकार या निगम द्वारा चिकित्सीय उपचार का उपबंध।

परंतु राज्य सरकार, निगम के अनुमोदन से, चिकित्सा व्यवसायियों के क्लिनिकों में चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था ऐसे पैमाने पर तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन कर सकेगी जिनका करार हो जाए।

(2) जहां किसी राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों के लिए बीमारी—प्रसुविधा संदाय का आपतन अखिल भारतीय औसत से अधिक पाया जाता है, वहां ऐसे आधिक्य की रकम निगम और राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुपात में बांट ली जाएगी जैसा उनके बीच करार द्वारा नियत किया जाए:

परंतु निगम किसी भी मामले में उस पूरे अंश की या उसके किसी भाग की जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है, वसूली का अधित्यजन कर सकेगा।

(3) निगम, चिकित्सा उपचार जो बीमाकृत व्यक्तियों और (जहां ऐसी चिकित्सा प्रसुविधा कुटुंबों को विस्तारित की जाती है वहां) उनके कुटुंबों (जिसके अन्तर्गत भवनों, उपस्कर, औषधियों और कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था भी है) की प्रकृति और पैमाना के संबंध में तथा उसके खर्च और निगम तथा राज्य सरकार के बीच बीमित व्यक्तियों की बीमारी प्रसुविधा के आपतन में किसी आधिक्य के सहभाजन के लिए राज्य सरकार के साथ करार कर सकेगा।

(4) निगम और किसी राज्य सरकार के बीच यथापूर्वोक्त करार के अभाव में उस चिकित्सीय उपचार की प्रकृति और विस्तार, जिसका राज्य सरकार द्वारा उपबंध किया जाना है और वह अनुपात जिसमें उसके खर्च और बीमारी—प्रसुविधा के आपतन के आधिक्य निगम और उस राज्य सरकार के बीच बांटे जाएंगे, एक मध्यस्थ द्वारा अवधारित किया जाएगा जिसे राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(5) राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन निगम के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बीमारी, प्रसूति और नियोजन क्षति की दशा में कर्मचारियों के लिए कतिपय फायदों का उपबंध करने के लिए ऐसे संगठन (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) की स्थापना कर सकेगी :

परंतु इस अध्याय से संबंधित इस संहिता में राज्य सरकार के प्रति किसी निर्देश में, जब कभी ऐसा संगठन राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, उस संगठन के प्रति निर्देश भी सम्मिलित होगा।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट संगठन की संरचना ऐसी होगी और वह ऐसे कृत्यों का निर्वहन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे क्रियाकलाप करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(7) निगम, राज्य में ऐसे अस्पतालों, औषधालयों और अन्य चिकित्सीय और शल्य चिकित्सीय सेवाओं को, जिन्हें वह बीमाकृत व्यक्तियों और (जहां ऐसी चिकित्सा—प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए विस्तारित की गई है) वहां उनके कुटुंबों के फायदे के लिए ठीक समझे, स्थापित और अनुरक्षित कर सकेगा।

(8) निगम किसी भी क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों (जहां ऐसी चिकित्सा—प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए विस्तारित की गई है) वहां उनके कुटुंबों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध किए जाने और उसके खर्च बांटे जाने के बारे में किसी स्थानीय प्राधिकारी, प्राइवेट निकाय या व्यक्ति के साथ करार कर सकेगा।

(9) निगम, बीमाकृत व्यक्तियों और (जहां ऐसी चिकित्सा—प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए भी विस्तारित की गई है), वहां उनके कुटुंबों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध किए जाने के बारे में तृतीय पक्षकार की भागीदारी के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को चालू करने और उन्हें चलाने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय निकाय या प्राइवेट निकाय के साथ करार भी कर सकेगा।

(10) इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, निगम, राज्य सरकार से परामर्श करके, राज्य के बीमाकृत व्यक्तियों के लिए (जहां ऐसी चिकित्सा—प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए भी विस्तारित की गई है) वहां राज्य में ऐसे बीमाकृत व्यक्तियों के कुटुंबों के लिए, चिकित्सा—प्रसुविधा का उपबंध करने का उत्तरदायित्व इस शर्त के अधीन अपने ऊपर ले सकेगा कि राज्य सरकार ऐसी चिकित्सा—प्रसुविधा का खर्च ऐसे अनुपात में बंटाएगी जैसा राज्य सरकार और निगम के बीच करार हो जाए।

(11) निगम के, उपधारा (10) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने की दशा में इस अध्याय के अधीन उपबंध चिकित्सा—प्रसुविधा के संबंध में यथाशक्य ऐसे लागू होंगे मानो उनमें राज्य सरकार के प्रतिनिर्देश निगम के प्रतिनिर्देश हों।

(12) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, उन राज्यों में अवस्थित स्थापनों के संबंध में, जहां चिकित्सा प्रसुविधा निगम द्वारा दी जाती है, वहां केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार होगी।

फायदों के बारे में साधारण उपबंध।

**41. (1)** विनियमों में यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन अनुज्ञेय किसी दिव्यांगता—प्रसुविधा का एकमुश्त राशि के रूप में संराशीकरण कराने का हकदार नहीं होगा।

(2) विनियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे दिन को जिसको वह काम करता है या छुट्टी या अवकाश पर रहता है, जिसकी बाबत वह मजदूरी पाता या किसी ऐसे दिन को जिसको वह हड़ताल पर रहता है, अस्थायी दिव्यांगता के लिए बीमारी-प्रसुविधा या दिव्यांगता-प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा।

(3) वह व्यक्ति, जो (स्थायी दिव्यांगता के आधार पर अनुदत्त प्रसुविधा से भिन्न) बीमारी-प्रसुविधा या दिव्यांगता-प्रसुविधा पाता है—

(क) इस अध्याय के अधीन उपबंधित औषधालय, अस्पताल, क्लिनिक या अन्य संस्था में चिकित्सीय उपचार के अधीन रहेगा और अपने भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय परिचारक द्वारा दिए गए अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा ;

(ख) उपचाराधीन रहते हुए कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो उसके स्वास्थ्य लाभ की गति को मंद करे या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले;

(ग) उस चिकित्सक अधिकारी, चिकित्सीय परिचारक या अन्य ऐसे प्राधिकारी की, जो विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुज्ञा के बिना वह क्षेत्र नहीं छोड़ेगा जिसमें इस अध्याय द्वारा उपबंधित चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है; और

(घ) सम्यक् रूप से नियुक्त किसी चिकित्सक अधिकारी या निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी स्वयं की परीक्षा किए जाने के लिए अनुज्ञात करेगा।

(4) बीमाकृत व्यक्ति एक ही कालावधि के लिए—

(क) बीमारी-प्रसुविधा और प्रसूति-प्रसुविधा दोनों; अथवा

(ख) बीमारी-प्रसुविधा और अस्थायी दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता-प्रसुविधा दोनों; अथवा

(ग) प्रसूति-प्रसुविधा और अस्थायी दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता-प्रसुविधा दोनों, पाने का हकदार नहीं होगा।

(5) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (4) में वर्णित प्रसुविधाओं में से एक से अधिक का हकदार है, वहां वह यह चयन करने का हकदार होगा कि वह कौन सी प्रसुविधा लेगा।

(6) यदि किसी व्यक्ति की किसी ऐसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है जिसके लिए वह इस अध्याय के अधीन नकद प्रसुविधा का हकदार है तो उसकी मृत्यु के दिन तक की और जिसके अंतर्गत मृत्यु का दिन भी है, ऐसी प्रसुविधा की रकम किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मृत व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया हो या यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है तो मृत व्यक्ति के वारिस या विधिक प्रतिनिधि को दी जाएगी।

(7)(क) इस अध्याय के अधीन आश्रित या दिव्यांगता प्रसुविधा का उपभोग करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति अध्याय 7 के अधीन उसके नियोजक से कर्मचारी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(ख) इस अध्याय के अधीन प्रसूति-प्रसुविधा का उपभोग करने के लिए पात्र कोई स्त्री कर्मचारी अध्याय 6 के अधीन उसके नियोजक से प्रसूति प्रसुविधा का दावा करने की हकदार नहीं होगी।

(8) जहां किसी व्यक्ति ने इस अध्याय के अधीन कोई प्रसुविधा या संदाय तब प्राप्त किया है जब वह विधिपूर्वक उसका हकदार नहीं है तो वह निगम को, ऐसी प्रसुविधा का मूल्य या ऐसे संदाय की रकम का प्रतिदाय करने का दायी होगा या मृत्यु की दशा में उसका विधिक प्रतिनिधि, मृतक की ऐसी आस्तियों से, जो उसको न्यागत हुई हैं, उसका प्रतिदाय करने का दायी होगा।

(9) नकद संदाय से भिन्न प्राप्त किसी प्रसुविधा का मूल्य का अवधारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(10) इस धारा के अधीन वसूली योग्य रकम की वसूली धारा 129 से धारा 132 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी।

जब कोई नियोजक रजिस्टर आदि करने में असफल रहता है तो निगम के अधिकार।

42. (1) यदि कोई नियोजक,—

(क) धारा 28 के अधीन बीमा करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है तो कोई कर्मचारी, अपनी नियुक्ति के समय या ऐसी विस्तारित कालावधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी इस अध्याय के अधीन किसी प्रसुविधा के लिए अपात्र हो गया है ; या

(ख) धारा 28 के अधीन कर्मचारी का ऐसी दुर्घटना की तारीख को या उसके पश्चात् बीमा करता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कर्मचारी को वैयक्तिक क्षति हुई है, जो ऐसे कर्मचारी को, निगम से आश्रित प्रसुविधा या दिव्यांगता प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु निर्हकित बनने में प्रभाव डालती है ; या

(ग) कोई ऐसा अभिदाय देने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है जिसे किसी कर्मचारी की बाबत इस अध्याय के अधीन देने के लिए वह दायी है और ऐसा होने के कारण ऐसा कर्मचारी किसी प्रसुविधा के लिए अनधिकृत हो गया है या किसी निचले पैमाने पर प्रसुविधा का हकदार हो गया है,

तो निगम, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में यह समाधान हो जाने पर कि कर्मचारी को प्रसुविधा देय है, कर्मचारी को उस प्रसुविधा का संदाय ऐसी दर पर कर सकेगा जिसका वह हकदार है या उस दशा में हकदार होता, यदि असफलता या उपेक्षा नहीं हुई होती और निगम, नियोजक से, नियोजक को सुनवाई का अवसर दिए जाने पर कर्मचारी को दी गई प्रसुविधा का, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, संगणित पूंजीकृत मूल्य वसूल करने का हकदार होगा :

परंतु संगणित किए जाने वाले पूंजीकृत मूल्य को किसी ऐसे अभिदाय और ब्याज या नुकसानी के संदाय के लिए समायोजित किया जा सकेगा, जिसका नियोजक, ऐसे अभिदाय के संदाय या असंदाय में विलंब के लिए संदाय का दायी है।

(2) इस धारा के अधीन वसूली योग्य रकम ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो या धारा 129 से धारा 132 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वसूल की जा सकेगी।

कारखानों आदि के स्वामी या अधिभोगी का अत्यधिक बीमारी-प्रसुविधा के लिए दायित्व।

43. (1) जहां निगम यह समझता है कि बीमाकृत व्यक्तियों में बीमारी का आपतन—

(क) किसी कारखाने या अन्य स्थापन में काम करने की अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण या कारखाने या अन्य स्थापन के स्वामी या अधिभोगी द्वारा किन्हीं ऐसे स्वास्थ्य विनियमों का जो उस पर तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन व्यादिष्ट है, अनुपालन करने में उपेक्षा किए जाने के कारण ; या

(ख) बीमाकृत व्यक्तियों के अधिभोग में के किन्हीं वासगृहों या वासों की अस्वच्छ दशाओं के कारण, जो अस्वच्छ दशाएं किन्हीं ऐसे स्वास्थ्य विनियमों की, जिनका अनुपालन करने के लिए वासगृहों या वासों का स्वामी उस पर तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के द्वारा या उसके अधीन व्यादिष्ट है, उस स्वामी द्वारा उपेक्षा किए जाने के कारण मानी जा सकती है,

तो अत्यधिक बढ़ जाता है वहां निगम, यथास्थिति, उस कारखाने या स्थापन के स्वामी या अधिभोगी को या उन वासगृहों या वासों के स्वामी को इस अतिरिक्त व्यय की रकम का संदाय

करने के लिए दावा भेज सकेगा जो बीमारी प्रसुविधा के रूप में निगम ने उपगत किया है; और यदि दावा सहमति द्वारा निपटाया नहीं जाता तो निगम वह मामला, अपने दावे के समर्थन में कथन सहित, समुचित सरकार को निर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) यदि समुचित सरकार की राय हो कि जांच के लिए प्रथमदृष्ट्या कोई मामला बनता है तो वह उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट मामले में जांच करने के लिए सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन ऐसी जांच करने पर, जांच करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि बीमाकृत व्यक्तियों में अत्यधिक बीमारी का आपतन, यथास्थिति, कारखाने या स्थापन के स्वामी या अधिभोगी का या, वासगृहों या वासों के स्वामी द्वारा व्यतिक्रम या उपेक्षा के कारण है तो उक्त व्यक्ति बीमारी प्रसुविधा के रूप में उपगत अतिरिक्त व्यय की रकम को और साथ ही वह व्यक्ति या उन व्यक्तियों जिनके द्वारा ऐसी संपूर्ण राशि या उसका कोई भाग निगम को दिया जाएगा, उसे या उन्हें अवधारित करेगा या करेंगे।

(4) उपधारा (3) के अधीन किया गया अवधारण इस प्रकार प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो वह किसी वाद में सिविल न्यायालय द्वारा पारित धन के संदाय की कोई डिक्री हो।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वासगृहों या वासों के "स्वामी" के अंतर्गत स्वामी का कोई अभिकर्ता और कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जो स्वामी के पट्टेदार के रूप में वासगृहों या वासों का भाटक संग्रहीत करने का हकदार है।

44. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अन्य हिताधिकारियों और उनके कुटुंब के सदस्यों के लिए किसी ऐसे क्षेत्र में निगम द्वारा स्थापित किसी अस्पताल में, जो अल्प उपयोगिता वाला है, उपयोक्ता प्रभारों के संदाय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्कीम बना सकेगी, उसमें संशोधन, परिवर्तन या उसे विखंडित कर सकेगी और ऐसे निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी जिनके अधीन रहते हुए स्कीम प्रवर्तित की जाएगी।

अन्य  
हिताधिकारियों  
के लिए स्कीम।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अन्य हिताधिकारियों" से धारा 28 के अधीन बीमाकृत कर्मचारी से भिन्न व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ख) "अल्प उपयोगिता अस्पताल" से ऐसा अस्पताल अभिप्रेत है जिसका धारा 28 के अधीन बीमाकृत कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है ; और

(ग) "उपयोक्ता प्रभार" से वह रकम अभिप्रेत है जो ऐसी चिकित्सा सुविधाओं के लिए जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, अन्य हिताधिकारियों से प्रभारित की जानी है।

45. (1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, असंगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों तथा उनके कुटुंब के सदस्यों के लिए निगम द्वारा, इस अध्याय के अधीन अनुज्ञेय प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कीम विरचित कर सकेगी।

असंगठित कर्मकारों,  
गिग कर्मकारों और  
प्लेटफार्म कर्मकारों के  
लिए स्कीम।

(2) अभिदाय, उपयोक्ता प्रभार, प्रसुविधाओं का पैमाना, अर्हता और पात्रता शर्तें और अन्य ऐसे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए स्कीम प्रवर्तित की जा सकेगी, वह होगी, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए।

46. समुचित सरकार, निगम से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के किसी कारखाने या अन्य स्थापन को, इस अध्याय के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी यदि ऐसे कारखाने या

सरकार या किसी  
स्थानीय प्राधिकारी  
के कारखानों या अन्य  
स्थापनों को छूट।

अन्य स्थापन में के कर्मचारी, इससे अन्यथा, इस अध्याय के अधीन सारभूत रूप से समरूप या उनसे उच्चतर प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।

निगम को शोध्य अभिदायों, आदि को अन्य ऋणों पर पूर्विकता प्राप्त होना।

कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन।

47. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन शोध्य कोई रकम, ऐसे स्थापन की आस्तियों पर भारित होगी जिससे वह संबंधित है और वह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अनुसार पूर्विकता देकर संदत्त की जाएगी।

2016 का 31

48. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक कर्मचारी बीमा न्यायालय गठित करेगी।

(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय उतने न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार ठीक समझे।

(3) कोई भी व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारी है या रह चुका है या जिसे विधि व्यवसायी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव है, कर्मचारी बीमा न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित होगा।

(4) राज्य सरकार दो या अधिक स्थानीय क्षेत्रों के लिए एक ही न्यायालय या एक ही स्थानीय क्षेत्र के लिए दो या अधिक कर्मचारी बीमा न्यायालय नियुक्त कर सकेगी।

(5) जहां एक ही स्थानीय क्षेत्र के लिए एक से अधिक कर्मचारी बीमा न्यायालय नियुक्त किए गए हैं, वहां राज्य सरकार उनके बीच कामकाज का वितरण साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनियमित कर सकेगी।

कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मामलों।

49. (1) यदि निम्नलिखित के बारे में कोई प्रश्न या विवाद या दावा उद्भूत होता है—

(क) कोई व्यक्ति इस अध्याय से संबंधित इस संहिता के अर्थ में कर्मचारी है या नहीं अथवा वह कर्मचारी अभिदाय देने के लिए दायी है या नहीं ; या

(ख) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी की मजदूरी की दर या औसत दैनिक मजदूरी; या

(ग) इस अध्याय के अधीन किसी कर्मचारी की बाबत नियोजक द्वारा संदेय अभिदाय की दर ; या

(घ) वह व्यक्ति, जो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी की बाबत नियोजक है या था ; या

(ङ) इस अध्याय के अधीन किसी प्रसुविधा के लिए किसी व्यक्ति का अधिकार और उसका परिमाण तथा उसकी अस्तित्वावधि ; या

(च) इस अध्याय के अधीन आश्रित प्रसुविधाओं के किसी संदाय के पुनर्विलोकन पर निगम द्वारा जारी किया गया कोई निदेश ; या

(छ) कोई अन्य विषय, जो इस अध्याय से संबंधित इस संहिता के अधीन संदेय या वसूलीय किसी अभिदाय या प्रसुविधा या अन्य शोध्य राशियों की बाबत इस अध्याय से संबंधित नियोजक और निगम के बीच या इस अध्याय से संबंधित नियोजक और संविदाकार के बीच या इस अध्याय से संबंधित किसी व्यक्ति और निगम के बीच या इस अध्याय से संबंधित कर्मचारी और नियोजक या संविदाकार के बीच विवादग्रस्त हो ; या

(ज) इस अध्याय से संबंधित इस संहिता के अधीन नियोजक से अभिदायों की वसूली का दावा ; या

(झ) किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रसुविधाओं के मूल्य या रकम की वसूली के लिए धारा 41 की उपधारा (8) के अधीन उस दशा में दावा जिसमें वह व्यक्ति उनका विधिपूर्ण रूप से हकदार नहीं है ; या

- (ज) नियोजक के विरुद्ध धारा 42 के अधीन दावा ; या
- (ट) अध्याय 4 के संबंध में धारा 126 के अधीन अपील प्राधिकारी का आदेश ; या
- (ठ) इस अध्याय से संबंधित उस संहिता के अधीन किसी संविदाकार से अभिदायों को वसूल करने के लिए नियोजक द्वारा दावा ; या
- (ड) इस अध्याय के अधीन अनुज्ञेय किसी फायदा की वसूली के लिए कोई अन्य दावा,

तो ऐसे विषय का विनिश्चय कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(2) कोई ऐसा मामला, जो किसी नियोजक और निगम के बीच इस अध्याय के अधीन किसी अभिदाय या किसी अन्य देय के बारे में विवादग्रस्त है, नियोजक द्वारा, कर्मचारी बीमा न्यायालय में तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक उसने निगम द्वारा यथा दावाकृत उससे देय रकम का पचास प्रतिशत न्यायालय के पास जमा न कर दिया हो :

परंतु कर्मचारी बीमा न्यायालय, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, इस उपधारा के अधीन जमा की जाने वाली रकम को अधित्यजित या कम कर सकेगा।

(3) किसी भी सिविल न्यायालय को उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट किसी प्रश्न या विवाद का विनिश्चय करने या उस पर कोई कार्यवाही करने की या किसी ऐसे दायित्व पर, जिसका विनिश्चय इस अध्याय से संबंधित इस संहिता द्वारा या उसके अधीन चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाना है, न्यायनिर्णयन देने की अधिकारिता नहीं होगी।

**50.** (1) कर्मचारी बीमा न्यायालय को, साक्षियों को समन करने और उन्हें हाजिर कराने, दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों के प्रकटीकरण और पेश करने को विवश करने, शपथ दिलाने और साक्ष्य अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसा न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

कर्मचारी बीमा न्यायालय की शक्तियां।

1974 का 2

(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

(3) कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष की किसी भी कार्यवाही के आनुषंगिक सभी खर्चे ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, न्यायालय के विवेकाधीन होंगे।

(4) कर्मचारी बीमा न्यायालय का आदेश इस प्रकार प्रवर्तनीय होगा मानो वह किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में पारित डिक्री हो।

**51.** (1) कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के प्रारंभ की रीति, उनकी फीस और प्रक्रिया वह होगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए :

कर्मचारी बीमा न्यायालयों की कार्यवाहियां।

परंतु कर्मचारी बीमा न्यायालय में व्यथित व्यक्ति द्वारा कार्यवाही प्रारंभ के लिए परिसीमा उस तारीख से जिसको वाद हेतुक उद्भूत होता है, तीन वर्ष होगी :

परंतु यह है कि बीमाकृत व्यक्ति या आश्रितों द्वारा, नियोजक से अभिदाय (जिसमें ब्याज और नुकसानी भी है) को वसूल करने के लिए निगम द्वारा दावे के संबंध में "वाद हेतुक का उत्पन्न होना" और संविदाकार से अभिदाय वसूल करने के लिए नियोजक द्वारा दावा और वह समय जिसके भीतर निगम द्वारा नियोजक से ऐसे दावों, वसूली या अभिदाय और संविदाकार से नियोजक द्वारा अभिदाय की वसूली में वे होंगे जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा कर्मचारी बीमा न्यायालय को किए जाने के लिए अपेक्षित कोई आवेदन या उसके समक्ष की जाने के लिए अपेक्षित (किसी व्यक्ति की ऐसी हाजिरी से भिन्न जो

साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा की जाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो) कोई हाजिरी या किए जाने के लिए अपेक्षित कोई कार्य किसी विधि-व्यवसायी द्वारा या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के ऐसे अधिकारी जिसे ऐसे व्यक्ति ने लिखित रूप में प्राधिकृत किया हो या न्यायालय की अनुज्ञा से, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, किया जा सकेगा।

(3) कर्मचारी बीमा न्यायालय कोई भी विधि प्रश्न उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है, तो वह अपने समक्ष लंबित प्रश्न को ऐसे विनिश्चय के अनुसार विनिश्चित करेगा।

उच्च न्यायालय को अपील।

52. (1) उसके सिवाय जैसा कि इस धारा में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(2) यदि कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश, यदि उसमें कोई सारवान् विधि का प्रश्न अंतर्वलित है तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

(3) इस धारा के अधीन कोई अपील, कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी।

(4) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और धारा 12 के उपबंध इस धारा के अधीन की गई अपीलों को लागू होंगे।

1963 का 36

(5) जहां निगम ने कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपस्थित की है वहां वह न्यायालय, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उस आदेश द्वारा संदत्त किए जाने के लिए निर्दिष्ट राशि का संदाय अपील पर विनिश्चय होने तक के लिए रोक सकेगा और यदि उच्च न्यायालय द्वारा उसे ऐसा निदेश दिया जाए तो रोक देगा।

## अध्याय 5

### उपदान

उपदान का संदाय।

53. (1) कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा कर लेने के पश्चात् कर्मचारी के उसके नियोजन के पर्यवसान पर उसको, —

(क) उसकी अधिवर्षिता पर ; या

(ख) उसकी निवृत्ति या पद त्याग पर ; या

(ग) दुर्घटना अथवा रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा दिव्यांगता पर ; या

(घ) नियतकालिक नियोजन के अधीन उसकी संविदा अवधि की समाप्ति पर ; या

(ङ) किसी ऐसी घटना के घटित होने पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए :

परन्तु श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड (च) में यथा परिभाषित श्रमजीवी पत्रकार, इस उपधारा में आने वाला "पांच वर्ष" पद तीन वर्ष समझा जाएगा :

1955 का 45

परन्तु यह और कि पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी करनी आवश्यक नहीं होगी जहां किसी कर्मचारी के नियोजन का अवसान मृत्यु या अक्षमता या नियोजन की निश्चित अवधि के अवसान या किसी ऐसी घटना के घटित होने के कारण हुआ हो, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परन्तु यह भी कि किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, उसे संदेय उपदान उसके नामनिर्देशिती को या, यदि कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है तो, उसके वारिसों को दिया जाएगा, और जहां कोई ऐसा नामनिर्देशिती या वारिस अवयस्क है वहां ऐसे अवयस्क का अंश ऐसे सक्षम प्राधिकारी

के पास जमा किया जाएगा जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, जो उसे ऐसे अवयस्क के फायदे के लिए किसी ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, उस अवयस्क के वयस्कता प्राप्त करने तक, विनिहित करेगा।

(2) नियोजक कर्मचारी को, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए अथवा छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए, संबद्ध कर्मचारी द्वारा अंत में प्राप्त की गई मजदूरी की दर के आधार पर पंद्रह दिन की मजदूरी या ऐसे दिनों की संख्या जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, की मजदूरी की दर पर उपदान का संदाय करेगा :

परंतु मात्रानुपाती दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी की दशा में, दैनिक मजदूरी उसके नियोजन के पर्यवसान के ठीक पूर्ववर्ती तीन मास की कालावधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी की औसत पर संगणित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, किसी अतिकालिक कार्य के लिए संदत्त मजदूरी गणना में नहीं ली जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो मौसमी स्थापन में नियोजित है और जो वर्ष भर इस प्रकार नियोजित नहीं है, नियोजक प्रत्येक मौसम के लिए सात दिन की मजदूरी की दर पर उपदान का संदाय करेगा :

परंतु यह भी कि नियतकालिक नियोजन पर नियोजित किसी कर्मचारी की दशा में या मृत कर्मचारी की दशा में, नियोजक यथा अनुपात आधार पर उपदान का संदाय करेगा।

(3) कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम ऐसी रकम से अधिक नहीं होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

(4) किसी ऐसे कर्मचारी को संदेय उपदान की संगणना के प्रयोजन के लिए, जो अपनी दिव्यांगता के पश्चात्, घटी हुई मजदूरी पर नियोजित किया गया है, उसकी दिव्यांगता के पूर्व की कालावधि के लिए उसकी मजदूरी उसके द्वारा उस कालावधि के दौरान प्राप्त की गई मजदूरी मानी जाएगी और उसकी दिव्यांगता के पश्चात् की कालावधि के लिए उसकी मजदूरी इस प्रकार घटी हुई मजदूरी मानी जाएगी।

(5) इस धारा की कोई बात किसी पंचाट अथवा नियोजक के साथ करार या संविदा के अधीन उपदान के अधिक अच्छे निबंधन प्राप्त करने के कर्मचारी के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(6) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसा कर्मचारी जिसकी सेवाएं, उसके किसी ऐसे कार्य या जानबूझकर किए गए ऐसे लोप अथवा उपेक्षा के कारण, जिनसे नियोजक की संपत्ति की हानि, नुकसान अथवा विनाश हुआ है, समाप्त कर दी गई है, उसका उपदान इस प्रकार हुए नुकसान या हानि की मात्रा तक समपहृत कर लिया जाएगा ;

(ख) कर्मचारी को संदेय उपदान पूर्णतः या भागतः समपहृत किया जा सकेगा—

(i) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उसके बलवात्मक अथवा उपद्रवी आचरण अथवा उसकी ओर से किए गए किसी अन्य हिंसात्मक कार्य के कारण समाप्त कर दी गई हैं, अथवा

(ii) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं किसी ऐसे किसी कार्य के कारण समाप्त कर दी गई हैं जो नैतिक अधमता वाला अपराध गठित करता है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा अपराध उसके द्वारा अपने नियोजन के दौरान किया जाता है।

**स्पष्टीकरण 1**—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारी के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए है और

जो किसी अन्य अधिनियम द्वारा या उपदान संदाय का उपबंध करने वाले किसी नियम द्वारा शासित होता है।

**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, दिव्यांगता से, ऐसी दिव्यांगता के परिणामस्वरूप कार्य के लिए किसी कर्मचारी की असमर्थता के रूप में ऐसी दिव्यांगता अभिप्रेत है, जिसको करने के लिए वह दुर्घटना या बीमारी से पहले समर्थ था।

**स्पष्टीकरण 3**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी मासिक दर पर मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी की दशा में पंद्रह दिनों की मजदूरी की मासिक दर को, छब्बीस से भाग करके और भागफल को पंद्रह से गुणा करके परिकलित किया जाएगा।

निरंतर सेवा।

**54.** इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी कालावधि के लिए निरंतर सेवा में है, यदि वह उस कालावधि के लिए, अविच्छिन्न सेवा में रहा है, जिसके अंतर्गत वह सेवा भी है जो बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, छुट्टी के बिना कर्तव्य से अनुपस्थिति (जो ऐसी अनुपस्थिति नहीं है जिसके संबंध में स्थापन के कर्मचारियों को शासित करने वाले स्थायी आदेशों, नियमों या विनियमों के अनुसार अनुपस्थिति को सेवा में भंग के रूप में मानने वाला कोई आदेश पारित किया गया है), कामबंदी, हड़ताल या तालाबंदी अथवा ऐसे कार्यावरोध, जो कर्मचारी की किसी त्रुटि के कारण न हो, से विच्छिन्न हुई हो, चाहे ऐसी अविच्छिन्न या विच्छिन्न सेवा इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् की गई हो ;

(आ) जहां कोई कर्मचारी (जो किसी मौसमी स्थापन में नियोजित कर्मचारी नहीं है) एक वर्ष या छह मास की किसी कालावधि के लिए खंड (अ) के अर्थ में निरंतर सेवा में नहीं है वहां उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह नियोजक के अधीन —

(क) एक वर्ष की उक्त कालावधि के लिए निरंतर सेवा में है यदि उस कर्मचारी ने उस तारीख के, जिसके प्रतिनिर्देश से संगणना की जानी है, पूर्ववर्ती बारह कैलेंडर मास की कालावधि के दौरान नियोजक के अधीन —

(i) उस कर्मचारी की दशा में, जो किसी खान में भूमि के नीचे या किसी ऐसे स्थापन में नियोजित है, जो एक सप्ताह में छह दिन से कम के लिए कार्य करता है, कम से कम एक सौ नब्बे दिन के लिए ; और

(ii) किसी अन्य दशा में, कम से कम दो सौ चालीस दिन के लिए, वास्तव में कार्य किया है ;

(ख) छह मास की उक्त कालावधि के लिए, निरंतर सेवा में है यदि उस कर्मचारी ने उस तारीख के, जिसके प्रतिनिर्देश से संगणना की जानी है, पूर्ववर्ती छह कैलेंडर मास की कालावधि के दौरान नियोजक के अधीन —

(i) उस कर्मचारी की दशा में, जो किसी खान में भूमि के नीचे या किसी ऐसे स्थापन में नियोजित है, जो एक सप्ताह में छह दिन से कम के लिए कार्य करता है, कम से कम पचानवे दिन के लिए ; और

(ii) किसी अन्य दशा में, कम से कम एक सौ बीस दिन के लिए, वास्तव में कार्य किया है ;

**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उन दिनों की संख्या में, जिनमें किसी कर्मचारी ने नियोजक के अधीन वास्तव में कार्य किया है, वे दिन भी सम्मिलित होंगे जिनमें —

1946 का 20

1947 का 14

(i) वह किसी करार के अधीन या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन बनाए गए स्थायी आदेशों द्वारा यथा अनुज्ञात, या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन, या स्थापन को लागू किसी अन्य विधि के अधीन कामबंदी पर रहा है ;

(ii) वह, पूर्ववर्ष में अर्जित, पूर्ण मजदूरी सहित छुट्टी पर रहा है ;

(iii) वह उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में होने वाली दुर्घटना से कारित अस्थायी दिव्यांगता के कारण अनुपस्थित रहा है ; और

(iv) किसी महिला की दशा में, वह प्रसूति छुट्टी पर रही है, किंतु ऐसा तब जब ऐसी प्रसूति छुट्टी की कुल कालावधि छब्बीस सप्ताह से अधिक नहीं है ;

(इ) जहां कोई कर्मचारी, जो मौसमी स्थापन में नियोजित है, एक वर्ष या छह मास की किसी कालावधि के लिए खंड (अ) के अर्थ में निरंतर सेवा में नहीं है वहां वह नियोजक के अधीन ऐसी कालावधि के लिए निरंतर सेवा में समझा जाएगा यदि उसने उन दिनों के, जिनमें स्थापन ऐसी कालावधि के दौरान चालू था, कम से कम पचहत्तर दिन वास्तव में कार्य किया है।

55. (1) प्रत्येक कर्मचारी जिसने सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया है, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, नामनिर्देशन करेगा।

नामनिर्देशन।

(2) कर्मचारी, अपने नामनिर्देशन में, इस अध्याय के अधीन उसे संदेय उपदान की रकम, एक से अधिक नामनिर्देशिती के बीच वितरित कर सकेगा।

(3) यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी का कोई कुटुंब है तो नामनिर्देशन उसके कुटुंब के एक अथवा अधिक सदस्यों के पक्ष में किया जाएगा तथा ऐसे कर्मचारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन, जो उसके कुटुंब का सदस्य नहीं है, शून्य होगा।

(4) यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है तो नामनिर्देशन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा किंतु यदि तत्पश्चात् कर्मचारी का कोई कुटुंब हो जाता है, तो ऐसा नामनिर्देशन तत्काल अविधिमान्य हो जाएगा और कर्मचारी, उतने समय के भीतर, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपने कुटुंब के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामनिर्देशन करेगा।

(5) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नामनिर्देशन का उपांतरण, कर्मचारी द्वारा किसी भी समय, नियोजक को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, देने के पश्चात् किया जा सकेगा।

(6) यदि नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है तो नामनिर्देशिती का हित कर्मचारी को प्रतिवर्तित हो जाएगा और कर्मचारी ऐसे हित के संबंध में समुचित सरकार द्वारा, विहित प्ररूप में, नया नामनिर्देशन करेगा।

(7) यथास्थिति, प्रत्येक नामनिर्देशन, नया नामनिर्देशन अथवा नामनिर्देशन में परिवर्तन, कर्मचारी द्वारा अपने नियोजक को भेजा जाएगा जो उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

56. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन उपदान का संदाय प्राप्त करने का पात्र है या उसकी ओर से कार्य करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, नियोजक को, ऐसे उपदान के संदाय के लिए उतने समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, लिखित आवेदन भेजेगा।

उपदान की रकम का अवधारण।

(2) जैसे ही उपदान संदेय हो जाता है नियोजक, चाहे उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन किया गया है अथवा नहीं, उपदान की रकम अवधारित करेगा और उस व्यक्ति को जिसे उपदान संदेय है तथा सक्षम प्राधिकारी को भी इस प्रकार अवधारित उपदान की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित सूचना देगा।

(3) नियोजक उपदान की रकम उस व्यक्ति को जिसको उपदान संदेय है, उपदान संदेय होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदाय करने की व्यवस्था करेगा।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन संदेय उपदान की रकम, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नियोजक द्वारा नहीं दी जाती है तो नियोजक, उस तारीख से जिसको उपदान संदेय होता है उस तारीख से जिसको वह संदत्त किया जाता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दीर्घकालीन निक्षेपों के प्रतिसंदाय के लिए अधिसूचित दर से अनधिक ऐसी दर से, साधारण ब्याज का संदाय करेगा :

परंतु ऐसा कोई ब्याज संदेय नहीं होगा यदि संदाय में विलंब कर्मचारी की चूक के कारण हुआ है और नियोजक ने इस आधार पर विलंबित संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुज्ञा अभिप्राप्त कर ली है।

(5)(क) यदि इस अध्याय के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम के बारे में अथवा उपदान के संदाय के लिए किसी कर्मचारी के किसी दावे की ग्राह्यता के बारे में अथवा उसके संबंध में, अथवा उपदान प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के बारे में कोई विवाद है तो नियोजक, उतनी रकम जितनी कि वह उपदान के रूप में अपनी ओर से संदेय होना स्वीकार करता है, सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कर देगा।

(ख) जहां खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी विषय या किन्हीं विषयों के बारे में कोई विवाद है, वहां नियोजक या कर्मचारी या विवाद उठाने वाला कोई अन्य व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को विवाद का विनिश्चय करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा।

(ग) सक्षम प्राधिकारी, सम्यक् जांच के पश्चात् तथा विवाद के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, विवादग्रस्त विषय या विषयों का अवधारण करेगा, तथा यदि ऐसी जांच के परिणामस्वरूप कोई रकम कर्मचारी को संदेय होना पाई जाती है तो सक्षम प्राधिकारी नियोजक को, यथास्थिति, उतनी रकम का संदाय करने या उतनी रकम का, जितनी नियोजक द्वारा पहले ही जमा की गई रकम को घटा कर आए, संदाय करने का निदेश देगा।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जमा की गई रकम का, जिसके अंतर्गत नियोजक द्वारा जमा की गई अधिक रकम, यदि कोई हों, भी हो, उसके हकदार व्यक्ति को संदाय करेगा।

(ङ) खंड (क) के अधीन रकम जमा किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, सक्षम प्राधिकारी उस जमा रकम का संदाय—

(i) आवेदक को वहां, जहां वह कर्मचारी है ; अथवा

(ii) जहां आवेदक कर्मचारी नहीं है, वहां सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि आवेदक के उपदान की रकम प्राप्त करने के अधिकार के बारे में कोई विवाद नहीं है, कर्मचारी के, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या ऐसे नामनिर्देशिती के संरक्षक या वारिस को, करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन जांच करने के प्रयोजनार्थ, नियंत्रक प्राधिकारी को, निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ—पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

1860 का 45

(7) इस धारा के अधीन कोई जांच, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही होगी।

(8) उपधारा (5) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, समुचित सरकार को, अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील कर सकेगा :

परंतु यदि, यथास्थिति, समुचित सरकार अथवा अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील नहीं कर सका था, तो उक्त सरकार या प्राधिकारी उक्त अवधि को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा :

परंतु यह और कि नियोजक की कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक अपील करने के समय अपीलार्थी या तो सक्षम प्राधिकारी का इस प्रभाव का प्रमाणपत्र पेश नहीं कर देता कि अपीलार्थी ने उसके पास इतनी रकम जमा कर दी है जो उपधारा (5) के अधीन जमा की जाने के लिए अपेक्षित उपदान की रकम के बराबर है, अथवा जब तक वह अपील प्राधिकारी के पास ऐसी रकम जमा नहीं कर देता।

(9) यथास्थिति, समुचित सरकार या अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगा अथवा उलट सकेगा।

1999 का 41

57. (1) ऐसी तारीख से जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन, किसी नियोजक या स्थापन से भिन्न, प्रत्येक नियोजक, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, 1999 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन यथा परिभाषित प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी बीमा कंपनी से इस अध्याय के अधीन उपदान के मद्दे संदाय के लिए अपने दायित्व के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में बीमा कराएगा :

अनिवार्य बीमा।

परंतु भिन्न-भिन्न स्थापनों या स्थापनों के वर्ग के लिए अथवा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

(2) समुचित सरकार, ऐसी शर्तों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक नियोजक को, जिसने अपने कर्मचारियों की बाबत पहले ही अनुमोदित उपदान निधि की स्थापना कर ली हो और जो ऐसी व्यवस्था चालू रखना चाहता है और ऐसे प्रत्येक नियोजक को जिसने पांच सौ या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित किए हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में अनुमोदित उपदान निधि की स्थापना करता है, उपधारा (1) के उपबंधों से छूट दे सकेगी।

(3) इस धारा के उपबंधों के प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नियोजक, उतने समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपने स्थापन को समुचित सरकार द्वारा विहित रीति में सक्षम प्राधिकारी के पास रजिस्टर कराएगा और किसी भी नियोजक को इस धारा के उपबंधों के अधीन तब तक रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा न करा लिया हो या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुमोदित उपदान निधि की स्थापना न कर ली हो।

(4) समुचित सरकार, अनुमोदित उपदान निधि के न्यासी बोर्ड की संरचना के लिए और ऐसे किसी बीमाकर्ता से, जिससे, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन बीमा कराया गया है, या अनुमोदित उपदान निधि न्यासी बोर्ड से, किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम की सक्षम

प्राधिकारी द्वारा वसूली किए जाने के लिए ऐसी रीति में जो विहित की जाएं, उपबंध किया जा सकेगा।

(5) जहां कोई नियोजक उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा के संबंध में प्रीमियम के रूप में या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुमोदित उपदान निधि के अभिदाय के रूप में कोई संदाय करने में असफल रहता है, तो वह इस अध्याय के अधीन देय उपदान की रकम (जिसके अंतर्गत विलंबित संदायों के लिए ब्याज, यदि कोई है, भी है) तुरंत सक्षम प्राधिकारी को संदाय करने का दायी होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा में “अनुमोदित उपदान निधि” का वही अर्थ है जो उसका आय—कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (5) में है।

1961 का 43

सक्षम प्राधिकारी।

**58.** (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी अर्हताएं और अनुभव वाले उस सरकार के किसी अधिकारी को, जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अध्याय के किसी उपबंध के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) जहां किसी क्षेत्र के लिए एक से अधिक सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है वहां समुचित सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उनके बीच कारबार के वितरण को विनियमित कर सकेगी।

(3) कोई सक्षम प्राधिकारी, इस अध्याय के अधीन विनिश्चय के लिए उसे निर्दिष्ट किसी विषय का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, उससे संबंधित जांच करने में उसकी सहायता करने के लिए निर्देशाधीन विषय से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा।

## अध्याय 6

### प्रसूति प्रसुविधा

कतिपय कालावधियों के दौरान स्त्रियों का नियोजन या उनके द्वारा काम का किया जाना प्रतिषिद्ध किया जाना।

**59.** (1) कोई भी नियोजक स्थापन में किसी स्त्री को उसके प्रसव, गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अव्यवहित पश्चात्पूर्वी छह सप्ताह के दौरान जानते हुए नियोजित न करेगा।

(2) कोई भी स्त्री अपने प्रसव, गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अव्यवहित पश्चात्पूर्वी छह सप्ताह के दौरान किसी स्थापन में काम नहीं करेगी।

(3) धारा 62 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी गर्भवती स्त्री से इस निमित्त उसके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान, उसके नियोजक द्वारा कोई ऐसा काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, जो कठिन प्रकृति का हो या जिसमें दीर्घकाल तक खड़ा रहना अन्तर्वलित हो या जिससे उसके गर्भवतित्व में या भ्रण के प्रसामान्य विकास में किसी भी प्रकार विघ्न होना संभाव्य हो या जिससे उसका गर्भपात कारित होना या अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि निम्नलिखित होगी—

(क) उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख के पूर्व के छह सप्ताह की कालावधि के अव्यवहित पूर्वपूर्वी एक मास की कालावधि ;

(ख) उक्त छह सप्ताह की कालावधि के दौरान की कोई कालावधि जिसके लिए वह गर्भवती स्त्री अनुपस्थिति की छुट्टी का उपभोग धारा 62 के अधीन नहीं करती।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद “कठिन प्रकृति का कोई कार्य” से कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिससे श्रम शाध्य उद्यम अन्तर्वलित या अपेक्षित है अथवा कठिन है और प्रकृति से थका देने वाला है।

**60. (1)** इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक स्त्री अपनी वास्तविक अनुपस्थिति की कालावधि, अर्थात् अपने प्रसव के दिन के अव्यवहित पूर्ववर्ती कालावधि, अपने प्रसव के वास्तविक दिन और उस दिन की अव्यवहित पश्चात्पूर्ती किसी कालावधि के लिए औसत दैनिक मजदूरी की दर पर प्रसूति प्रसुविधा के संदाय की हकदार होगी और उसका नियोजक उसके लिए दायी होगा।

प्रसूति प्रसुविधा के संदाय के लिए अधिकार।

2019 का 29

**स्पष्टीकरण—**इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "औसत दैनिक मजदूरी" से उस तारीख के, जिससे वह स्त्री प्रसूति के कारण अनुपस्थित होती है, अव्यवहित पूर्ववर्ती तीन कैलेंडर मासों की कालावधि के दौरान के उन दिनों के लिए जिन दिनों उसने काम किया है, उसको संदेय उसकी मजदूरी को ऐसा औसत अभिप्रेत है जो मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन नियत या पुनरीक्षित मजदूरी की न्यूनतम दर के अधीन है।

(2) कोई भी स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की तब तक हकदार न होगी, जब तक उसने अपने प्रत्याशित प्रसव की तारीख के अव्यवहित पूर्ववर्ती बारह मासों में अस्सी दिन से अन्धूनी की कालावधि—पर्यंत, उस नियोजक के, जिससे प्रसूति प्रसुविधा का वह दावा करती है, किसी स्थापन में वस्तुतः काम न किया हो।

**स्पष्टीकरण—**इस उपधारा के अधीन, उन दिनों की जिन दिनों स्त्री ने स्थापन में वस्तुतः काम किया है, संगणना करने के प्रयोजनार्थ, उन दिनों को गणना में लिया जाएगा जिन दिनों उसके प्रसव की प्रत्याशित तारीख के अव्यवहित पूर्ववर्ती बारह मास की कालावधि के दौरान उसकी कामबंदी की गई हो या वह ऐसे अवकाश पर हो जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजदूरी सहित अवकाश घोषित किया गया हो।

(3) अधिकतम अवधि, जिसके लिए कोई स्त्री प्रसूति फायदे के लिए दायी होगी, छब्बीस सप्ताह होगी, जिसमें से उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से पूर्व अवधि आठ सप्ताह की अवधि से अधिक नहीं होगी :

परन्तु दो और अधिक जीवित बच्चे रखने वाली स्त्री प्रसूति फायदे के लिए अधिकतम बारह सप्ताह के लिए होगी, जिसमें से उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से पूर्व अवधि छह सप्ताह की अवधि से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां किसी स्त्री की इस अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, वहां प्रसूति फायदे उसकी मृत्यु के दिन तक और उस दिन को सम्मिलित करते हुए दिनों तक के लिए ही संदेय होंगे :

परन्तु यह भी कि जहां स्त्री ने बालक को जन्म दिया है, उसकी प्रसव के दौरान या उसके प्रसव की तारीख के ठीक पश्चात् अवधि, जिसके लिए वह प्रसूति फायदे के लिए हकदार है, दोनों मामलों में से किसी भी मामले में बालक को छोड़कर मृत्यु हो जाती है, नियोजक संपूर्ण अवधि के लिए प्रसूति फायदे के लिए दायी होगा, किंतु यदि बालक की भी उक्त अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो बालक की मृत्यु की तारीख को सम्मिलित करते हुए दिनों तक के लिए दायी होगा।

**स्पष्टीकरण—**इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "बालक" में मृतजात शिशु सम्मिलित है।

(4) कोई स्त्री, जो विधिमान्य रूप से तीन मास से कम आयु का दत्तक ग्रहण करती है या कोई कमीशनिंग माता, उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, दत्तक माता या कमीशनिंग माता को शिशु सौंपा जाता है, बारह सप्ताह की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी।

(5) उस दशा में, जहां किसी स्त्री को सौंपा गया कार्य ऐसी प्रकृति का है कि वह घर से कार्य कर सकती है वहां नियोजक उसे प्रसूति प्रसुविधा उपभोग करने के पश्चात् ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जिन पर नियोजक और स्त्री की पारस्परिक सहमति हो ऐसा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

कुछ दशाओं में प्रसूति प्रसुविधा का बना रहना।

**61.** इस अध्याय के अधीन प्रसूति प्रसुविधा के संदाय की हकदार हर स्त्री, उस कारखाने या अन्य स्थापन को जिसमें वह नियोजित है, अध्याय 4 के लागू होते हुए भी, तब तक पूर्ववत् हकदार बनी रहेगी जब तक वह धारा 32 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का दावा करने के लिए अर्हित न हो जाए।

प्रसूति प्रसुविधा के दावे की सूचना और उसका संदाय।

**62.** (1) किसी स्थापन में नियोजित और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री अपने नियोजक को ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, यह कथन करते हुए लिखित सूचना दे सकेगी कि उसकी प्रसूति प्रसुविधा और कोई अन्य रकम, जिसकी वह इस अध्याय के अधीन हकदार हो, उसे या उस व्यक्ति को, जिसे वह सूचना में नामनिर्देशित करे संदत्त की जाए और यह कि वह उस कालावधि के दौरान जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करती है किसी स्थापन में कार्य नहीं करेगी।

(2) ऐसी स्त्री की दशा में, जो गर्भवती है, ऐसी सूचना में वह तारीख कथित होगी जिससे वह काम से अनुपस्थित रहेगी और वह तारीख उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से छह सप्ताह के पूर्वतर की नहीं होगी।

(3) कोई स्त्री जिसने तब सूचना न दी हो जब वह गर्भवती थी, प्रसव के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसी सूचना दे सकेगी।

(4) उस सूचना की प्राप्ति पर, नियोजक उस स्त्री को यह अनुज्ञा देगा कि वह उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करती है स्थापन से अनुपस्थित रहे।

(5) किसी स्त्री के प्रत्याशित प्रसव की तारीख की पूर्ववर्ती कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की रकम, इस बात के लिए कि वह स्त्री गर्भवती है, ऐसे सबूत के जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, पेश किए जाने पर, उस स्त्री को नियोजक द्वारा अग्रिम दी जाएगी, और पश्चात्पूर्वी कालावधि के लिए देय रकम, इस बात के लिए कि उस स्त्री ने बालक को जन्म दिया है ऐसे सबूत के जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, पेश किए जाने के अड़तालीस घंटों के अंदर उस स्त्री को नियोजक द्वारा संदत्त की जाएगी।

(6) इस धारा के अधीन सूचना न दे पाना किसी स्त्री को इस अध्याय के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य रकम के हक से वंचित न करेगा यदि वह ऐसी प्रसुविधा या रकम के लिए अन्यथा हकदार हो और ऐसे किसी मामले में निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता या तो स्वप्रेरणा से या उसको उस स्त्री द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसी प्रसुविधा या रकम का संदाय ऐसी कालावधि के अंदर करने का आदेश दे सकता है जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

किसी स्त्री की मृत्यु की दशा में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय।

**63.** यदि इस अध्याय के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य रकम की हकदार किसी स्त्री की ऐसी प्रसूति प्रसुविधा या रकम को प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाए तो, या जहां नियोजक धारा 60 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का दायी हो, वहां नियोजक ऐसी प्रसुविधा या रकम धारा 62 के अधीन दी गई सूचना में स्त्री द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति को, और उस दशा में जब कि कोई ऐसा नामनिर्देशिनी न हो उसके विधिक प्रतिनिधि को, संदत्त करेगा।

चिकित्सीय बोनस का संदाय।

**64.** यदि नियोजक द्वारा प्रसवपूर्व रखने और प्रसवोत्तर देखरेख की कोई भी व्यवस्था निःशुल्क न की गई हो तो इस अध्याय के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार हर स्त्री अपने नियोजक से तीस हजार पांच सौ या ऐसी रकम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, का चिकित्सीय बोनस पाने की भी हकदार होगी।

गर्भपात, आदि की दशा में छुट्टी।

**65.** (1) गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन की दशा में, कोई स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, यथास्थिति, अपने गर्भपात या अपने गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अव्यवहित पश्चात्पूर्वी छह सप्ताह की कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी।

(2) ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया की दशा में, कोई स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपनी ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती दो सप्ताह की कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी।

(3) गर्भावस्था, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म, गर्भपात, गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया से पैदा होने वाली रुग्णता से पीड़ित स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, यथास्थिति, धारा 62 के अधीन या उपधारा (1) के अधीन उसे अनुज्ञात अनुपस्थिति कालावधि के अतिरिक्त, प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित अधिकतम एक मास की कालावधि की छुट्टी की हकदार होगी।

**66.** हर प्रसूता स्त्री को, जो ऐसे प्रसव के पश्चात् काम पर वापस आती है उसे विश्रामार्थ अंतराल के अतिरिक्त, जो उसे अनुज्ञात है अपने दैनिक काम की चर्या में ऐसी कालावधि के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, दो विराम शिशु के पोषण के लिए तब तक अनुज्ञात होंगे, जब तक वह शिशु पंद्रह मास की आयु पूरी न कर ले।

पोषणार्थ विराम।

**67.** (1) ऐसे प्रत्येक स्थापन में, जिसे यह अध्याय लागू होता है, जिसमें पचास कर्मचारी या ऐसी संख्या में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, कर्मचारी नियोजित हैं, ऐसी दूरी के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, पृथक्: या सामान्य सुविधाओं सहित शिशु कक्ष सुविधा होगी :

शिशु कक्ष सुविधा।

परंतु नियोजक, स्त्री द्वारा शिशु कक्ष में दिन में चार बार जाने की अनुज्ञा देगा जिसके अंतर्गत उसे अनुज्ञात विश्राम अंतराल भी होगा :

परंतु यह और कि कोई स्थापन, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका या निजी इकाई की अथवा किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा या किसी अन्य संगठन या स्थापनों के समूह, जो सामान्य शिशु-कक्ष की स्थापना के लिए उनके संसाधनों को ऐसी रीति में, जिस पर वे ऐसे प्रयोजन के लिए सहमत हो, एकत्र कर सकेंगे, द्वारा प्रदान की गई सामान्य शिशु-कक्ष सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

(2) प्रत्येक स्थापन, जिसे यह अध्याय लागू होता है, प्रत्येक स्त्री को लिखित रूप में और इलैक्ट्रानिक रूप में उसकी ऐसे स्थापन में प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस अध्याय के अधीन उपलब्ध प्रत्येक प्रसुविधा के संबंध में सूचित करेगा।

**68.** (1) जब कोई स्त्री काम पर से, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अनुपस्थिति रहती है, तब उसके नियोजक के लिए यह विधिविरुद्ध होगा कि वह उसे ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या कारण उन्मोचित या पदच्युत करे या उसे उन्मोचन या पदच्युति की सूचना ऐसे दिन दे कि वह सूचना ऐसी अनुपस्थिति के दौरान अवसित हो या उसकी सेवा की शर्तों में से किसी में उसके लिए अहितकर रूप में परिवर्तन करे :

गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान पदच्युति।

परंतु किसी स्त्री का, उसकी गर्भावस्था के दौरान किसी समय सेवोन्मुक्त या पदच्युति का प्रभाव उसे प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस से वंचित करना न होगा, यदि वह स्त्री ऐसे उन्मोचन या पदच्युति के अभाव में, इस अध्याय के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस की हकदार होती :

परंतु यह और कि जहां कि पदच्युति किसी ऐसे घोर अवचार के कारण जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, हो वहां नियोजक, स्त्री को संसूचित लिखित आदेश द्वारा उसे प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित कर सकेगा।

(2) प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से, वंचित या उपधारा (1) के अधीन सेवोन्मुक्त या पदच्युत स्त्री, उस तारीख से, साठ दिन के भीतर, जिसको ऐसे वंचित या सेवोन्मुक्त या पदच्युत किए जाने का आदेश उसे संसूचित किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी को, अपील कर

सकेगी और ऐसी अपील पर उस प्राधिकारी का यह विनिश्चय अंतिम होगा कि स्त्री को प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस, या दोनों से, वंचित या सेवोन्मुक्त या पदच्युत किया जाना चाहिए या नहीं।

कतिपय मामलों में मजदूरी में से कटौती का न किया जाना।

69. इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री की प्रसामान्य और प्रायिक दैनिक मजदूरी में से केवल,—

(क) धारा 59 में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर उसे समनुदिष्ट काम की प्रकृति ; या

(ख) धारा 66 के उपबंधों के अधीन उसे शिशु के पोषण के लिए अनुज्ञात विरामों के कारण कोई भी कटौती नहीं की जाएगी।

प्रसूति प्रसुविधा का समपहरण।

70. कोई स्त्री जो उस अवधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए काम करती है जिस अवधि के दौरान उसे इस अध्याय के अधीन उपबंधित प्रसूति प्रसुविधाएं उपभोग करने के लिए नियोजक द्वारा अनुज्ञात किया गया है ऐसी अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगी।

नियोजक का कर्तव्य।

71. इस अध्याय के उपबंधों और इससे संबंधित नियमों के सार को स्थापन के प्रत्येक भाग में जिसमें स्त्री नियोजित है, नियोजक द्वारा सहजदृश्य स्थान में परिक्षेत्र की भाषा या भाषाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।

संदाय किए जाने का निदेश देने की निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्ति।

72. (1) इस बात का दावा करने वाली कोई स्त्री कि—

(क) प्रसूति प्रसुविधा या कोई अन्य रकम, जिसका वह इस अध्याय के अधीन हकदार है, अनुचित रूप से विधारित की गई है, और इस बात का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति कि वह संदाय, जो इस अध्याय के अधीन शोध्य है, अनुचित रूप से विधारित किया गया है ;

(ख) उसके नियोजक ने इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण, उसको सेवोन्मुक्त या पदच्युत कर दिया है,

निरीक्षक-सह-सुकारक को परिवाद कर सकेगी।

(2) निरीक्षक-सह-सुकारक या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवाद की प्राप्ति पर जांच कर सकेगा या करा सकेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि—

(क) संदाय सदोषतः विधारित किया गया है, तो वह लिखित में अपने आदेश के अनुसार संदाय किए जाने का निदेश दे सकेगा ;

(ख) स्त्री को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण सेवोन्मुक्त या पदच्युत किया गया है, तो वह ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित समझा गया हो।

(3) निरीक्षक-सह-सुकारक के उपधारा (2) के अधीन के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको ऐसा विनिश्चय ऐसे व्यक्ति को संसूचित किया जाए तीस दिन के भीतर, अपील समुचित सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी को कर सकेगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन कोई अपील प्राधिकारी को निर्दिष्ट की गई हो, वहां उसका और जहां ऐसी अपील न की गई हो, पूर्विकता प्राप्ता, वहां निरीक्षक-सह-सुकारक का विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय 7

कर्मचारियों के लिए प्रतिकर

73. (1) जहां किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि नियोजक के परिसर में घटित किसी ऐसी दुर्घटना की, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति हो गई हो, सूचना किसी प्राधिकारी को नियोजक द्वारा या उसकी ओर से दी जाए, वहां, वह व्यक्ति, जिससे सूचना देने की अपेक्षा की जाती है, मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति के सात दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें वे परिस्थितियां बताई जाएंगी जिसमें मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति हुई है :

प्राणांतक दुर्घटनाओं और गंभीर शारीरिक क्षतियों की रिपोर्ट।

परंतु जहां राज्य सरकार ने ऐसा विनिर्दिष्ट किया हो, वहां सूचना देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति, ऐसी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को भेजने के बजाय उस प्राधिकारी को भेज सकेगा जिससे सूचना देने के लिए वह व्यक्ति अपेक्षित है।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “गंभीर शारीरिक क्षति” से ऐसी क्षति अभिप्रेत है जिसमें किसी अंग के उपयोग की स्थायी हानि या किसी अंग की स्थायी क्षति अथवा दृष्टि या श्रवण शक्ति की स्थायी हानि या उसे स्थायी क्षति अथवा किसी अंग में अस्थिरंग अथवा क्षत व्यक्ति की अपने काम से बीस दिन से अधिक की कालावधि के लिए मजबूरी के कारण अनुपस्थिति अंतर्वलित है या अंतर्वलित होना पूर्णतः अधिसंभाव्य है।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के उपबंधों का विस्तार, उस उपधारा की परिधि में आने वाले परिसरों से भिन्न परिसरों के किसी वर्ग पर कर सकेगी, और ऐसी अधिसूचना द्वारा उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे।

(3) इस धारा की कोई भी बात उन स्थापनों को लागू नहीं होगी जिसको राज्य कर्मचारी बीमा निगम से संबंधित अध्याय 4 लागू होता है।

74. (1) यदि कर्मचारी को तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध दुर्घटना या उपजीविकाजन्य रोग द्वारा अपने नियोजन से और उनके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा वैयक्तिक क्षति कारित होती है तो उसका नियोजक इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का देनदार होगा :

प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व।

परंतु नियोजक निम्नलिखित के संबंध में दायी नहीं होगा,—

(क) किसी ऐसी क्षति के बारे में जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को तीन दिन से अधिक की कालावधि के लिए पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता नहीं रहती ;

(ख) दुर्घटना द्वारा हुई किसी ऐसी क्षति के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता नहीं हुई है और जो प्रत्यक्षतः इस कारण से हुई मानी जा सकती हो कि—

(i) उसके होने के समय कर्मचारी पर मदिरा या औषधियों का असर था, या

(ii) कर्मचारी का क्षेम सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से दिए गए किसी आदेश या अभिव्यक्त रूप से बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा कर्मचारी द्वारा जानबूझकर की गई थी, अथवा

(iii) कोई ऐसा रक्षोपाय या अन्य युक्ति, जिसके बारे में वह जानता था कि वह कर्मचारी का क्षेम सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उपबंधित की गई है, कर्मचारी द्वारा जानबूझकर हटाई गई थी या उसकी अवहेलना की गई थी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई दुर्घटना या उपजीविकाजन्य रोग के होते हुए भी, कर्मचारी के नियोजन में से और उसके अनुक्रम में उद्भूत समझा जाएगा कि वह उस उपधारा में निर्दिष्ट दुर्घटना के समय या उपजीविकाजन्य रोग से ग्रस्त हुआ है, उसे लागू किसी अन्य विधि के

उपबंधों के उल्लंघन में कार्य किया है या अपने नियोजक द्वारा या उसके निमित्त किसी आदेश या उसके नियोजक से प्राप्त अनुदेशों के बिना कार्य करता है, यदि—

(क) ऐसी दुर्घटना या ऐसे उपजीविकाजन्य रोग से ग्रस्त होने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, पूर्वोक्तानुसार या अपने नियोजक से प्राप्त अनुदेशों के बिना कार्य नहीं किया है ; और

(ख) नियोजक के व्यापार या कारबार के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में कार्य किया है।

(3) यदि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित कर्मचारी तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी रोग से ग्रस्त है, उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग उस नियोजन के सेवा में रहते समय, जिसकी सेवा में वह छह मास से अन्यून निरंतर अवधि तक नियोजित रहा है तब उस रोग के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर्थातर्गत दुर्घटना द्वारा हुई क्षति है और जब तक इसके विपरीत, साबित नहीं कर दिया जाता तब तक दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है।

(4) झूटी के लिए अपने निवास से नियोजन के स्थान तक और झूटी करने के पश्चात् नियोजन के स्थान से अपने निवास तक आते-जाते समय किसी कर्मचारी को होने वाली दुर्घटना हो जाती है तो उसे नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना समझा जाएगा, यदि परिस्थितियों, स्थान और समय के जिनमें दुर्घटना हुई है और उसका नियोजन स्थापित है के बीच अंतर्संबंध है।

(5) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी भी वर्णन के नियोजन को, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना, अधिसूचना द्वारा, देने के पश्चात् दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियोजनों और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपजीविकाजन्य रोग में वैसी ही अधिसूचना द्वारा, उपांतरित या जोड़ सकेगी और इस प्रकार उपांतरित या जोड़े गए नियोजनों के बारे में उन रोगों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके बारे में इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि क्रमशः उन नियोजनों में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग हैं और तदुपरि, उपधारा (2) के उपबंध, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की दशा में, उन राज्यक्षेत्रों के भीतर, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की दशा में, राज्य के भीतर ऐसे लागू होंगे, मानो इस संहिता द्वारा यह घोषित किया गया था कि वे रोग उन नियोजनों में विशिष्टतः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग हैं।

(6) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, किसी दुर्घटना या रोग के संबंध में कोई भी प्रतिकर कर्मचारी को तब तक संदेय न होगा जब तक कि दुर्घटना या रोग उसके नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा हुई किसी विनिर्दिष्ट क्षति के कारण प्रत्यक्षतः हुआ नहीं माना जा सकता।

(7) यदि कर्मचारी ने नियोजक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में किसी दुर्घटना या रोग के लिए नुकसानी के लिए कोई वाद संस्थित कर दिया है तो इसमें की किसी भी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह कर्मचारी को उस दुर्घटना या रोग के लिए प्रतिकर पाने का कोई अधिकार प्रदान करती है, और ऐसी दुर्घटना या रोग के लिए कर्मचारी द्वारा किसी न्यायालय में नुकसानी के लिए कोई भी वाद चलने योग्य नहीं होगा,—

(क) यदि उसने उस दुर्घटना या रोग के बारे में प्रतिकर का कोई दावा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष संस्थित कर दिया है, या

(ख) यदि उस दुर्घटना या रोग की बाबत प्रतिकर के संदाय का उपबंध करने वाले कर्मचारी और उसके नियोजन के बीच कोई करार इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार किया गया है।

75. यदि बागान में नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए घर के ढह जाने के परिणामस्वरूप उसके कुटुंब के किसी कर्मचारी या सदस्य की मृत्यु या क्षति होती है और उस घर का ढह जाना घर के किसी अधिभोगी के उसकी ओर से गलती से या प्राकृतिक विपत्ति के कारण एकमात्र रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हुई नहीं मानी जा सकती है, तो कर्मचारी धारा 76 के अधीन प्रतिकर संदाय के लिए दायी होगा।

बागान में मृत्यु या क्षति की दशा में प्रतिकर।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी कार्य को करने के लिए “कर्मकार” पद से भाड़े या पारिश्रमिक पर, चाहे वह सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से, कुशल, अकुशल, हस्तचालित या लिपकीय और जिसमें एक वर्ष से साठ दिन से अनधिक के लिए संविदा पर नियोजित व्यक्ति भी है, किसी बागान में नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु उसमें निम्नलिखित नहीं है,—

(i) उस बागान में नियोजित चिकित्सा अधिकारी ;

(ii) उस बागान (जिसके अंतर्गत चिकित्सा कर्मचारिवृंद का सदस्य भी है) में ऐसा नियोजित कोई व्यक्ति जिसकी मासिक मजदूरी समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर यथा अवधारित रकम से अधिक है ;

(iii) बागान में प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित कोई व्यक्ति इसके होते हुए भी कि उसकी मासिक मजदूरी समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित रकम से अधिक नहीं है ;

(iv) भवनों, सड़कों, पुलों, नालों और नहरों के सन्निर्माण, विकास या रख रखाव से संबंधित किसी कार्य में बागान में अस्थायी रूप से नियोजित कोई व्यक्ति।

76. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रतिकर की रकम निम्नलिखित होगी, अर्थात् :—

प्रतिकर की रकम।

(क) जहां क्षति के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, वहां मृत कर्मचारी की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम से पचास प्रतिशत के बराबर रकम या केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित रकम, इनमें से जो भी अधिक हो ;

(ख) जहां क्षति के परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण दिव्यांगता हो जाती है, वहां मृत कर्मचारी की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम के साठ प्रतिशत के बराबर रकम या केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित रकम, इनमें से जो भी अधिक हो :

परंतु केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रतिकर की रकम में वृद्धि कर सकेगी।

**स्पष्टीकरण—**खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी के संबंध में, “सुसंगत गुणक” से छठी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट गुणक उसके स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि के सामने के गुणक अभिप्रेत हैं जो वर्षों की उस संख्या को विनिर्दिष्ट करता है, जो कर्मचारी के, प्रतिकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती, उसके अंतिम जन्म दिवस को पूर्ण हुए वर्षों की संख्या के समान है ;

(ग) जहां क्षति के परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक दिव्यांगता हो जाती है :—

(i) ऐसी क्षति की दशा में, जो अनुसूची चार के भाग 2 में विनिर्दिष्ट है, उस प्रतिकर का, ऐसा प्रतिशत, जो स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की दशा में संदेय होता, जो उस क्षति द्वारा कारित उपाजर्जन-सामर्थ्य की हानि के प्रतिशत के रूप में उस भाग में विनिर्दिष्ट है; तथा

(ii) ऐसी क्षति की दशा में, जो अनुसूची चार में विनिर्दिष्ट नहीं है, उस

प्रतिकर का ऐसा प्रतिशत, जो स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की दशा में संदेय होता, जो उस क्षति द्वारा स्थायी रूप से कारित उपार्जन—सामर्थ्य की (चिकित्सा व्यवसायी द्वारा यथा निर्धारित) हानि का आनुपातिक हो।

**स्पष्टीकरण 1—**इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां एक ही दुर्घटना से एक से अधिक क्षतियां होती हैं, वहां इस शीर्षक के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम ली जाएगी किंतु किसी भी दशा में ऐसी नहीं होगी कि वह उस रकम से अधिक हो, जो तब संदेय होती यदि उन क्षतियों के परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण दिव्यांगता हुई होती।

**स्पष्टीकरण 2—**उपखंड (ii) के अधीन उपार्जन सामर्थ्य की हानि का निर्धारण करने में, चिकित्सा व्यवसायी चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भिन्न-भिन्न क्षतियों के संबंध में उपार्जन—सामर्थ्य की हानि के प्रतिशत का सम्यक् ध्यान रखेगा;

(घ) जहां अस्थायी दिव्यांगता चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक क्षति के परिणामस्वरूप, हो जाती है, वहां कर्मचारी की मासिक मजदूरी के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य राशि का अर्ध-मासिक संदाय उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी, भारत के बाहर हुई किसी दुर्घटना के संबंध में किसी कर्मचारी को संदेय प्रतिकर की रकम नियत करते समय, जिसमें दुर्घटना हुई थी, उस देश की विधि के अनुसार, ऐसे कर्मचारी को अधिनिर्णीत की गई प्रतिकर की रकम को, यदि कोई हो, ध्यान में रखेगा और उसके द्वारा नियत की गई रकम में से उस देश की विधि के अनुसार कर्मचारी को अधिनिर्णीत की गई प्रतिकर की रकम को घटा देगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी के संबंध में ऐसी मासिक मजदूरी विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

(4) उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट अर्ध-मासिक संदाय, जो उस दशा में,—

(i) जिसमें ऐसी दिव्यांगता अट्ठाईस दिन या उससे अधिक रहती है, दिव्यांगता की तारीख से ; या

(ii) जिसमें ऐसी दिव्यांगता अट्ठाईस दिन से कम रहती है, दिव्यांगता की तारीख से तीन दिन की प्रतीक्षा कालावधि के अवसान के पश्चात् सौलहवें दिन को और तत्पश्चात् दिव्यांगता के दौरान या पांच वर्ष की कालावधि के दौरान, इनमें से जो भी कालावधि लघुतर हो, आधे-आधे मास पर संदेय होगा :

परंतु—

(क) किसी ऐसी एकमुश्त रकम या अर्ध-मासिक संदायों में से, जिनके लिए कर्मचारी हकदार है, किसी संदाय या भत्ते की वह रकम काट ली जाएगी, जो कर्मचारी ने, यथास्थिति, ऐसी एकमुश्त रकम की या प्रथम अर्ध-मासिक संदाय की प्राप्ति से पूर्व दिव्यांगता की कालावधि के दौरान प्रतिकर के रूप में नियोजक से प्राप्त की है और ऐसे वेतन या भत्ते जिसे कर्मचारी ने अपने चिकित्सीय उपचार के लिए नियोजक से प्राप्त किया है, प्रतिकर के रूप में उसके द्वारा प्राप्त वेतन या भत्ता प्रतिकर नहीं समझा जाएगा;

(ख) कोई भी अर्ध-मासिक संदाय किसी भी दशा में उतनी रकम से, यदि कोई हो, अधिक नहीं होगा, जितनी दुर्घटना के पहले कर्मचारी की मासिक मजदूरी की आधी रकम उस मजदूरी की आधी रकम से अधिक है, जिसे वह दुर्घटना के पश्चात् उपार्जित कर रहा है।

(5) कर्मचारी को, नियोजन के दौरान कारित क्षतियों के उपचार के लिए उसके द्वारा उपगत वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(6) उस तारीख से पहले, जिसको कोई अर्ध-मासिक संदाय शोध्य होता है, दिव्यांगता के न रह जाने पर, उस अर्धमास के संबंध में राशि संदेय होगी जो उस अर्धमास में दिव्यांगता के दौरान अनुपातिक हो।

(7) यदि कर्मचारी को हुई क्षति के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नियोजक, उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसे कर्मचारी की अंत्येष्टि के व्यय के लिए कर्मचारी के सबसे बड़े उत्तरजीवी आश्रित को, अथवा जहां कर्मचारी का कोई आश्रित नहीं है या वह अपनी मृत्यु के समय अपने आश्रितों के साथ नहीं रह रहा था, वहां उस व्यक्ति को, जिसने वास्तव में ऐसा व्यय उपगत किया है, संदाय के लिए पंद्रह हजार रुपए से अन्यून की राशि या ऐसी रकम जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, जमा करेगा :

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर इस उपधारा में विनिर्दिष्ट रकम में वृद्धि कर सकेगी।

77. (1) धारा 76 के अधीन प्रतिकर शोध्य होते ही दे दिया जाएगा।

(2) उन दशाओं में, जब नियोजक प्रतिकर के लिए दायित्व दावाकृत विस्तार तक प्रतिगृहीत नहीं करता है, तब वह दायित्व के विस्तार के आधार पर जिसे वह प्रतिगृहीत करता है, उसका अनन्तिम संदाय करने के लिए वह आबद्धकर होगा और ऐसा संदाय, कोई अतिरिक्त दावा करने के लिए कर्मचारी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षिप्त कर दिया जाएगा या कर्मचारी को किया जाएगा।

(3) जहां कोई नियोजक इस अध्याय के अधीन शोध्य प्रतिकर का उसके शोध्य हो जाने की तारीख से एक मास के भीतर संदाय करने में व्यतिक्रम करता है, वहां सक्षम प्राधिकारी—

(क) यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम के अतिरिक्त ऐसी शोध्य रकम पर ऐसी दर पर ब्याज का संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए; और

(ख) यदि उसकी यह राय है, विलम्ब के लिए कोई औचित्य नहीं है तो, यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम और उस पर ब्याज के अतिरिक्त ऐसी रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा :

परंतु नुकसानी के संदाय के लिए कोई आदेश, खंड (ख) के अधीन नियोजक को यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा कि उसे क्यों न पारित किया जाए।

(4) उपधारा (3) के अधीन संदेय ब्याज और शास्ति, यथास्थिति, कर्मचारी या उसके आश्रित को संदत्त की जाएगी।

78. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "मासिक मजदूरी" पद से एक मास की सेवा के लिए संदेय समझी जाने वाली मजदूरी की रकम (चाहे वह मजदूरी मास के हिसाब से या किसी भी अन्य कालावधि के हिसाब से या मात्रानुपाती दरों से संदेय हो) अभिप्रेत है, और जिसका हिसाब निम्नलिखित रूप से किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) जहां कर्मचारी उस नियोजक की, जो प्रतिकर का देनदार है, सेवा में दुर्घटना से ठीक पहले के बारह मास से अन्यून की निरंतर कालावधि के दौरान रहा है, वहां कर्मचारी की मासिक मजदूरी कुल मजदूरी का बारहवां भाग होगी, जो उस कालावधि के अन्तिम बारह मासों में नियोजक द्वारा उसके लिए संदाय के लिए शोध्य हो गई है ;

(ख) जहां दुर्घटना से ठीक पहले की उस सेवा की संपूर्ण निरंतर कालावधि, जिसके दौरान कर्मचारी उस नियोजक की सेवा में था, जो प्रतिकर का देनदार है, एक मास से कम थी, वहां कर्मचारी की मासिक मजदूरी वह औसत मासिक रकम होगी जिसे उसी

शोध्य हो जाने पर प्रतिकर का दिया जाना और व्यतिक्रम के लिए नुकसानी।

प्रतिकर के प्रयोजनों के लिए मासिक मजदूरी की संगणना करने की पद्धति।

नियोजक द्वारा उसी काम में नियोजित कोई कर्मचारी या यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार नियोजित नहीं था तो उसी परिक्षेत्र में किसी वैसे ही काम में नियोजित कोई कर्मचारी दुर्घटना से ठीक पहले के बारह मास के दौरान उपाजित कर रहा था ;

(ग) अन्य दशाओं में (जिनके अंतर्गत वे दशाएं भी हैं, जिनमें आवश्यक जानकारी के अभाव में खंड (ख) के अधीन मासिक मजदूरी का हिसाब करना संभव नहीं है) मासिक मजदूरी उस नियोजक से, जो प्रतिकर का देनदार है, दुर्घटना से ठीक पहले की सेवा की अंतिम निरंतर कालावधि के लिए उपाजित कुल मजदूरी को ऐसी कालावधि में समाविष्ट दिनों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल की तीस गुनी होगी।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “सेवा की ऐसी कालावधि”, जिसमें काम पर से चौदह दिन से अधिक की अनुपस्थिति कालावधि के लिए विच्छेद नहीं हुआ है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए निरंतर कालावधि समझी जाएगी।

पुनर्विलोकन ।

**79.** (1) पक्षकारों के बीच हुए किसी करार के अधीन या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन, ऐसे अर्ध-मासिक संदाय का पुनर्विलोकन, जो इस अध्याय के अधीन संदेय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा, या तो नियोजक के या कर्मचारी के आवेदन पर, जिसके साथ चिकित्सा व्यवसायी का यह प्रमाणपत्र होगा कि कर्मचारी की दशा में परिवर्तन हो गया है, या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, ऐसे प्रमाणपत्र के बिना किए गए आवेदन पर किया जा सकेगा।

(2) कोई भी अर्ध-मासिक संदाय इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन किए जाने पर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चालू रखा जा सकेगा, बढ़ाया जा सकेगा, घटाया जा सकेगा या समाप्त किया जा सकेगा, या यदि यह पाया जाए कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी दिव्यांगता हो गई है तो, उसे ऐसी एकमुश्त राशि में संपरिवर्तित किया जा सकेगा, जिसका कर्मचारी हकदार है, किंतु उस राशि में से ऐसी रकम कम कर दी जाएगी जो उसे अर्धमासिक संदायों के रूप में पहले ही प्राप्त हो चुकी है।

अर्ध-मासिक संदायों का संराशीकरण ।

**80.** अर्धमासिक संदाय प्राप्त करने के किसी अधिकार का मोचन, पक्षकारों के बीच के करार द्वारा, या यदि पक्षकारों में करार नहीं हो पाता है और संदाय कम से कम छह मास तक किए जाते रहे हैं तो दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को किए गए आवेदन पर, ऐसी एकमुश्त रकम के संदाय द्वारा किया जा सकेगा, जो यथास्थिति, पक्षकारों द्वारा करार पाई जाए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए।

प्रतिकर का वितरण ।

**81.** (1) किसी ऐसे कर्मचारी के बारे में, जिसकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हो गई है, प्रतिकर का कोई भी संदाय और किसी स्त्री को या विधिक दिव्यांगता के अधीन व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में एकमुश्त राशि का कोई भी संदाय सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षेप करने से अन्यथा नहीं किया जाएगा, और सीधे नियोजक द्वारा किए गए किसी ऐसे संदाय के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह प्रतिकर का संदाय है :

परंतु मृत कर्मचारी की दशा में, नियोजक किसी भी आश्रित को ऐसे कर्मचारी की तीन मास की मजदूरी के बराबर रकम के प्रतिकर के मद्दे अग्रिम दे सकेगा और उतनी रकम, जितनी उस आश्रित को संदेय प्रतिकर से अधिक न हो, ऐसे प्रतिकर में से सक्षम प्राधिकारी द्वारा काट ली जाएगी और नियोजक को प्रतिसंदत्त कर दी जाएगी।

(2) पांच हजार रुपए से अन्यून कोई अन्य ऐसी राशि, जो प्रतिकर के रूप में संदेय है, उस व्यक्ति के निमित्त, जो उसका हकदार है, सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षिप्त की जा सकेगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षिप्त किसी प्रतिकर के संबंध में आयुक्त की रसीद पर्याप्त उन्मोचन होगी।

(4)(क) सक्षम प्राधिकारी, किसी मृत कर्मचारी के बारे में प्रतिकर के रूप में उपधारा (1) के अधीन किसी धन के निक्षेप किए जाने पर, यदि वह आवश्यक समझे तो आश्रितों को ऐसी तारीख को, जिसे वह प्रतिकर का वितरण अवधारित करने के लिए नियत करे, अपने समक्ष उपसंजात होने के लिए अपेक्षा करने वाली सूचना का प्रकाशन या हर एक आश्रित पर उसकी तामील ऐसी रीति से कराएगा, जैसी वह उचित समझे।

(ख) यदि सक्षम प्राधिकारी का किसी ऐसी जांच के पश्चात्, समाधान जिसे वह आवश्यक समझे, कि कोई भी आश्रित विद्यमान नहीं है तो वह उस धन का अतिशेष, उस नियोजक को, जिसके द्वारा वह संदत्त किया गया था, प्रतिसंदत्त कर देगा।

(ग) सक्षम प्राधिकारी किए गए, सभी संवितरणों को विस्तारपूर्वक दर्शित करते हुए एक विवरण नियोजक के आवेदन पर देगा।

(5) किसी मृत कर्मचारी के बारे में निक्षिप्त प्रतिकर, उपधारा (1) के अधीन की गई किसी कटौती के अधीन रहते हुए, मृत कर्मचारी के आश्रितों में या उनमें से किन्हीं में ऐसे अनुपात में जिसे सक्षम प्राधिकारी ठीक समझे, सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा प्रभाजित कर दिया जाएगा या सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेकानुसार किसी एक आश्रित को आबंटित किया जा सकेगा :

परंतु सक्षम प्राधिकारी, आश्रितों को सुने बिना, इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं करेगा और, यथास्थिति, आश्रितों में या उनमें से किन्हीं में ऐसे प्रतिकर के प्रभाजन के लिए आदेश में कारणों को अभिलिखित करेगा।

(6) जहां सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षिप्त किया गया कोई प्रतिकर जो विधिक दिव्यांगता के अधीन किसी स्त्री या व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को संदेय है वहां, सक्षम प्राधिकारी, उसके हकदार व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय कर सकेगा।

(7) जहां सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षिप्त कोई एकमुश्त राशि किसी स्त्री या विधिक दिव्यांगता के अधीन व्यक्ति को संदेय है वहां ऐसी राशि उस स्त्री के या ऐसे व्यक्ति की दिव्यांगता के दौरान उस व्यक्ति के फायदे के लिए ऐसी रीति से जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाए, विनिहित की जा सकेगी, उपयोजित की जा सकेगी या अन्यथा बरती जा सकेगी; और जहां कि विधिक दिव्यांगता के अधीन व्यक्ति को कोई अर्ध-मासिक संदाय संदेय है वहां सक्षम प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या इस निमित्त अपने को किए गए किसी आवेदन पर, यह आदेश दे सकेगा कि संदाय उस दिव्यांगता के दौरान कर्मचारी के किसी आश्रित को या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी के कल्याणार्थ उपबंध करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समझे, किया जाए।

(8) जहां इस निमित्त उसको किए गए किसी आवेदन पर या अन्यथा, सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रतिकर के रूप में दी गई किसी राशि के वितरण के संबंध में, या उस रीति के संबंध में, जिसमें ऐसे किसी आश्रित को संदेय कोई राशि विनिहित की जानी, उपयोजित की जानी या अन्यथा बरती जानी है, सक्षम प्राधिकारी के आदेश में फेरफार, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो माता या पिता है, संतान की उपेक्षा के कारण, या किसी आश्रित की परिस्थितियों में फेरफार के कारण, या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से किया जाना चाहिए वहां, सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती आदेश

में फेरफार के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा, जैसा वह मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे :

परंतु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई भी आदेश तब तक न किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति को इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए, और न वह किसी ऐसी दशा में किया जाएगा, जिसमें कि उस आदेश में आश्रित द्वारा किसी ऐसी राशि का प्रतिसंदाय अंतर्वलित होता हो जो उस आश्रित को पहले ही संदत्त की जा चुकी है।

(9) जहां सक्षम प्राधिकारी किसी आदेश में उपधारा (8) के अधीन इस तथ्य के कारण फेरफार करता है कि व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय कपट, प्रतिरूपण या अन्य अनुचित साधनों द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति को या उसके निमित्त इस प्रकार दी गई कोई रकम आगे धारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से वसूल की जा सकेगी।

(10) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट कोई रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा और सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोजन के लिए राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 की धारा 5 के अर्थात्गत लोक अधिकारी समझा जाएगा।

1890 का 1

सूचना और दावा।

**82. (1)** प्रतिकर के लिए कोई भी दावा तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक दुर्घटना की सूचना उसके घटित होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र उस रीति से, जो इसमें इसके पश्चात् उपबंधित की गई है, न दे दी गई हो और जब तक कि दावा दुर्घटना होने के दो वर्ष के भीतर, या मृत्यु हो जाने की दशा में, मृत्यु की तारीख से दो वर्ष के भीतर, उसके समक्ष न कर दिया गया हो :

परंतु जहां दुर्घटना ऐसे किसी रोग के लगने से होती है, जिसके संबंध में धारा 74 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं, वहां दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उन दिनों में से पहले दिन को हुई थी, जिनके दौरान कर्मचारी उस रोग द्वारा कारित दिव्यांगता के परिणामस्वरूप काम पर से निरंतर अनुपस्थित रहा था :

परंतु यह भी कि ऐसा कोई रोग लगने के कारण हुई ऐसी आंशिक दिव्यांगता की दशा में, जो कर्मचारी को काम से अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर नहीं करती, दो वर्ष की कालावधि की गणना उस दिन से की जाएगी जिसको कर्मचारी दिव्यांगता की सूचना अपने नियोजक को देता है :

परंतु यह भी कि यदि कोई कर्मचारी, जो किसी नियोजन में, धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन उस नियोजन के संबंध में विनिर्दिष्ट निरंतर कालावधि के लिए नियोजित किए जा चुकने पर, इस प्रकार नियोजित नहीं रह जाता है और उस नियोजन में विशिष्टतः होने वाले किसी उपजीविकाजन्य रोग के लक्षण नियोजन की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर उसमें विकसित हो जाते हैं, दुर्घटना उस दिन हुई समझी जाएगी जिस दिन उन लक्षणों का पहली बार पता चला था।

(2)(क) यदि दावा, कर्मचारी की ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु के बारे में किया गया है जो नियोजक के परिसर में या किसी ऐसे स्थान में हुई थी, जहां कर्मचारी दुर्घटना के समय नियोजक या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन काम कर रहा था और कर्मचारी ऐसे परिसर में, या ऐसे स्थान में, या नियोजक के किसी परिसर में मरा था, या उस परिसर या स्थान का, जहां दुर्घटना हुई थी, सामीप्य छोड़े बिना मरा था, अथवा

(ख) यदि नियोजक को या कई नियोजकों में से किसी एक को, या व्यवसाय या कारबार की किसी ऐसी शाखा के प्रबंध के लिए, जिसमें क्षत कर्मचारी नियोजित था, नियोजक के प्रति उत्तरदायी किसी व्यक्ति को दुर्घटना का ज्ञान किसी अन्य स्रोत के, उस समय या उस समय के आसपास हो गया था, जब वह दुर्घटना हुई थी,

तो सूचना का अभाव या उसमें कोई त्रुटि या अनियमितता, उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना दावा ग्रहण करने के लिए वर्जन न होगी :

परंतु इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (1) में यथाउपबंधित समय के भीतर सूचना नहीं दी गई है या दावा नहीं किया गया है, सक्षम प्राधिकारी किसी भी मामले में, प्रतिकर के किसी भी दावे की उस दशा में ग्रहण और विनिश्चित कर सकेगा जिसमें उसका समाधान हो जाए कि, यथास्थिति, वैसे सूचना देने या दावा करने में असफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी।

(3) ऐसी हर सूचना में क्षत व्यक्ति का नाम और पता दिया होगा और क्षति का कारण और वह तारीख जिसमें दुर्घटना हुई, कथित होगी और उसकी तामील नियोजक पर या कई नियोजकों में से किसी एक नियोजक पर, या व्यवसाय या कारबार की किसी ऐसी शाखा के, जिसमें क्षत कर्मचारी नियोजित था, प्रबंध के लिए नियोजक के प्रति उत्तरदायी किसी व्यक्ति पर की जाएगी।

(4) समुचित सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि विहित वर्ग के नियोजक अपने परिसर में, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, ऐसे विहित प्ररूप में एक सूचना-पुस्तक रखेंगे, जिस तक परिसर में नियोजित किसी भी क्षत कर्मचारी की या सद्भावपूर्वक उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की सभी युक्तियुक्त समयों पर आसानी से पहुंच हो सकेगी।

(5) इस धारा के अधीन सूचना की तामील, उस व्यक्ति के, जिस पर उसकी तामील की जानी है, निवास-स्थान या किसी कार्यालय या कारबार के स्थान में परिदत्त करके या उस पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजकर, या जहां कि सूचना पुस्तक रखी जाती है वहां सूचना पुस्तक में प्रविष्टि करके, की जा सकेगी।

**83.** (1) इस धारा का उपबंध, इस धारा में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन रहते हुए उन कर्मचारियों की दशा में लागू होंगे जो —

(क) पोत का मास्टर या नाविक ;

(ख) वायुयान के कैप्टन और कर्मीदल के अन्य सदस्य ;

(ग) भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों और उस रूप में विदेश में कार्य कर रहे व्यक्ति;

(घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मोटर यानों के साथ ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर या अन्य कर्मचारी के रूप में कार्य करने के लिए विदेश में भेजे गए व्यक्ति।

(2) क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा दुर्घटना और प्रतिकर के लिए दावे की सूचना निम्नलिखित व्यक्तियों पर तामील की जा सकेगी, मानों वे नियोजक हों —

(क) दुर्घटना की दशा में जहां क्षत व्यक्ति नाविक है किंतु पोत का मास्टर नहीं, वहां पोत के मास्टर पर;

बाहरी भारतीय राज्यक्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं संबंधी विशेष उपबंध।

(ख) दुर्घटना की दशा में, जहां क्षत व्यक्ति वायुयान के कर्मीदल का सदस्य है किंतु वायुयान का कैप्टन नहीं है, वायुयान के;

(ग) भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों और उस रूप में विदेश में कार्यरत व्यक्तियों की दशा में, कंपनी के स्थानीय अभिकर्ता पर ;

(घ) चालक, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर या अन्य कर्मचारी के रूप में मोटर यानों के साथ विदेश में कार्य करने के लिए भेजे गए व्यक्तियों की दशा में, दुर्घटना के देश में मोटर यान के स्वामी के स्थानीय अभिकर्ता पर :

परंतु जहां, यथास्थिति, बोर्ड, पोत, वायुयान पर दुर्घटना हुई है और दिव्यांगता प्रारंभ हुई है वहां नाविक या वायुयान के कर्मीदल के किसी सदस्य के लिए दुर्घटना की कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

(3) प्रतिकर का दावा—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, उसकी मृत्यु का समाचार दावाकर्ता को मिल जाने के एक वर्ष बाद किया जाएगा ;

(ख) उस दशा में जहां, यथास्थिति, पोत या वायुयान नाविकयूथ सहित नष्ट हो गया है या ऐसे नष्ट हुआ समझा जाता है वहां उस तारीख से जिसको वायुयान ऐसे नष्ट हुआ था या ऐसे नष्ट हुआ समझा जाता है अठारह मास के भीतर किया जाएगा :

परंतु इस बात के होते हुए भी कि कोई दावा उस उपधारा में यथा उपबंधित सम्यक् समय के भीतर नहीं किया गया है सक्षम प्राधिकारी किसी भी मामले में प्रतिकर के किसी दावे को उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जिसमें उसका समाधान हो जाए कि दावा वैसे करने में असफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी।

(4) जहां कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई क्षत कर्मचारी भारत के किसी भाग में या किसी विदेश में उन्मोचित कर दिया जाता है या पीछे छोड़ दिया जाता है वहां, उस भाग में के किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उस विदेश में किसी कौन्सलीय आफिसर द्वारा लिए गए और उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वे लिए जाते हैं, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को पारेषित कोई भी अभिसाक्ष्य, दावा प्रवर्तित कराने की किन्हीं भी कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्राह्य होंगे—

(क) यदि अभिसाक्ष्य उस न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या कौन्सलीय आफिसर के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित हो जिसके सामने वह दिया गया है ;

(ख) यदि, यथास्थिति, प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिल गया था; तथा

(ग) यदि, अभिसाक्ष्य किसी दांडिक कार्यवाही के दौरान दिया गया था तो यह साबित होने पर कि अभिसाक्ष्य अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था,

और किसी मामले में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या पदीय हैसियत को साबित करना आवश्यक नहीं होगा जिसके द्वारा ऐसा कोई अभिसाक्ष्य हस्ताक्षरित किया गया प्रतीत होता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणपत्र कि प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिला

था और यदि अभिसाक्ष्य किसी दांडिक कार्यवाही में दिया गया था तो यह कि वह अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था तब के सिवाय जब कि तत्प्रतिकूल साबित कर दिया जाता है, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य होगा कि उसे वह अवसर मिला था और अभिसाक्ष्य इस प्रकार दिया गया था।

(5) उस कालावधि के संबंध में कोई अर्धमासिक संदाय संदेय नहीं होगा जिसके दौरान पोट का स्वामी, क्षत मास्टर या नाविक के भरण-पोषण के व्ययों को वाणिज्यिक पोट परिवहन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन चुकाने का दायी है।

(6) इस धारा द्वारा अपेक्षित समय के भीतर सूचना देने या दावा करने या कार्यवाहियां आरंभ करने में असफलता किसी व्यक्तिगत क्षति की बाबत इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को चलाने का वर्जन नहीं होगा, किसी व्यक्तिगत क्षति, यदि इस अध्याय के अधीन ऐसी कार्यवाहियां उस तारीख से जिसको इस आशय का राज्य का प्रमाणपत्र सरकार द्वारा प्रमाणपत्र कार्यवाहियां प्रारंभ करने वाले व्यक्ति को दिया गया था, से एक मास के भीतर आरंभ की गई है किया जाएगा।

**84. (1)** जहां कर्मचारी ने दुर्घटना की सूचना दी है वहां, यदि नियोजक, उस समय से, जब सूचना की तामील हुई थी, तीन दिन के अवसान से पहले उससे यह प्रस्थापना करता है कि चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसकी परीक्षा मुफ्त कराई जाए तो, वह अपने को ऐसी परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा और कोई भी कर्मचारी, जो इस अध्याय के अधीन अर्धमासिक संदाय प्राप्त करता है, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो समय-समय पर अपने को ऐसी परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा :

चिकित्सीय परीक्षा।

परंतु कर्मचारी ऐसे बारंबार अन्तरालों से अधिक अन्तरालों पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा करने के लिए अपने को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) यदि कर्मचारी, उपधारा (1) के अधीन नियोजक द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय ऐसा करने के लिए अपेक्षित किए जाने पर, चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अपनी परीक्षा कराने के लिए अपने को प्रस्तुत करने से इंकार करता है या उसमें किसी प्रकार से बाधा डालता है, तो ऐसे इंकार या ऐसी बाधा के बने रहने के दौरान उसका प्रतिकर का अधिकार तब तक निलंबित रहेगा जब तक इंकार की दशा में, वह इस प्रकार अपने को प्रस्तुत करने से किसी पर्याप्त कारण द्वारा निवारित नहीं हुआ था।

(3) यदि कर्मचारी उस कालावधि के अवसान से पूर्व, जिसके भीतर वह चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किए जाने के लिए उपधारा (1) के अधीन दायी है, इस प्रकार परीक्षा किए बिना उस स्थान के सामीप्य, जिसमें वह नियोजित था, सामीप्य से स्वेच्छापूर्वक चला जाता है तो उसका प्रतिकर का अधिकार तब तक के लिए निलंबित रहेगा जब तक वह लौट नहीं आता है और ऐसी परीक्षा कराने के लिए अपने को पेश नहीं कर देता :

परंतु जहां ऐसा कर्मचारी चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष यह साबित करता है कि वह उसके नियंत्रण से परे होने वाली परिस्थितियों के कारण चिकित्सा परीक्षा के लिए वह स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर सका और वह लिखित में ऐसी सूचना देने में बाधाग्रस्त था, चिकित्सा व्यवसायी ऐसे कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् विलंब को माफ कर सकेगा और उसके प्रतिकर के अधिकार को पुनःप्रवर्तित ऐसे करेगा मानो ऐसा निलंबन किया ही नहीं गया था।

(4) जहां कोई कर्मचारी, जिसका प्रतिकर का अधिकार उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन निलंबित हो गया है, इन उपधाराओं में से किसी उपधारा द्वारा यथा अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा के लिए स्वयं को वैसे प्रस्तुत किए बिना मर जाता है, वहां यदि सक्षम प्राधिकारी, वह ठीक समझे, तो मृत कर्मचारी के आश्रितों को प्रतिकर के संदाय का निदेश कर सकेगा।

(5) जहां उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन, प्रतिकर का अधिकार निलंबित है, तो कोई भी प्रतिकर, निलंबन की अवधि के संबंध में संदेय नहीं होगा, और, यदि निलंबन की अवधि धारा 76 की उपधारा (4) के खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व आरंभ होती है, प्रतीक्षा कालावधि उस अवधि तक बढ़ा दी जाएगी जिसके दौरान निलंबन चालू रहता है।

(6) जहां कि क्षत कर्मकार ने उस अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अपनी परिचर्या करने से इंकार कर दिया है, जिसकी मुक्त सेवाएं उस नियोजक द्वारा प्रस्थापित की गई हैं, या ऐसी प्रस्थापना प्रतिगृहीत कर चुकने के पश्चात् ऐसे चिकित्सा-व्यवसायी के अनुदेशों की जानबूझकर अवहेलना की है वहां यदि यह साबित कर दिया जाता है कि कर्मकार की परिचर्या किसी अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा तत्पश्चात् नियमित रूप से नहीं हुई है या उसकी ऐसी परिचर्या तो हुई है पर वह अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी के अनुदेशों का अनुसरण करने में जानबूझकर असफल रहा है और ऐसा इंकार, अवहेलना या असफलता उस मामले की परिस्थितियों में अयुक्तियुक्त थी और उससे क्षति गुरुतर हो गई है तो क्षति और उसके परिणामस्वरूप हुई निःशक्तता के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उसी प्रकार की और उसी अस्तित्वावधि की हैं, जिस प्रकार की और जिस अस्तित्वावधि की उनके होने की प्रत्याशा उस दशा में युक्तियुक्त रूप में की जा सकती थी जिसमें कि कर्मकार की परिचर्या किसी अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा नियमित रूप से की गई होती और उसके अनुदेशों का अनुसरण कर्मकार ने किया होता, और यदि कोई प्रतिकर संदेय है तो वह तदनुसार संदेय होगा।

संविदा करना।

**85. (1)** जहां कि कोई नियोजक, अपने व्यवसाय या कारबार के अनुक्रम में या उसके प्रयोजनों के लिए किसी अन्य संविदाकार के साथ किसी ऐसे पूरे काम या उसके किसी भाग को, जो नियोजक के व्यवसाय या कारबार का मामूली तौर से भाग है, संविदाकार द्वारा या उसके अधीन निष्पादन करने के लिए संविदा करता है वहां, उस काम के निष्पादन में नियोजित कर्मचारी को नियोजक ऐसे प्रतिकर का देनदार होगा जिसका देनदार वह होता यदि वह कर्मचारी उसके द्वारा अव्यवहित रूप से नियोजित किया गया होता और दावा प्रतिकर की रकम का हिसाब कर्मचारी की उस नियोजक के अधीन कर्मचारी की मजदूरी के प्रति निर्देश से किया जाएगा जिसके द्वारा अव्यवहित रूप से नियोजित है।

(2) जहां कि नियोजक इस धारा के अधीन प्रतिकर का देनदार है वहां वह संविदाकार से या किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे कर्मकार प्रतिकर वसूल कर सकता था, अपनी क्षति पूर्ति कराने का हकदार होगा और जहां कि संविदाकार, जो स्वयं नियोजक है, इस धारा के अधीन प्रतिकर का या किसी नियोजक की क्षतिपूर्ति करने का दायी है वहां वह अपनी क्षतिपूर्ति अपने साथ संविदाकार का संबंध रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से, जिससे कर्मकार प्रतिकर वसूल कर सकता था, कराने का हकदार होगा और किसी ऐसी क्षतिपूर्ति के अधिकार और रकम विषयक सभी प्रश्न करार के अभाव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए जाएंगे।

(3) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी कर्मचारी को नियोजक के बजाय संविदाकार से उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रतिकर वसूल करने से निवारित करती है।

(4) इस धारा के उपबंध किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होंगे, जिसमें कि दुर्घटना उस परिसर पर, में या के आस-पास न होकर अन्यत्र हुई है, जिस पर मालिक ने, यथास्थिति, काम के निष्पादन का उपक्रम किया है या प्रायिकतः करता है या जो अन्यथा उसके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन है।

86. जहां कि कर्मकार ने किसी ऐसी क्षति के लिए प्रतिकर वसूल किया है जो ऐसी परिस्थितियों में कारित हुई थी जिनमें उसके लिए नुकसानी के लिए संदाय करने का किसी ऐसे व्यक्ति पर विधिक दायित्व सृजित हुआ था जो उस व्यक्ति से भिन्न है जिसने प्रतिकर दिया है वहां वह व्यक्ति जिसने प्रतिकर दिया है और कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 85 के अधीन क्षतिपूर्ति करने की अपेक्षा की गई है उस व्यक्ति से अपनी क्षतिपूर्ति कराने का हकदार होगा जो नुकसानों के लिए संदाय करने का यथापूर्वोक्त रूप में दायी है।

पर-व्यक्ति के विरुद्ध नियोजक के उपचार।

87. (1) जहां कि नियोजक ने किसी कर्मकार के प्रति इस अध्याय के अधीन अपने किसी दायित्व के बारे में किन्हीं बीमाकर्ताओं से संविदा की है, वहां नियोजक के दिवालिया हो जाने की, या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन करने की, या ठहराव करने की कोई स्कीम बनाने की दशाओं में, या यदि नियोजक कोई कंपनी है तो कंपनी का परिसमापन प्रारंभ होने की दशा में, उस दायित्व के बारे में बीमाकर्ताओं के विरुद्ध नियोजक के अधिकार कर्मचारी को, दिवाले या कंपनियों के परिसमापन से संबद्ध किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे और ऐसे किसी अन्तरण पर बीमाकर्ताओं के वे ही अधिकार और उपचार होंगे और वे उन्हीं दायित्वों के अधधीन ऐसे होंगे मानों वे नियोजक हों, किन्तु ऐसे कि बीमाकर्ता कर्मचारी के प्रति उस दायित्व से अधिक दायित्व के अधीन न होंगे जिसके अधीन नियोजक के प्रति होते।

नियोजक का दिवाला।

(2) यदि कर्मचारी के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व कर्मकार के प्रति नियोजक के दायित्व से कम है तो कर्मकार दिवाला संबंधी कार्यवाहियों में या समापन में अतिशेष को साबित कर सकेगा।

(3) जहां कि ऐसे किसी मामले में, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, बीमाकर्ताओं के साथ नियोजक की (प्रीमियमों के संदाय के लिए अनुबंध से भिन्न) संविदा, उसके किन्हीं निबंधनों या शर्तों का अननुपालन नियोजक द्वारा किए जाने के कारण शून्य या शून्यकरणीय है वहां, उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह संविदा शून्य या शून्यकरणीय न हो, और कर्मकार को दी गई रकम को बीमाकर्ता दिवाले की कार्यवाहियों में या समापन में साबित करने के हकदार होंगे :

परंतु इस उपधारा के उपबंध किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होंगे जिसमें कर्मकार दुर्घटना होने और उसके परिणामस्वरूप हुई निःशक्तता की सूचना दिवाले या समापन की कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने की जानकारी पाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र बीमाकर्ताओं को देने में असफल रहता है।

(4) यह समझा जाएगा कि उन ऋणों के अन्तर्गत, जो किसी दिवालिया की आस्तियों के वितरण में या परिसमापनाधीन किसी कंपनी की आस्तियों के वितरण में दिवाला और धन-शोधन अक्षमता संहिता, 2016 या कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन अन्य सब ऋणों पर पूर्विकता देकर दिए जाने हैं, किसी ऐसे प्रतिकर मद्दे शोध्य रकम आती है जिसके लिए दायित्व,

यथास्थिति, दिवालिए के न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख से पहले या परिसमापन के प्रारंभ की तारीख से पहले प्रोद्भूत हो गया था और संहिता तथा अधिनियम के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।

(5) जहां कि प्रतिकर अर्ध-मासिक संदाय है वहां उस मद्दे शोध्य रकम इस धारा के प्रयोजनों के लिए उतनी एकमुश्त राशि की रकम मानी जाएगी जितनी के लिए अर्ध-मासिक संदाय का, यदि यह मोचनीय होता, उस दशा में मोचन किया जा सकता जिसमें कि धारा 80 के अधीन उस प्रयोजन के लिए कोई आवेदन किया गया होता और ऐसी रकम के विषय में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र उसका निश्चायक सबूत होगा।

(6) उपधारा (4) के उपबंध ऐसी रकम की दशा में लागू होंगे जिसे बीमाकर्ता उपधारा (3) के अधीन साबित करने का हकदार है, किन्तु अन्यथा वे उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कि दिवालिया या परिसमापनाधीन कंपनी ने बीमाकर्ताओं के साथ उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट संविदा कर ली है।

(7) इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कि कंपनी का परिसामपन केवल पुनर्गठन या किसी दूसरी कंपनी से समामेलन के प्रयोजनों के लिए स्वेच्छया किया जाता है।

प्राणान्तक  
दुर्घटनाओं के संबंध  
में विवरणों की  
नियोजकों से  
अपेक्षा करने की  
शक्ति

88. (1) जहां कि सक्षम प्राधिकारी से किसी स्रोत से यह इतिला प्राप्त होती है कि कोई कर्मकार अपने नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना के परिणामस्वरूप मर गया है वहां वह उस कर्मकार के नियोजक को उससे यह अपेक्षा करने वाली सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक रूप से जहां संभव हो भेज सकेगा कि वह विहित प्ररूप जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ऐसे विवरण जिसमें वह परिस्थितियां जिनमें कर्मचारी की मृत्यु हुई बताई गई हो और उपदर्शित किया गया हो कि नियोजक की राय में वह उस मृत्यु के कारण प्रतिकर निक्षिप्त करने का दायी है या नहीं, उस सूचना की तामील से तीस दिन के भीतर निवेदित करे और ऐसी सूचना की प्रति भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी के आश्रितों को वैसी रीति में भेजी जाएगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिनिश्चित की जाए।

(2) यदि नियोजक की राय हो कि वह प्रतिकर निश्चित करने का दायी है तो वह सूचना की तामील से तीस दिन के भीतर ऐसा निक्षेप करेगा।

(3) यदि नियोजक की राय हो कि वह प्रतिकर निक्षिप्त करने का दायी नहीं है, तो वह अपने विवरण में उन आधारों को उपदर्शित करेगा जिन पर वह दायित्व से इंकार करता है।

(4) जहां कि नियोजक ने दायित्व से इस प्रकार इंकार किया है, वहां सक्षम प्राधिकारी ऐसे जांच के पश्चात् जैसे वह ठीक समझे, मृत कर्मचारी के आश्रितों में से किसी को भी, इतिला दे सकेगा कि आश्रित प्रतिकर का दावा करने के लिए स्वतंत्र है और उन्हें ऐसी अन्य अतिरिक्त इतिला, जैसी वह ठीक समझे, दे सकेगा।

(5) जहां सक्षम प्राधिकारी की राय में, मृत कर्मचारी के आश्रित प्रतिकर के दावे को फाइल करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने की स्थिति में नहीं हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी ऐसे आश्रित को राज्य सरकार द्वारा बनाए रखे गए अधिवक्ताओं के पैनल से अधिवक्ता उपलब्ध करा सकेगा।

करारों का  
रजिस्ट्रीकरण।

89. (1) जहां कि प्रतिकर के रूप में संदेय कोई एकमुश्त राशि की रकम, करार द्वारा, चाहे अर्धमासिक संदायों से मोचन के तौर पर या अन्यथा, तय हो गई है या जहां कि कोई प्रतिकर इसी प्रकार तय हो गई है कि वह किसी स्त्री को या विधिक नियोग्यता के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय है, वहां उसका एक ज्ञापन नियोजक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा, जो उसके असली होने के विषय में अपना समाधान हो जाने पर ज्ञापन को रजिस्टर में इलैक्ट्रॉनिक रूप

से या अन्यथा ऐसी रीति में जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए अभिलिखित करेगा :

परंतु —

(क) ऐसा कोई ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबद्ध पक्षकारों को सूचना के संसूचित किए जाने के पश्चात् सात दिन से पहले अभिलिखित नहीं किया जाएगा;

(ख) सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय रजिस्टर को परिशुद्ध कर सकेगा ;

(ग) जहां कि सक्षम प्राधिकारी को प्रतीत हो कि किसी एकमुश्त राशि के संदाय के बारे में कोई करार, वह चाहे अर्ध-मासिक संदाय से मोचन के तौर पर हो या अन्यथा हो, या किसी स्त्री को या विधिक नियोग्यता के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय प्रतिकर की रकम के बारे में कोई करार, राशि या रकम की अपर्याप्तता के कारण या कपट या असम्यक् असर या अन्य अनुचित साधनों द्वारा उस करार के अभिप्राप्त किए जाने के कारण रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना चाहिए वहां वह करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से इंकार कर सकेगा और ऐसा आदेश जिसके अन्तर्गत करार के अधीन पहले दी गई किसी राशि के बारे में कोई आदेश आता है, कर सकेगा जैसा वह परिस्थितियों में न्यायसंगत समझे।

(2) प्रतिकर के संदाय के लिए जो करार उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है, वह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस संहिता के अधीन प्रवर्तनीय होगा।

(3) जहां कि ऐसे किसी करार का ज्ञापन, जिसका रजिस्ट्रीकरण इस धारा द्वारा अपेक्षित है, उस धारा की अपेक्षानुसार सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजा गया है वहां, नियोजक उस प्रतिकर की कुल रकम को देने का दायी होगा जिसे वह इस अध्याय के उपबंधों के अधीन देने का दायी है और जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्दिष्ट न करे, वह किसी रकम की, जो प्रतिकर के तौर पर चाहे उस करार के अधीन या अन्यथा, कर्मचारी को दी गई है, आधी से अधिक रकम काट लेने के लिए, धारा 76 की उपधारा (1) के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी हकदार नहीं होगा।

90. (1) यदि प्रतिकर देने के किसी व्यक्ति के दायित्व के विषय में कोई प्रश्न इस अध्याय के अधीन आता है कि क्षत व्यक्ति कर्मचारी है या नहीं, या प्रतिकर की रकम या अस्तित्वावधि के विषय में कोई प्रश्न (जिसके अन्तर्गत दिव्यांगता के प्रकार या विस्तार विषयक प्रश्न आता है) इस अध्याय के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों में उठता है तो वह प्रश्न करार के अभाव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारियों को निदेश।

(2) किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न जिसके लिए इस अध्याय के द्वारा या इसके अधीन यह अपेक्षित है कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए या विनिश्चित किया जाए या उसके बारे में कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाए, तय करने, विनिश्चित करने या उसके बारे में कार्रवाई करने की या इस अध्याय के अधीन उपगत किसी दायित्व को प्रवर्तित कराने की अधिकारिता न होगी।

91. (1) राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकेगी जो राज्य न्यायिक सेवा का पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए सदस्य है या रहा है या पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए अधिवक्ता या प्लीडर है या रहा है या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए ऐसा राजपत्रित अधिकारी है या रहा है, जो कार्मिक प्रबंध, मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंधों में शैक्षिक अर्हताएं और विधिक कार्यों में अनुभव रखता हो या ऐसा अन्य अनुभव या अर्हताएं रखता हो जो सक्षम प्राधिकारी के रूप में समुचित सरकार द्वारा, विहित की जाए और ऐसे क्षेत्र के लिए

सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति।

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए विहित किए जाएं, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) जहां कि किसी क्षेत्र के लिए एक से अधिक सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं वहां राज्य सरकार उनके बीच कारबार के वितरण का विनियमन साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगी।

(3) कोई भी सक्षम प्राधिकारी इस अध्याय के अधीन विनिश्चय के लिए अपने को निर्देशित किसी विषय को विनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को, जो जांचाधीन विषय से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान रखते हों, जांच करने में अपनी सहायता के लिए चुन सकेगा।

कार्यवाहियों का  
स्थान और  
अन्तरण।

**92. (1)** जहां इस अध्याय के अधीन कोई बात सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष की जानी है वहां इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित रीति से, उस क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष की जाएगी जिसमें—

(क) वह दुर्घटना हुई थी जिसके परिणामस्वरूप क्षति हुई ; या

(ख) कर्मचारी या उसकी मृत्यु की दशा में प्रतिकर के लिए दावा करने वाला आश्रित साधारणतया निवास करता है ; या

(ग) नियोजक का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है :

परन्तु किसी भी मामले में ऐसे किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या उसके द्वारा, जो उस क्षेत्र पर जिसमें दुर्घटना हुई है, अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी से भिन्न है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से उसके द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी और संबंधित राज्य सरकार को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा सूचना दिए बिना, कार्यवाही नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां कर्मचारी किसी पोत का मास्टर या नाविक है अथवा किसी वायुयान का कैप्टन या कर्मीदल का कोई सदस्य है अथवा किसी मोटर यान या कंपनी का कर्मचारी है, भारत से बाहर दुर्घटना का शिकार होता है वहां ऐसी कोई बात उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष की जा सकेगी, जिसमें, यथास्थिति, पोत, वायुयान या मोटर यान का स्वामी या अभिकर्ता निवास करता है या कारबार चलाता है अथवा कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है।

(2) यदि उस सक्षम प्राधिकारी से, जिसके पास धारा 81 के अधीन कोई धन जमा किया गया है, भिन्न कोई सक्षम प्राधिकारी, इस अध्याय के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करता है तो पश्चात्पूर्वी सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामले के उचित निपटारे के लिए किसी अभिलेख के या पूर्ववर्ती सक्षम प्राधिकारी के पास शेष रहे धन के अंतरण की मांग कर सकेगा और ऐसा अनुरोध प्राप्त हो जाने पर वह सक्षम प्राधिकारी उसका अनुपालन करेगा।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लम्बित किन्हीं कार्यवाहियों से उद्भूत किसी विषय में कार्रवाई किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाहे वह उसी राज्य में हो या नहीं, अधिक सुविधानुसार की जा सकती है, तो इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के अध्याधीन रहते हुए वह यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा विषय या तो रिपोर्ट के लिए या निपटाए जाने के लिए ऐसे अन्य सक्षम प्राधिकारी को अन्तरित कर दिया जाए और यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे विषय के विनिश्चय के लिए सुसंगत सभी दस्तावेजों ऐसे अन्य सक्षम प्राधिकारी को अन्तरित कर दिए जाएं और यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे विषय के विनिश्चय के लिए सुसंगत

सभी दस्तावेजों जैसे अन्य सक्षम प्राधिकारी को तत्क्षण पारंपित करेगा, और जहां कि विषय निपटाए जाने के लिए अन्तरित किया जाता है वहां वह किसी ऐसे धन को भी विहित रीति से पारंपित करेगा जो उसके पास शेष रहा है या जो उसने कार्यवाहियों में के किसी पक्षकार के फायदे के लिए विनिहित किया है:

परन्तु जहां कार्यवाहियों में का कोई पक्षकार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हाजिर हुआ है, वहां सक्षम प्राधिकारी आश्रितों के बीच किसी एकमुश्त राशि के वितरण से सम्बद्ध अन्तरण का कोई आदेश, ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना, नहीं करेगा।

(4) वह सक्षम प्राधिकारी, जिसे कोई विषय इस प्रकार अन्तरित किया जाता है, इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए उसकी जांच करेगा और यदि वह विषय रिपोर्ट के लिए अन्तरित किया गया था तो उस पर अपनी रिपोर्ट देगा या यदि वह विषय निपटाए जाने के लिए अन्तरित किया गया था तो कार्यवाहियों को ऐसे चालू रखेगा मानो वे मूलतः उसके ही समक्ष प्रारम्भ हुई थीं।

(5) उस सक्षम प्राधिकारी से, जिसे कोई विषय की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट के लिए अन्तरित किया गया है, रिपोर्ट मिलने पर वह सक्षम प्राधिकारी, जिसके द्वारा वह निर्देशित किया गया था, निर्देशित विषय को ऐसी रिपोर्ट के अनुरूप विनिश्चय करेगा।

(6) राज्य सरकार किसी भी मामले को अपने द्वारा नियुक्त किसी सक्षम प्राधिकारी से अपने द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को अन्तरित कर सकेगी।

**93.** (1) जहां कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व उद्भूत होता है वहां ऐसे प्रतिकर के लिए कोई दावा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा।

आवेदन का प्ररूप।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी विषय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने के लिए कोई भी आवेदन जो आश्रित या आश्रितों द्वारा प्रतिकर के लिए किए गए आवेदन से भिन्न हों, न किया जाएगा यदि और जब तक उसके संबंध में पक्षकारों के बीच ऐसा कोई प्रश्न न उठा हो जिसे वे करार द्वारा तय करने में असमर्थ रहे हों।

(3) सक्षम प्राधिकारी को दावे के लिए आवेदन, इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, ऐसे जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, उसके साथ फीस सहित, यदि कोई हो, उपधारा (1) के अधीन किया जाएगा या उपधारा (2) के अधीन निपटान किया जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन आवेदन के निपटान के लिए समय सीमा और इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले आनुषंगिक खर्च वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

**94.** (1) जहां कि ऐसे कर्मचारी के बारे में, जिसकी मृत्यु क्षति के परिणामस्वरूप हो गई है, संदेय प्रतिकर के रूप में कोई राशि नियोजक द्वारा निक्षिप्त की गई है और सक्षम प्राधिकारी की राय में ऐसी राशि अपर्याप्त है वहां सक्षम प्राधिकारी अपने कारणों को कथित करते हुए लिखित सूचना द्वारा नियोजक को इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए अपेक्षित कर सकेगा कि वह इतने समय के भीतर, जितना सूचना में कथित किया जाए, अतिरिक्त निक्षेप क्यों न करे।

प्राणान्तक दुर्घटना की दशाओं में अतिरिक्त निक्षेप अपेक्षित करने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति।

(2) यदि नियोजक सक्षम प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में हेतुक दर्शित करने में असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी कुल संदेय रकम को अवधारित करने वाला और नियोजक से यह अपेक्षा करने वाला अधिनिर्णय दे सकेगा कि वह उतनी राशि निक्षिप्त कर दे जितनी कम है।

सक्षम प्राधिकारियों की शक्तियाँ और प्रक्रिया।

95. सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी शपथ पर (जिसे अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी इसके द्वारा सशक्त किया जाता है) साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन की सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी और सक्षम प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 के और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

1908 का 5

1974 का 2

पक्षकारों की हाजिरी।

96. किसी पक्षकार की साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हाजिरी से भिन्न कोई हाजिरी, आवेदन या कार्य जो किसी व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या सक्षम प्राधिकारी से किए जाने के लिए अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी विधि व्यवसायी द्वारा या बीमा कम्पनी या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ द्वारा या धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत हो, या सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से, इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किया जा सकेगा।

साक्ष्य अभिलिखित करने का ढंग।

97. जैसे-जैसे हर साक्षी की परीक्षा होती जाएगी वैसे-वैसे सक्षम प्राधिकारी उस साक्षी के साक्ष्य के सार का संक्षिप्त ज्ञापन बनाता जाएगा और ऐसा ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने हाथ से या ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अधिप्रमाणित किया जाएगा और अभिलेख का भाग होगा :

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसा ज्ञापन बनाने से निवारित हो जाता है तो वह ऐसा करने की अपनी असमर्थता का कारण अभिलिखित करेगा और स्वयं बोलकर ऐसा ज्ञापन लिखित रूप में तैयार कराएगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा :

परन्तु यह और कि किसी चिकित्सीय साक्षी का साक्ष्य यावत्शक्य शब्द लिखा जाएगा।

मामलों को निवेदित करने की शक्ति।

98. यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो वह विधि का प्रश्न विनिश्चय के लिए उच्च न्यायालय को निवेदित कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है तो वह उस प्रश्न को ऐसे विनिश्चय के अनुरूप विनिश्चित करेगा।

सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें।

99. (1) इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी के निम्नलिखित आदेशों से अपील उच्च न्यायालय में होगी, अर्थात्:—

(क) प्रतिकर के रूप में एकमुश्त राशि को चाहे अर्ध-मासिक संदाय से मोचन के तौर पर या अन्यथा, अधिनिर्णीत करने वाला या एकमुश्त राशि के दावे को पूर्णतः या भागतः अननुज्ञात करने वाला आदेश;

(ख) धारा 77 के अधीन क्षतियों के माध्यम से ब्याज या शास्ति अधिनिर्णीत करने वाला आदेश;

(ग) अर्ध-मासिक संदाय से मोचन अनुज्ञात करने से इन्कार करने वाला आदेश;

(घ) मृत कर्मचारी के आश्रितों के बीच प्रतिकर के वितरण का उपबन्ध करने वाला आदेश या किसी ऐसे व्यक्ति के किसी दावे को, जो यह अभिकथन करता हो कि वह ऐसा आश्रित है, अननुज्ञात करने वाला आदेश;

(ङ) धारा 85 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन क्षतिपूर्ति की रकम के किसी दावे को अनुज्ञात या अननुज्ञात करने वाला आदेश; अथवा

(च) करार के ज्ञापन को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करने वाला या उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाला या यह उपबन्ध करने वाला कि उसका रजिस्ट्रीकरण शर्तों के अधीन होगा, आदेश;

परन्तु जब तक कि अपील में सारवान् विधि-प्रश्न अन्तर्वलित न हो, और खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश से भिन्न आदेश की दशा में जब तक कि अपील में विवादग्रस्त रकम दस हजार रुपए या ऐसी उच्चतर रकम जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, से अन्यून न हो, आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी:

परन्तु यह और कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें पक्षकारों ने सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय का पालन करने के लिए कोई करार कर लिया है या जिसमें सक्षम प्राधिकारी का आदेश पक्षकारों में हुए करार को प्रभावशाली करता है, कोई भी अपील नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि जब तक कि अपील के ज्ञापन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि अपीलार्थी ने उसके पास वह रकम निक्षिप्त कर दी है जो उस आदेश के अधीन संदेय है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नियोजक द्वारा खंड (क) के अधीन कोई भी अपील नहीं होगी।

(2) इस धारा के अधीन अपील के लिए परिसीमाकाल, आदेश पारित करने की तारीख से साठ दिन का होगा।

1963 का 36

(3) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबन्ध इस धारा के अधीन की गई अपीलों को लागू होंगे।

## अध्याय 8

### भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर

**100.** (1) सामाजिक सुरक्षा और भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण के प्रयोजन के लिए उपकर, ऐसी दर से, जो दो प्रतिशत से अधिक न हो, किन्तु किसी कर्मचारी द्वारा उपगत की गई सन्निर्माण की लागत, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के एक प्रतिशत से कम नहीं होगी, उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा।

उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, सन्निर्माण की लागत में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे :—

(क) भूमि की लागत ; और

(ख) कर्मचारी या उसके रक्त संबंधियों को अध्याय 7 के अधीन संदत्त या संदेय कोई प्रतिकर।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत उपकर भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले प्रत्येक नियोजक से, ऐसी रीति में और ऐसे समय पर संग्रहीत किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में स्रोत पर कटौती या जहां ऐसे भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन अपेक्षित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से अग्रिम संग्रहण भी है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन संग्रहीत उपकर के आगम, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के पास, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जमा किए जाएंगे।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन उद्गृहणीय उपकर, जिसके अन्तर्गत ऐसे उपकर का अग्रिम रूप से संदाय भी है, किए जाने वाले अंतिम निर्धारण के अधीन रहते हुए, एक समान दर या दरों पर, जो अन्तर्वलित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य की मात्रा के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, संग्रहीत किया जाएगा।

उपकर के संदाय में विलम्ब पर देय ब्याज।

**101.** यदि कोई नियोजक धारा 100 के अधीन संदेय उपकर की किसी रकम का, ऐसे समय के भीतर जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, संदाय करने में विफल रहता है, तो ऐसा नियोजक, संदत्त की जाने वाली उपकर की रकम पर, ऐसी अवधि के लिए, उस तारीख से, जिसको ऐसा संदाय शोध्य है, उस रकम के वास्तविक रूप से संदत्त किए जाने तक, ऐसी दर पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ब्याज संदत्त करने के लिए दायी होगा।

उपकर से छूट प्रदान करने की शक्ति।

**102.** इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य में किसी नियोजक या नियोजकों के किसी वर्ग को, इस अध्याय के अधीन संदेय उपकर के संदाय से वहां छूट प्रदान कर सकेगी, जहां ऐसा उपकर, राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी किसी विधि के अधीन पहले ही उद्गृहीत किया जा चुका है और संदेय है।

उपकर का स्वतः निर्धारण।

**103.** (1) नियोजक, उसके प्रत्येक भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के पूरा होने के साठ दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए दस्तावेजों के आधार पर सम्पादित सन्निर्माण की लागत पर उसके स्व-निर्धारण के आधार पर और केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से, इस अध्याय के अधीन संदेय ऐसे उपकर (धारा 100 के अधीन पहले से ही संदत्त अग्रिम उपकर को समायोजित करके) का संदाय करेगा और वह ऐसे उपकर के संदाय के पश्चात् धारा 123 के खंड (घ) के अधीन विवरणी फाइल करेगा।

(2) यदि वह अधिकारी या प्राधिकारी, जिसको या जिसके पास उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल की गई है, स्व-निर्धारण के अधीन संदाय और उस उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अधीन अपेक्षित संदाय में कोई विसंगति पाता है, तब वह ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे और ऐसी जांच के पश्चात् समुचित निर्धारण आदेश कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया निर्धारण आदेश, ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर उपकर, यदि कोई हो, नियोजक द्वारा संदत्त किया जाएगा।

विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपकर का संदाय नहीं किए जाने के लिए शास्ति।

**104.** यदि धारा 103 के अधीन किसी नियोजक द्वारा संदेय उपकर की कोई रकम, धारा 103 की उपधारा (2) के अधीन किए गए निर्धारण के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो उसे बकाया के रूप में समझा जाएगा और इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, नियोजक पर ऐसी शास्ति, जो उपकर की रकम से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व, ऐसे नियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा और यदि ऐसी सुनवाई के पश्चात्, उक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम किसी मान्य और पर्याप्त कारण से हुआ था, तो इस धारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

अपील प्राधिकारी को अपील।

**105.** (1) कोई नियोजक, जो धारा 103 के अधीन किए गए निर्धारण के आदेश या धारा 104 के अधीन किए गए शास्ति अधिरोपित करने के आदेश से व्यथित है, ऐसे समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे अपील प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील के प्राप्त होने के पश्चात्, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को मामले में सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, अपील का यथा संभव शीघ्रता से निपटान करेगा।

(4) इस धारा के अधीन अपील में पारित किया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

**106.** प्रत्येक भवन कर्मकार, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, किन्तु उसने साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और जो पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान नब्बे से अन्धून् दिवसों के लिए किसी भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में लगा हुआ है, तो वह इस अध्याय के अधीन भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हिताधिकारी के रूप में, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

भवन निर्माण कर्मकारों का हिताधिकारियों के रूप में रजिस्ट्रीकरण।

**107.** (1) कोई भवन निर्माण कर्मकार, जो धारा 106 के अधीन हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वह उस रूप में नहीं रह जाएगा, जब वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या जब वह एक वर्ष में नब्बे से अन्धून् दिवसों के लिए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित नहीं रहता है :

हिताधिकारी के रूप में नहीं रह जाना।

परन्तु इस उपधारा के अधीन नब्बे दिवसों की अवधि की संगणना करने में, किसी भवन निर्माण कर्मकार को उसके नियोजन से उद्भूत और उसके दौरान घटित दुर्घटना द्वारा भवन निर्माण कर्मकार को कारित किसी व्यक्तिगत क्षति के कारण भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से अनुपस्थिति की किसी अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के ठीक पहले लगातार कम से कम तीन वर्ष के लिए हिताधिकारी रह चुका था, तब, वह ऐसा फायदा प्राप्त करने का पात्र होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के अधीन भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हिताधिकारी के रूप में तीन वर्ष की अवधि की संगणना करने के लिए, किसी अवधि को जिसके लिए वह व्यक्ति, बोर्ड के पास उसके रजिस्ट्रीकरण से ठीक पहले किसी अन्य ऐसे बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हिताधिकारी रह चुका है।

**108.** (1) बोर्ड द्वारा, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि और उसका लागू होना।

(क) धारा 100 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत किसी उपकर की रकम;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड को दिए गए कोई अनुदान और ऋण; और

(ग) भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त की गई सभी राशियां।

(2) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि निम्नलिखित को पूरा करने के लिए उपयोगित की जाएगी—

(क) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन, उसके कृत्यों के निर्वहन में भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के व्यय ; और

(ख) भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पारिश्रमिक ;

(ग) इस संहिता द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर और प्रयोजनों के लिए व्यय।

(3) भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड, किसी वित्तीय वर्ष में, उसके सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक के मद्दे तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कुल व्ययों के पांच प्रतिशत से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगा।

### अध्याय 9

## असंगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

असंगठित कर्मकारों के लिए स्कीम बनाना।

109. (1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित से संबंधित मामलों के संबंध में, असंगठित कर्मकारों के लिए, समय-समय पर, उपयुक्त कल्याणकारी स्कीम बनाएगी और अधिसूचित करेगी—

- (i) जीवन और दिव्यांगता कवर करना ;
- (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति फायदे ;
- (iii) वृद्धावस्था संरक्षण ;
- (iv) शिक्षा; और
- (v) ऐसा अन्य कोई फायदा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) राज्य सरकार, असंगठित कर्मकारों के लिए समय-समय पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीम बनाएगी और अधिसूचित करेगी, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित से संबंधित स्कीमों भी हैं—

- (i) भविष्य निधि;
- (ii) नियोजन क्षति फायदा;
- (iii) आवासन;
- (iv) बालकों के लिए शैक्षिक स्कीमों;
- (v) कर्मकारों के कौशल का उन्नयन;
- (vi) अंत्येष्टि सहायता; और
- (vii) वृद्धाश्रम।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी स्कीम का—

- (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषण किया जा सकेगा ; या
- (ii) भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण किया जा सकेगा ; या

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा भागतः वित्तपोषित, राज्य सरकार द्वारा भागतः वित्तपोषित और स्कीम के हिताधिकारियों या कर्मचारियों से संग्रहीत अभिदाय, के माध्यम से भागतः वित्तपोषित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, किया जा सकेगा ; या

2013 का 18

(iv) किसी अन्य स्रोत से वित्तपोषण किया जा सकेगा, जिसके अन्तर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर निगम सामाजिक दायित्व, निधि या कोई अन्य ऐसा स्रोत, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है।

(4) उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक स्कीम, ऐसे मामलों के लिए उपबंध करेगी, जो इस स्कीम के दक्ष क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सभी या किन्हीं से संबंधित मामले भी हैं, अर्थात् :—

- (i) स्कीम का विस्तार क्षेत्र ;
- (ii) स्कीम के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकारी ;
- (iii) स्कीम के हिताधिकारी ;
- (iv) स्कीम के संसाधन;
- (v) वह अभिकरण या वे अभिकरण जो स्कीम का क्रियान्वयन करेंगे;
- (vi) शिकायतों का निवारण ; और
- (vii) अन्य कोई सुसंगत मामला,

और केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसी स्कीम के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए एक विशेष प्रयोजन साधन का भी गठन किया जा सकेगा।

**110.** (1) धारा 109 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम का—

राज्य सरकार की स्कीमों का वित्तपोषण।

(क) राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषण किया जाए ; या

(ख) भागतः राज्य सरकार द्वारा भागतः वित्तपोषित किया जाए, स्कीम के हिताधिकारियों या नियोजकों से संग्रहीत अभिदायों के माध्यम से, जो राज्य सरकार द्वारा स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, भागतः वित्तपोषण किया जाए; या

(ग) किसी स्रोत से वित्तपोषण किया जाए, जिसके अन्तर्गत धारा 109 की उपधारा (3) के खंड (iv) में निर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि या कोई अन्य ऐसा स्रोत, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट, किया जाए, भी है।

(2) राज्य सरकार उसके द्वारा तैयार की गई स्कीमों के लिए केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांग सकेगी।

(3) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों को, स्कीमों के प्रयोजन के लिए ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी।

**111.** इस अध्याय के अधीन स्कीम तैयार करने वाली और अधिसूचित करने वाली सरकार स्कीम से संबंधित अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा रखने का प्ररूप और रीति तथा ऐसे प्राधिकारी का, जिसके द्वारा अभिलेख रखा जाएगा, का उपबंध करेगी :

अभिलेख का रखना।

परंतु ऐसे अभिलेख, यथासंभाव्य, स्कीम के उचित प्रबंधन के प्रयोजन के लिए और अभिलेखों में अतिव्याप्ति और किसी दोहरीकरण से बचने के लिए निरंतर संख्यांक होंगे।

**112.** समुचित सरकार निम्नलिखित कृत्यों में से किसी या अधिक कृत्यों का पालन करने के लिए समय-समय पर, ऐसे टोल फ्री कॉल सेन्टर या हेल्प लाइन सुविधा केंद्र स्थापित कर सकेगी, जो आवश्यक समझे जाएं, अर्थात् :—

असंगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों, के लिए हेल्प लाइन सुविधा केंद्र, आदि।

(क) असंगठित कर्मकारों गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा स्कीमों पर जानकारी का प्रसार करना ;

(ख) असंगठित कर्मकारों गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्रों को फाइल करने, उन पर कार्यवाही करने और उन्हें अग्रेषित करने को सुकर बनाना ;

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए असंगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों की सहायता करना ;

(घ) सामाजिक सुरक्षा स्कीमों में रजिस्ट्रीकृत असंगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों, प्लेटफार्म कर्मकारों के नामांकन को सुकर बनाना ।

असंगठित कर्मकारों  
का रजिस्ट्रीकरण ।

**113.** (1) प्रत्येक असंगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों से इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याय, रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :-

(क) जिसने सोलह वर्ष की आयु या ऐसी आयु जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, पूरी कर ली है;

(ख) जिसने एक स्वघोषणा इलैक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा ऐसे रूप में, और ऐसी रीति में जिसमें ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रस्तुत कर दी है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक पात्र असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार या प्लेटफार्म कर्मकार रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन ऐसे रूप में ऐसे दस्तावेजों, जिनमें आधार संख्या भी है, के साथ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, करेगा और ऐसे कर्मकार को उसके आवेदन के लिए एक विशिष्ट संख्यांक समनुदेशित किया जाएगा :

परन्तु समुचित सरकार द्वारा अनुरक्षित इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण की प्रणाली भी किसी ऐसे कर्मकार द्वारा ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार विहित करे स्व-रजिस्ट्रीकरण के लिए भी उपबंध करेगी ।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार या प्लेटफार्म कर्मकार इस अध्याय के अधीन बनाई गई संबंधित स्कीम के फायदे प्राप्त करने के लिए पात्र होगा ।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी स्कीम में ऐसा अभिदाय जो, उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, करेगी ।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “आधार” पद का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 142 में हैं ।

गिग कर्मकारों और  
प्लेटफार्म कर्मकारों के  
लिए स्कीमें ।

**114.** (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के लिए, निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा स्कीमें, बना सकेगी और अधिसूचित कर सकेगी,—

(क) जीवन और दिव्यांगता कवर ;

(ख) दुर्घटना बीमा ;

(ग) स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधाएं ;

(घ) वृद्धावस्था संरक्षा ;

(ङ) क्रेच ; और

(च) कोई अन्य फायदा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई और अधिसूचित प्रत्येक स्कीम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी,—

(क) स्कीम के प्रशासन की रीति ;

(ख) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अभिकरण या अभिकरणों ;

(ग) स्कीम में संकलनकर्ता की भूमिका ;

(घ) स्कीम के वित्तपोषण के स्रोत ; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जो स्कीम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली कोई स्कीम, जो,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित हो ; या

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भागतः वित्तपोषित या राज्य सरकार द्वारा भागतः वित्तपोषित हो; या

(ग) संकलनकर्ताओं के अभिदायों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित हो ; या

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा भागतः वित्तपोषित, राज्य सरकार द्वारा भागतः वित्तपोषित हो और स्कीम के फायदाग्राहियों या संकलनकर्ताओं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, से संगृहीत अभिदायों के माध्यम से भागतः वित्तपोषित हो; या

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से वित्तपोषित हो ; या

(च) कोई अन्य स्रोत।

(4) धारा 141 की उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट वित्तपोषण के लिए संकलनकर्ताओं द्वारा संदत्त किया जाने वाला अभिदाय ऐसी दर पर होगा, जो ऐसे प्रत्येक संकलनकर्ता, जो संकलनकर्ताओं के प्रवर्ग के अंतर्गत आते हैं और जो सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, के वार्षिक आवर्त का दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, किंतु जो एक प्रतिशत से कम का नहीं होगा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परंतु किसी संकलनकर्ता द्वारा अभिदाय संकलनकर्ता द्वारा गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों को संदत्त या संदेय रकम का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण—**इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, संकलनकर्ता के वार्षिक आवर्त में केन्द्रीय सरकार को संदत्त या संदेय कोई कर, उद्ग्रहण और उपकर सम्मिलित नहीं होगा।

(5) इस धारा के अधीन संकलनकर्ता से अभिदाय के प्रारंभ की तारीख केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(6) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, इस संहिता के उपबंधों के अधीन गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के कल्याण के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड होगा :

परंतु जब ऐसा बोर्ड गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के कल्याण के प्रयोजनों या उनसे संबंधित विषयों की पूर्ति करता है तो निम्नलिखित सदस्य, धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के स्थान पर, बोर्ड का गठन करेंगे, अर्थात् :—

- (क) संकलनकर्ताओं के पांच प्रतिनिधि, जिन्हें केंद्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट करे ;
- (ख) गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों के पांच प्रतिनिधि, जिन्हें केंद्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट करे ;
- (ग) निगम का महानिदेशक ;
- (घ) केंद्रीय बोर्ड का केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ;
- (ङ) ऐसे विशेषज्ञ सदस्य, जिन्हें केंद्रीय सरकार समुचित समझे;
- (च) ऐसे चक्रानुक्रम द्वारा राज्य सरकार के पांच प्रतिनिधि, जिन्हें केंद्रीय सरकार समुचित समझे ;
- (छ) श्रम और रोजगार मंत्रालय में भारत सरकार का संयुक्त सचिव, जो बोर्ड का सदस्य—सचिव होगा।

(7) (i) केंद्रीय सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि,—

- (क) एकत्रित अभिदाय के आगमों को संगृहीत करने और खर्च करने का प्राधिकार;
- (ख) अभिदाय के विलंबित संदाय, कम संदाय या असंदाय की दशा में, संकलनकर्ता द्वारा संदत्त किए जाने वाले ब्याज की दर ;
- (ग) संकलनकर्ताओं द्वारा अभिदाय का स्व:निर्धारण ;
- (घ) गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकार की समाप्ति की शर्तें ;
- (ङ) इस धारा के अधीन अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा स्कीम के सहज कार्यकरण से संबंधित कोई अन्य विषय,

वे होंगे, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(ii) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, उपधारा (4) के अधीन अभिदाय का संदाय करने से ऐसे संकलनकर्ता या संकलनकर्ताओं के प्रवर्ग को अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान कर सकेगी।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसा संकलनकर्ता, जिसका एक से अधिक कारबार है, को पृथक् कारबार अस्तित्व या संकलनकर्ता समझा जाएगा।

## अध्याय 10

### वित्त और लेखा

लेखा।

**115.** प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन अपने आय और व्यय का ऐसे रूप में और ऐसी रीति में, जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, समुचित सरकार विनिर्दिष्ट, करे, उचित लेखा रखेगा।

संपरीक्षा।

**116.** (1) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा, वार्षिक रूप से संपरीक्षित किए जाएंगे और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा संदेय होगा।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही प्राधिकार, अधिकार और विशेषाधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सरकार

के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया पुस्तकों, लेखाओं, उससे संबंधित वाउचरों, दस्तावेजों और कागजों को प्रस्तुत करने और मांग करने का अधिकार होगा और सामाजिक सुरक्षा संगठन के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा या उसकी ओर से इसके लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ सामाजिक सुरक्षा संगठन को अग्रेषित की जाएगी जो इसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की संपरीक्षा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियों के साथ समुचित सरकार को भेजेगा।

**117.** (1) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन प्रत्येक वर्ष संभाव्य प्राप्ति और ऐसे व्यय दर्शित करने वाला एक बजट बनाएगा जिसे वह आगामी वर्ष के दौरान उपगत करने का प्रस्ताव करता है और बजट की एक प्रति ऐसी तारीख के पूर्व जो इसके द्वारा इस निमित्त नियत की जाए, समुचित सरकार के अनुमोदन के लिए भेजेगा।

बजट प्राकलन।

(2) बजट में ऐसे पर्याप्त उपबंध अन्तर्विष्ट होंगे जो समुचित सरकार की राय में सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा उपगत अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए और कार्यशील अतिशेष के रखरखाव के लिए पर्याप्त हों।

**118.** (1) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन समुचित सरकार को अपने कार्य और क्रियाकलापों की और सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत बजट की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

(2) समुचित सरकार, वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, बजट और संपरीक्षित लेखा रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ तथा उस पर संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठन की टीका-टिप्पणियों के साथ यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा।

**119.** इस संहिता के अधीन किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन या किसी स्थापन द्वारा बनाई रखी गई प्रत्येक निधि का सामाजिक सुरक्षा संगठन या स्थापन द्वारा समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त, यथास्थिति, किसी मूल्यांकक या बीमांकक द्वारा, उसकी आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन, निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :—

आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन।

(क) केन्द्रीय बोर्ड की दशा में, वार्षिक ;

(ख) निगम की दशा में, प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार ;

(ग) किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा संगठन या स्थापन की दशा में, समुचित सरकार के आदेश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट :

परंतु समुचित सरकार, यदि यह आवश्यक समझे, इस धारा में उपबंधित से भिन्न ऐसे अंतरालों पर ऐसा मूल्यांकन किए जाने का निदेश कर सकेगी।

**120.** (1) कोई सामाजिक सुरक्षा संगठन, (निगम के सिवाय) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, संपत्ति अर्जित और धृत जंगम और स्थावर संपत्ति दोनों का, विक्रय या जंगम या स्थावर संपत्ति का अन्यथा अंतरण जो उसमें निहित हो गई हो या इसके द्वारा अर्जित की गई है और ऐसे प्रयोजन के लिए सभी बातें, जो आवश्यक हैं, कर सकेगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए जिनके लिए उक्त सामाजिक सुरक्षा संगठन स्थापित किया गया है, कर सकेगा।

सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा संपत्ति आदि, धारण करना।

(2) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं कोई सामाजिक सुरक्षा संगठन उसमें निहित किसी धन राशियों जिसकी व्ययों के लिए तुरंत उचित रूप से चुकाने के लिए आवश्यकता नहीं है, का समय-समय पर पुनः विनिधान कर सकेगा या ऐसे विनिधानों को वसूल कर सकेगा :

परंतु भविष्य निधि की दशा में, पेंशन निधि या बीमा निधि, ऐसा विनिधान, पुनर्विधान या वसूली, यथास्थिति, भविष्य निधि स्कीम या पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(3) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन (निगम के सिवाय) समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी से और ऐसे निबंधनों पर, जो ऐसी सरकार द्वारा विहित किए जाएं, उधार ले सकेगा और ऐसे उधारों को चुकाने के उपाय कर सकेगा।

(4) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन (निगम के सिवाय), समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी से और ऐसे निबंधनों पर जो ऐसी सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अपने अधिकारियों और कर्मचारिवृंद या उनके किसी वर्ग के फायदे के लिए ऐसी भविष्य या अन्य फायदा निधि, जो वह ठीक समझे, का गठन कर सकेगा :

परंतु केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की दशा में, ऐसे निबंधन भविष्य निधि स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

हानियों का बट्टे खाते में जाना।

**121.** ऐसी शर्तों के अधधीन, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, जहां किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन की यह राय है कि अभिदाय, उपकर, ब्याज या नुकसानी जो इसे देय है, की रकम इस संहिता के अधीन वसूल न किए जाने योग्य हों, संबद्ध सामाजिक सुरक्षा संगठन उक्त रकम का ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, बट्टे खाते में डालना मंजूर कर सकेगा :

परंतु भविष्य निधि, पेंशन निधि या बीमा निधि की दशा में, ऐसा बट्टे खाते में डाला जाना, यथास्थिति, भविष्य निधि स्कीम या पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

## अध्याय 11

### प्राधिकारी, निर्धारण, अनुपालन और वसूली

निरीक्षक - सह - सुकरकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी शक्तियां।

**122.** (1) केंद्रीय सरकार, अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और समुचित सरकार इस संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगी, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट निरीक्षण स्कीम के अनुसार उपधारा (6) के अधीन इस संहिता के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(2) केंद्रीय सरकार, अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता में उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और समुचित सरकार इस संहिता के उपबंधों के संबंध में, अधिसूचना द्वारा एक निरीक्षण स्कीम अधिकथित कर सकेगी, जो वेब आधारित निरीक्षण का सृजन करने का और इस संहिता के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण से संबंधित सूचना मंगाने का उपबंध कर सकेगी और ऐसी स्कीम में, अन्य बातों के साथ, निरीक्षणों को समनुदेशित करने के लिए विशेष परिस्थितियों के समाधान के लिए और स्थापन या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना की मांग करने के उपबंध होंगे।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और समुचित सरकार इस संहिता के उपबंधों के संबंध में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं को यादृच्छिक रूप से निरीक्षण का चयन करने के लिए ऐसी अधिकारिता प्रदत्त कर सकेगी, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या समुचित सरकार की इस धारा के अधीन शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निरीक्षण स्कीम को, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कारकों पर विचार करते हुए तैयार किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा, प्रत्येक स्थापन (जो उस स्थापन को आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या के समान होगा), प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता और प्रत्येक निरीक्षण को विशिष्ट संख्या का समनुदेशन ऐसी रीति में जो अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के संबंध में और इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के संबंध में समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा, अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और इस संहिता के अन्य उपबंधों की बाबत समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति में निरीक्षण रिपोर्टों को समय पर अपलोड किया जाना ;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और समुचित सरकार द्वारा इस संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए ऐसे पैरामीटरों के आधार पर, जो अधिसूचित किए जाएं, विशेष निरीक्षण का उपबंध करना ; और

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा, अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए और इस संहिता के अन्य उपबंधों की बाबत समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे पैरामीटरों के आधार पर नियोजन संबंधों की विशेषताएं, कार्य की प्रकृति और कार्य स्थान की विशेषताएं।

(5) निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता, समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए—

(क) इस संहिता के उपबंधों की अनुपालना के संबंध में नियोजकों और कर्मचारियों को सलाह दे सकेगा ; और

(ख) इस संहिता के उपबंधों के अधीन उसे सौंपे गए स्थापनों का निरीक्षण कर सकेगा।

(6) निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता, उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति की जांच कर सकेगा, जो किसी स्थापन के परिसर में पाया जाता है, जिसके संबंध में निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह स्थापन का कोई कर्मचारी है ;

(ख) किसी व्यक्ति से, जिसके बारे में निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह स्थापन का कोई नियोजक है, जो उन प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन से संबंधित, जिसके लिए निरीक्षण किया गया है, कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई ऐसी जानकारी देना उसकी शक्ति में है, की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेख या सूचना या उसके भागों की तलाशी, अभिग्रहण या उनकी प्रतियां ले सकेगा, जैसा निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता इस संहिता के अधीन किसी अपराध के संबंध में सुसंगत समझे और जिसके संबंध में निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी नियोजक द्वारा किया गया है ;

(घ) समुचित सरकार की जानकारी में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन न आने वाली त्रुटियों या दुरुपयोग को लाना ; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(7) कोई व्यक्ति, जिससे उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता द्वारा किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी सूचना को देने की अपेक्षा की गई है, वह व्यक्ति भारतीय

दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थातर्गत ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक आबद्धकर समझा जाएगा। 1860 का 45

(8) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक वह उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं, वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किसी वारंट के प्राधिकार के अधीन तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे। 1974 का 2

अभिलेख, रजिस्टर, विवरणी आदि का रखा जाना।

### 123. किसी स्थापन का नियोजक—

(क) समुचित सरकार द्वारा विहित प्ररूप में इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा अभिलेखों और रजिस्ट्रों को रखेगा, जिनमें नियोजित व्यक्तियों, मस्टर रोल, मजदूरी के संबंध में ऐसी विशिष्टियां और ब्यौरे तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां और ब्यौरे ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, होंगे, जिनके अंतर्गत—

(i) कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य दिवसों की संख्या ;

(ii) कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के घंटे ;

(iii) संदत्त मजदूरी ;

(iv) छुट्टी, छुट्टी मजदूरी, समयोपरि कार्य के लिए मजदूरी और उपस्थिति ;

(v) कर्मचारियों की पहचान संख्या, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ;

(vi) खतरनाक घटनाओं, दुर्घटनाओं, क्षतियों की संख्या, जिनके संबंध में नियोजक द्वारा प्रतिकर का संदाय किया गया है तथा क्रमशः अध्याय 4 और अध्याय 7 से संबंधित ऐसे प्रतिकर की रकम ;

(vii) अध्याय 3 और अध्याय 4 के संबंध में किसी कर्मचारी की मजदूरी में से नियोजक द्वारा की गई कानूनी कटौतियां ;

(viii) भवन और अन्य संनिर्माण कार्य के संबंध में संदत्त उपकर के बारे में ब्यौरे ;

(ix) विनिर्दिष्ट दिन को कर्मचारियों (नियमित, ठेके पर या नियत अवधि नियोजन) की कुल संख्या ;

(x) किसी विशिष्ट अवधि के दौरान भर्ती किए गए व्यक्ति ;

(xi) कर्मचारियों की उपजीविका ब्यौरे ; और

(xii) रिक्तियां, जिनके लिए उपयुक्त अभ्यर्थी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपलब्ध नहीं थे ;

(ख) कर्मचारियों के कार्य स्थलों पर सूचनाएं ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, प्रदर्शित करेगा ;

(ग) कर्मचारियों को इलैक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा मजदूरी पर्चियां जारी करना ; और

(घ) ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के पास ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिए, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, इलैक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा विवरणी फाइल करना :

परंतु अध्याय 3 से संबंधित इस धारा के अधीन बनाए जाने के लिए अपेक्षित नियमों के अधीन उपबंधित किए जाने वाले विषयों का केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में उनका उपबंध करने के बजाय, यथास्थिति, भविष्य निधि स्कीम या पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम में उपबंध किया जाएगा :

परंतु यह और कि अभिलेखों और रजिस्ट्रों के प्ररूप और अध्याय 4 के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणियों के प्ररूप इन नियमों में उनका उपबंध करने की बजाय विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

**124.** किसी स्थापन के संबंध में कोई नियोजक, जिसको यह संहिता या उसके तदधीन विरचित कोई स्कीम लागू होती है, इस संहिता के अधीन किसी अभिदाय का संदाय करने के लिए केवल उसके दायित्व के कारण या उसके अधीन किसी प्रभार के कारण चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी ऐसे कर्मचारी की मजदूरी या ऐसे फायदों की कुल मात्रा में, जिसका ऐसा कर्मचारी अपने नियोजन के निबंधनों के अधीन अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से हकदार है, कटौती नहीं करेगा, जिसको इस संहिता या उसके तदधीन विरचित किसी स्कीम के उपबंध लागू होते हैं।

नियोजक द्वारा मजदूरी आदि में कटौती आदि न किया जाना।

**125.** (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम के, उस सरकार के समूह 'क' की पंक्ति से अन्यून ऐसे अधिकारियों को, यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में कृत्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो आदेश द्वारा—

नियोजक से शोध्यों का निर्धारण और अवधारण।

(क) ऐसे मामले में, जहां, यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 के किसी स्थापन को लागू होने के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है, ऐसे विवाद का विनिश्चय करेगा ; और

(ख) यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 या ऐसे अध्याय के अधीन बनाई गई स्कीम या नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन किसी नियोजक से शोध्य रकम का अवधारण करेगा ; और

(ग) खंड (क) और खंड (ख) से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसी जांच करेगा, जो वह ऐसे प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् आरंभ नहीं की जाएगी, जिसको, यथास्थिति, खंड (क) में निर्दिष्ट विवाद के उत्पन्न होने का अभिकथन या खंड (ख) में निर्दिष्ट रकम के किसी नियोजक से शोध्य होने का अभिकथन किया गया है।

1908 का 5

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यावत्साध्य, उपधारा (1) के अधीन जांच दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि जांच को दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाए :

परंतु जहां जांच दो वर्ष की उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं की जाती है, ऐसी जांच संचालित करने वाला प्राधिकृत अधिकारी इसे समाप्त न करने की परिस्थितियों और कारणों को अभिलिखित करेगा और इस प्रकार अभिलिखित परिस्थितियों और कारणों को, यथास्थिति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम के महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितियों और कारणों पर विचार करने के पश्चात् उक्त जांच को समाप्त करने के लिए एक वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तार मंजूर कर सकेगा :

परंतु यह भी कि इस संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक पूर्व लंबित जांच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच संचालित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए वहीं शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

1908 का 5

- (क) किसी व्यक्ति को हाजिर करना या शपथ पर उसकी परीक्षा कराना ;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और उसके पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;
- (ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना ; और
- (घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना,

और ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थातर्गत तथा धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा।

1860 का 45

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के सिवाय संबंधित कर्मचारी को उसके मामले में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(5) जहां नियोजक, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति से उपधारा (1) के अधीन जांच में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है, वह कोई वैध कारण बताए बिना ऐसी जांच में भाग लेने में असफल रहता है या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी रिपोर्ट या विवरणी को फाइल करने में जांच करने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहने पर असफल रहता है, तब, यथास्थिति, ऐसा जांच अधिकारी इस संहिता के सुसंगत उपबंधों के लागू होने का विनिश्चय करेगा या यथास्थिति, किसी कर्मचारी से शोध्य रकम का ऐसी जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के आधार पर अवधारण करेगा।

(6) जब किसी नियोजक के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है, वह ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन करेगा और यदि प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कारण बताओ सूचना की सम्यक्तः तामील नहीं की गई थी या ऐसा नियोजक पर्याप्त कारणों से जांच किए जाने के समय उपस्थित होने से निवारित हुआ था, तब प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्वतर आदेश को अपास्त करने का आदेश करेगा और जांच के साथ अग्रसर होने के लिए एक तारीख नियत करेगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश केवल इस आधार पर अपास्त नहीं किया जाएगा कि कारण बताओ सूचना की तामील में कोई अनियमितता है यदि प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि नियोजक को सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हो गई थी और उसके पास प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का पर्याप्त समय था।

**स्पष्टीकरण—**जहां इस संहिता के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाती है और ऐसी अपील का अपीलार्थी द्वारा अपील को वापस लेने के आधार से अन्यथा भिन्न किसी आधार पर निपटान किया जाता है, एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा।

(7) इस धारा के अधीन कोई आदेश उपधारा (6) के अधीन किसी आवेदन पर तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा, जब तक विरोधी पक्षकार को उसकी सूचना की तामील नहीं कर दी जाती है।

अध्याय 4 से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील।

**126.** यदि कोई नियुक्ता धारा 125 में निर्दिष्ट आदेश से संतुष्ट नहीं है और वह अध्याय 4 से संबंधित है तो वह निगम के संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति के अपील प्राधिकारी, जिसका विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए, वह ऐसा आदेश किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर इस प्रकार आदेश किए गए अभिदाय का पच्चीस प्रतिशत जमा करने पर या अपने स्वयं की संगणना के अनुसार, जो भी अधिक हो, निगम के पास जमा करके अपील कर सकेगा :

परंतु अपील प्राधिकारी, अपील का विनिश्चय अपील करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर करेगा :

परंतु यह और कि यदि नियोजक की अंतिम रूप से अपील सफल होती है तो निगम ऐसी जमा को नियोजक को ऐसे ब्याज सहित, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, वापस लौटाएगा।

**127.** सिवाय वहां के जहां इस संहिता में अभिव्यक्त रूप में अन्यथा उपबंधित है, नियोजक उस तारीख के, जिसको कोई रकम इस संहिता के अधीन शोध्य होती है, उसके वास्तविक संदाय की तारीख तक केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसी दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

शोध्य रकम पर ब्याज।

**128.** जब कोई नियोजक किसी अभिदाय का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है, जिसका संदाय करने के लिए वह, यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 या तदधीन विरचित किसी स्कीम के उपबंधों के अनुसार या अध्याय 3 के अधीन संचयन का अंतरण करने या इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन किन्हीं प्रभारों का संदाय करने का दायी है, यथास्थिति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए, नियोजक पर उद्ग्रहण कर सकेगा और नियोक्ता से नुकसानी के रूप में बकाया की रकम से अनधिक रकम ऐसी रीति में, जो अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए विनियमों में और भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम तथा बीमा स्कीम के संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसा उद्ग्रहण और वसूली, ऐसी रीति में की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई संबंधित स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए :

नुकसानी वसूल करने की शक्ति।

परंतु ऐसी नुकसानी को उद्ग्रहीत और वसूल करने से पूर्व नियोजक को सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम किसी स्थापन के संबंध में इस धारा के अधीन उद्ग्रहीत नुकसानी को कम कर सकेगा या उनका अधित्यजन कर सकेगा, जिसके लिए ऐसे अधित्यजन की सिफारिश करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए किसी संकल्प योजना या प्रतिसंदाय योजना का दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन स्थापित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया है।

2016 का 31

**129.** (1) किसी स्थापन के संबंध में किसी नियोजक या किसी अन्य व्यक्ति से शोध्य कोई रकम, जिसके अंतर्गत कोई अभिदाय या संदेय उपकर, प्रभार, ब्याज, नुकसानी या कोई फायदा या कोई अन्य रकम भी है, यदि रकम बकाया है, को धारा 130 से धारा 132 में विनिर्दिष्ट रीति में वसूला जाएगा।

शोध्य रकम की वसूली।

(2) जहां इस संहिता के अधीन कोई रकम बकाया है, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी उपधारा (4) में निर्दिष्ट वसूली अधिकारी को इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा बकाया की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और वसूली अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर उसमें विनिर्दिष्ट रकम को, यथास्थिति, स्थापन या नियोक्ता से नीचे दिए गए एक या अधिक ढंगों से वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात् :—

(क) यथास्थिति, स्थापन या नियोक्ता की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(ख) नियोजक की गिरफ्तारी और कारागार में उसको निरुद्ध रखना ;

(ग) व्यतिक्रमी की जंगम या स्थावर संपत्तियों का प्रबंध करने के लिए किसी रिसीवर की नियुक्ति :

परंतु इस धारा के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय सबसे पहले स्थापन की संपत्तियों के प्रति किया जाएगा और जहां प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट संपूर्ण रकम या बकाया रकम की वसूली करने के लिए ऐसी कुर्की और विक्रय पर्याप्त नहीं है, वहां वसूली अधिकारी ऐसे संपूर्ण बकाया या उसके किसी भाग की वसूली के लिए नियोजक की संपत्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही आरंभ कर सकेगा।

(3) यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी किसी अन्य विधि द्वारा बकाया की वसूली के लिए की गई कार्यवाहियों के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(4) यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन जारी प्रमाणपत्र को उस वसूली अधिकारी को अग्रपिठ कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियोजक—

(क) अपना कारबार या वृत्ति चलाता है या जिसकी अधिकारिता के अधीन उसके स्थापन का प्रधान स्थान स्थित है ; या

(ख) निवास करता है या स्थापन या नियोजक की कोई जंगम या स्थावर संपत्ति स्थित है।

(5) जहां स्थापन या नियोजक की एक या अधिक वसूली अधिकारियों की अधिकारिता में संपत्ति है और वसूली अधिकारी, जिसे, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र भेजा गया है,—

(क) उसकी अधिकारिता के भीतर जंगम या स्थावर संपत्ति के विक्रय से संपूर्ण रकम को वसूल करने में समर्थ नहीं है, या

(ख) उसकी यह राय है कि संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग की वसूली में शीघ्रता लाने या वसूली सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है,

तो वह प्रमाणपत्र को भेज सकेगा या जहां रकम के किसी एक भाग की ही वसूली की जानी है, वहां स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र की एक प्रति को वसूली अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर स्थापन है या नियोजक की संपत्ति है या नियोजक निवास करता है, वसूल की जाने वाली रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए भेज सकेगा और तत्पश्चात् वसूली अधिकारी इस धारा के अधीन शोध्य रकम को वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो प्रमाणपत्र या उसकी प्रति, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे भेजा गया प्रमाणपत्र हो।

प्रमाणपत्र की वैधता और उसका संशोधन।

**130.** (1) यथास्थिति, जब प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी धारा 129 के अधीन किसी वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी करता है, तो नियोजक के पास वसूली अधिकारी के समक्ष रकम के सही होने के संबंध में कोई विवाद करने का विकल्प नहीं होगा और वसूली अधिकारी द्वारा किसी अन्य आधार पर प्रमाणपत्र के संबंध में कोई आक्षेप ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(2) किसी वसूली अधिकारी को किसी प्रमाणपत्र के जारी होते हुए भी, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के पास प्रमाणपत्र को वापस लेने की या प्रमाणपत्र में किसी लिपिकीय या गणितीय भूल के वसूली अधिकारी को सूचना भेजकर सही करने की शक्ति होगी।

(3) यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी वसूली अधिकारी को उपधारा (2) के उक्त प्रमाण के संबंध में उसके द्वारा किए गए वापस लेने के आदेश या प्रमाणपत्र को रद्द करने के आदेश या उसके द्वारा की गई किन्हीं शुद्धियों के बारे में वसूली अधिकारी को संसूचित करेगा।

(4) इस बात के होते हुए भी कि किसी रकम की वसूली के लिए वसूली अधिकारी को कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया है, यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र के

अधीन वसूलीनीय रकम का संदाय करने के लिए नियोजक को समय अनुदत्त कर सकेगा और तदुपरि वसूली अधिकारी इस प्रकार अनुदत्त समय के अवसान तक कार्यवाहियों पर रोक लगा देगा।

(5) जब रकम की वसूली के लिए कोई प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तब, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी वसूली अधिकारी को ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् संदत्त किसी रकम या संदाय करने के लिए अनुदत्त समय को संसूचित करेगा।

(6) जब किसी रकम की मांग करते हुए कोई आदेश जारी किया गया है, जिसके लिए धारा 129 के अधीन वसूली के लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जिसे इस संहिता के अधीन किसी अपील या अन्य कार्यवाही में उपांतरित कर दिया गया है जिसका परिमाण मांग में कटौती है, किंतु आदेश इस संहिता के अधीन और आगे कार्यवाही की विषय-वस्तु है, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र की रकम के ऐसे भाग की वसूली पर रोक लगाएगा जिसका संबंध उक्त कटौती से उस अवधि के लिए है जिसके लिए अन्य कार्यवाही लंबित रहती है।

(7) जहां रकम की वसूली के लिए कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया है तत्पश्चात् बकाया मांग की रकम को इस संहिता के अधीन किसी अपील या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कम कर दिया जाता है तो, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी, जब आदेश किसी अपील या अन्य कार्यवाही की विषय-वस्तु है, के अंतिम और निश्चयक हो जाने पर, ऐसे अंतिम हो जाने या निश्चयक हो जाने के अनुरूप, यथास्थिति, प्रमाणपत्र को संशोधित करेगा या वापस लेगा।

**131.** (1) धारा 129 के अधीन वसूली अधिकारी को किसी प्रमाणपत्र को जारी करते हुए भी, यथास्थिति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का निदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन का इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस धारा में उपबंधित एक या अधिक ढंग से रकम की वसूली कर सकेगा।

वसूली के अन्य ढंग।

(2) यदि किसी व्यक्ति से किसी नियोजक को कोई रकम शोध्य है, जो बकाया की है, यथास्थिति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार शोध्य बकाया की उक्त रकम से कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी अध्यक्षता का अनुपालन करेगा तथा इस प्रकार कटौती की गई राशि को यथास्थिति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन को उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के खाते में जमा करेगा :

1908 का 5

परंतु इस धारा की कोई बात सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 के अधीन किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट-प्राप्त रकम के किसी भाग को लागू नहीं होगी।

(3)(क) यथास्थिति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन के उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर लिखित सूचना द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे, यथास्थिति, धनराशि शोध्य है या किसी नियोजक को शोध्य हो जाएगी या कोई व्यक्ति, जो, यथास्थिति, नियोजक के लिए धनराशि या स्थापन के लिए धनराशि रख सकेगा, यथास्थिति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन के उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या तो तुरंत धनराशि को शोध्य हो जाने पर या धृत किए जाने पर या सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर (धनराशि को शोध्य हो जाने

या धृत किए जाने से पूर्व नहीं) उतनी धनराशि को जो बकाया के संबंध में नियोजक से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो या संपूर्ण धनराशि को जब वह उस रकम के समतुल्य हो या कम हो, का संदाय करेगा।

(ख) इस उपधारा के अधीन कोई सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को जारी की जा सकेगी जो अपने नियोजक के लिए या उसके मद्दे संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी धनराशि को धृत करता है या तत्पश्चात् धृत करेगा और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसी रकम में संयुक्त धारकों के शेयरों को ऐसे खाते में तब तक उपधारणा करेगा जब तक समतुल्य होने के लिए प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है।

(ग) सूचना की एक प्रति नियोजक के अंतिम ज्ञात पते पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन के उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अग्रेषित की जाएगी और संयुक्त खाते की दशा में, सभी संयुक्त धारकों को उनके अंतिम ज्ञात पते पर अग्रेषित की जाएगी।

(घ) इस उपधारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन कोई सूचना जारी की गई है, ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्धकर होगा और विशिष्टतया, जब ऐसी कोई सूचना किसी डाकघर, बैंक या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है तो किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय करने से पूर्व वैसे ही के लिए प्रस्तुत की जाने वाली किसी पासबुक, जमापची, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज के लिए तत्प्रतिकूल किसी नियम, पद्धति या अपेक्षा के होते हुए भी आवश्यक होगा।

(ङ) किसी संपत्ति के संबंध में कोई दावा, जिसके संबंध में इस उपधारा के अधीन कोई सूचना जारी की गई है, सूचना की तारीख के पश्चात् उद्भूत होता है, तो वह उस सूचना में अंतर्विष्ट किसी मांग के प्रति शून्य होगा।

(च) जब किसी व्यक्ति जिसे इस उपधारा के अधीन कोई सूचना भेजी जाती है शपथ पर उसका कथन द्वारा आक्षेप करता है कि मांग की गई धनराशि या उसका कोई भाग नियोजक को शोध्य नहीं है या उसके पास नियोजक के निमित्त या उसके मद्दे किसी खाते में कोई धनराशि नहीं है तब इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति से, यथास्थिति, ऐसी राशि या उसके किसी भाग की मांग करने वाली नहीं समझी जाएगी, किंतु यदि यह पाया जाता है कि ऐसा कथन किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या था तो ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन के उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के प्रति उसके सूचना की तारीख को इस संहिता के अधीन शोध्य किसी धन राशि के लिए नियोजक के प्रति स्वयं के दायित्व की सीमा तक या नियोजक के दायित्व की सीमा तक इनमें से जो भी कम हो, तक उत्तरदायी होगा।

(छ) यथास्थिति, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य ऐसा अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर इस उपधारा के अधीन जारी किसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या ऐसी सूचना के अनुसरण में कोई संदाय करने के लिए समय का विस्तार कर सकेगा।

(ज) यथास्थिति, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य ऐसा अधिकारी इस उपधारा के अधीन जारी किसी सूचना की अनुपालना में संदत्त किसी रकम की रसीद अनुदत्त करेगा और इस प्रकार संदाय करने वाला व्यक्ति इस प्रकार संदत्त रकम की सीमा तक नियोजक के प्रति अपने दायित्व से पूर्णतया निर्मुक्त हो जाएगा।

(झ) इस उपधारा के अधीन किसी सूचना की प्राप्ति के पश्चात् नियोजक के प्रति किसी

दायित्व का निर्वहन करने वाला व्यक्ति, यथास्थिति, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य ऐसे अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से, इस प्रकार उन्मोचित के नियोजक के प्रति अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक या इस संहिता के अधीन शोध्य किसी धनराशि के लिए नियोजक के दायित्व की सीमा तक इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा।

(ज) यदि कोई व्यक्ति जिसे इस उपधारा के अधीन कोई सूचना भेजी जाती है उसके अनुसरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य ऐसे अधिकारी को संदाय करने में असफल रहता है तो उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में नियोजक का व्यतिक्रमी समझा जाएगा और रकम की वसूली करने के संबंध में उसके विरुद्ध अगली कार्यवाही की जा सकेगी मानो वह धारा 129 से धारा 132 में उपबंधित रीति में वह उससे शोध्य बकाया रकम थी और सूचना का वही प्रभाव होगा जो वसूली अधिकारी द्वारा धारा 129 के अधीन उसकी शक्तियों के निर्वहन में बकाया रकम की कुर्की के संबंध में होता है।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य ऐसा अधिकारी उस न्यायालय को जिसकी अभिरक्षा में नियोजक से संबंधित धनराशि ऐसी धनराशि की संपूर्ण रकम उसे किए जाने वाले संदाय के लिए है, या यदि यह रकम शोध्य रकम से अधिक है, शोध्य रकम का उन्मोचन करने के लिए किसी पर्याप्त रकम के लिए, आवेदन कर सकेगा।

(5) यथास्थिति, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या निगम का महानिदेशक या ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य ऐसा अधिकारी, यदि जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है, यथास्थिति किसी नियोजक से या किसी स्थापन से, आय-कर अधिनियम, 1961 की तीसरी अनुसूची में अधिकथित रीति में करस्थम और उसकी या उनकी जंगम संपत्ति के विक्रय द्वारा शोध्य रकम के बकाया की वसूली कर सकेगा।

1961 का 43

1961 का 43

**132.** आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची तथा आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाहियाँ) नियम, 1962 के उपबंध समय-समय पर यथा प्रवृत्त आवश्यक उपांतरणों सहित वैसे ही लागू होंगे मानो उक्त उपबंध और नियम आय-कर के स्थान पर इस संहिता की धारा 129 में वर्णित रकम की शेष रकम में प्रति निर्देश है :

आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना।

परंतु उक्त उपबंधों और नियमों में, "निर्धारिती" के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, नियोजक या स्थापन के प्रति निर्देश है।

## अध्याय 12

### अपराध और शास्तियां

**133.** यदि कोई व्यक्ति,—

(क) किसी नियोजक के होते हुए भी किसी अभिदाय का संदाय करने में असफल रहता है जिसके लिए वह इस संहिता या तदधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या स्कीमों के अधीन संदाय करने का दायी है ; या

अभिदाय आदि के संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति।

(ख) किसी कर्मचारी की मजदूरी से नियोजक के संपूर्ण अभिदाय या उसके किसी भाग की कटौती करता है या कटौती करने का प्रयास करता है ; या

(ग) इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में, किसी कर्मचारी को अनुज्ञेय मजदूरी या किसी विशेषाधिकार या फायदों की कटौती करता है ; या

(घ) इस संहिता के अधीन क्रमशः अध्याय 4 या अध्याय 6 या बनाए गए या नियमों, विनियमों या विरचित स्कीमों के उपबंधों, ऐसे अध्यायों से संबंधित उपबंधों के उल्लंघन में किसी महिला को पदच्युत करता है, सेवोन्मुक्त करता है, पंक्ति में अवनत करता है या अन्यथा दंडित करता है ; या

(ङ) इस संहिता या तद्धीन बनाए गए या विरचित किन्हीं नियमों, विनियमों या स्कीमों के अधीन अपेक्षित कोई विवरणी, रिपोर्ट, विवरण या कोई अन्य सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इंकार करता है ; या

(च) निरीक्षक—सह—सुकरकर्ता या अन्य अधिकारी या केन्द्रीय बोर्ड या निगम या अन्य सामाजिक सुरक्षा संगठन या किसी सक्षम प्राधिकारी के कर्मचारिवृंद को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाता है ; या

(छ) उपदान की किसी रकम का संदाय करने में असफल रहता है जिसके लिए कोई कर्मचारी इस संहिता के अधीन हकदार है ; या

(ज) प्रतिकर की किसी रकम का संदाय करने में असफल रहता है जिसके लिए कोई कर्मचारी इस संहिता के अधीन हकदार है ; या

(झ) प्रसूति फायदे का उपबंध करने में असफल रहता है जिसके लिए कोई स्त्री इस संहिता के अधीन हकदार है ; या

(ञ) सक्षम प्राधिकारी को कोई विवरण भेजने में असफल रहता है जिसकी उससे अध्याय 7 के अधीन भेजने की अपेक्षा की जाती है ; या

(ट) निरीक्षक—सह—सुकरकर्ता द्वारा मांग किए जाने पर इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों या विरचित स्कीमों के अनुसरण में उसकी अभिरक्षा में रखे गए किसी रजिस्टर या दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असफल रहता है ; या

(ठ) भवन निर्माण कर्मकारों को उपकर का संदाय करने में असफल रहता है जिसका संदाय करने में वह इस संहिता के अधीन दायी है ; या

(ड) इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या विरचित स्कीमों की किसी भी अपेक्षा का, जिनके संबंध में इस अध्याय के अधीन किसी विशेष शास्त्र का उपबंध नहीं किया गया है, के उल्लंघन या अननुपालन का दोषी है ; या

(ढ) अध्याय 13 के अधीन कार्यपालक अधिकारी को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाता है ; या

(ण) बेईमानी से कोई मिथ्या विवरणी, रिपोर्ट, कथन करता है या तद्धीन सूचना देता है ; या

(त) किसी ऐसी शर्त का जिसके अधीन रहते हुए धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त थी, अनुपालन करने में असफल रहता है या व्यतिक्रम करता है ;

(थ) अध्याय 3 के अधीन विरचित स्कीम के अधीन संदेय किसी प्रशासनिक या निरीक्षण प्रणाली का संदाय करने में असफल रहता है,

वह निम्नलिखित से दंडनीय होगा—

(i) जब वह खंड (क) के अधीन कोई अपराध करता है ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी किंतु वह,—

(क) कर्मचारी का अभिदाय संदाय करने में, जिसकी उसने कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की है, का संदाय करने में असफलता की दशा में एक वर्ष से कम नहीं होगी और वह एक लाख रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में दो मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो छह मास तक बढ़ाया जा सकेगा और वह पचास हजार रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा :

परंतु न्यायालय अपने निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले किसी पर्याप्त और विशेष कारणों से कम अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा।

(ii) जब वह खंड (छ), के अधीन कोई अपराध करता है ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ;

(iii) जब वह खंड (घ), खंड (च), खंड (झ), खंड (ट), खंड (ठ) या खंड (ण) इनमें से किसी भी खंड के अधीन कोई अपराध करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ;

(iv) जब वह खंड (ख), खंड (ग), खंड (ङ), खंड (ज), खंड (ञ), खंड (ड), खंड (ढ), खंड (त) या खंड (थ) में से किसी भी खंड के अधीन कोई अपराध करता है, तो वह जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**134.** जो कोई किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाने पर उसी अपराध को करता है, दूसरे या प्रत्येक ऐसे पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और दो लाख रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा:

पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय मामलों में वर्धित दंड।

परंतु जब ऐसा दूसरा या पश्चात्पूर्वी अपराध नियोजक द्वारा किसी अभिदाय, प्रभार, उपकर, प्रसूति फायदा, उपदान या प्रतिकर जिसे वह इस संहिता के अधीन संदाय करने के लिए दायी है, का संदाय करने में नियोजक की असफलता के कारण है, वह ऐसे दूसरे या पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए ऐसे कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी किंतु जो दो वर्ष से कम की नहीं होगी से दंडनीय होगा और वह तीन लाख रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा।

**135.** (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

कंपनियों द्वारा अपराध।

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यक्ति—संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संज्ञान।

**136.** (1) कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे कथित व्यक्ति या अधिकारी जो अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा इन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या विरचित स्कीमों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा और इस संहिता और तदधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या विरचित स्कीमों के अन्य उपबंधों के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए, द्वारा किए गए परिवाद पर ही लेगा अन्यथा नहीं।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस संहिता के अधीन कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा सिवाय अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या विरचित स्कीमों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी और तदधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या विरचित स्कीमों के अन्य उपबंधों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्रदान न कर दी जाए।

(3) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर किसी न्यायालय में इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एकल परिवाद एक से अधिक व्यथित व्यक्तियों द्वारा उस उपधारा के अधीन फाइल किया जा सकेगा यदि वे न्यायालय की अधिकारिता के भीतर किसी स्थान पर या भिन्न-भिन्न स्थानों पर हुए उसी या वैसे ही अपराध से व्यथित हुए हों।

अभियोजन से पहले पूर्व अवसर।

**137.** इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निरीक्षक सह-सुकरकर्ता या अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा इस संहिता के अधीन उन अध्यायों से संबंधित बनाए गए नियमों, विनियमों या विरचित स्कीमों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा और इस संहिता और इससे संबंधित इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या विरचित स्कीमों के अन्य उपबंधों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए किसी नियोजक के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियों को आरंभ करने से पूर्व नियोजक को पूर्वोक्त सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए लिखित निदेश के माध्यम से एक अवसर प्रदान करेगा जिसमें ऐसी अनुपालना के लिए समयावधि अधिकथित होगी और यदि नियोजक ऐसी अवधि के भीतर निदेशों का अनुपालन करता है तब नियोजक के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी। किंतु किसी नियोजक को ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा यदि उसी प्रकृति के ऐसे उपबंधों का अनुपालन उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दोहराया जाता है जिसको ऐसा प्रथम उल्लंघन किया गया था और ऐसी दशा में, अभियोजन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार आरंभ किया जाएगा।

अपराधों का उपशमन।

**138.** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अपराध जो प्रथम बार किया गया है जो इस अध्याय के अधीन दंडनीय ऐसा अपराध है,—

(i) जो केवल जुर्माने से दंडनीय है ; और

(ii) कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय है,

किसी अभियोजन को प्रारंभ करने से पूर्व या पश्चात् अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा उन अध्यायों से संबंधित इस संहिता के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों या विरचित

स्कीमों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा और इस संहिता के अन्य उपबंधों तथा समुचित सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन उनसे संबंधित बनाए गए नियमों, विनियमों या विरचित स्कीमों के अन्य उपबंधों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार द्वारा ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अपराधी द्वारा ऐसी रकम के संदाय पर समुचित सरकार को किए गए आवेदन पर उपशमन किया जा सकेगा,—

(i) जो केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध की दशा में, उस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के आधी होगी; या

(ii) जो ऐसे अपराधों की दशा में, ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष से अधिक न हो तथा जुर्माने से भी दण्डनीय हों, उस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की तीन चौथाई होगी।

(2) इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा अपराध दूसरी बार किए या तत्पश्चात् निम्नलिखित के किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किए गए अपराध को लागू नहीं होगी—

(i) उसी अपराध का किया जाना जिसे उपशमन किया गया था; या

(ii) उसी अपराध का किया जाना, जिसके लिए व्यक्ति को पूर्व में दोषसिद्ध ठहराया गया था।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध का उपशमन करने के लिए शक्तियों का प्रयोग अध्याय 3 और अध्याय 4 तथा इस संहिता के अधीन उन अध्यायों से संबंधित बनाए गए नियमों, विनियमों या विरचित स्कीमों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार और इस संहिता के अन्य उपबंधों तथा इस संहिता के अधीन उनसे संबंधित बनाए गए नियमों, विनियमों या विरचित स्कीमों के अन्य उपबंधों से संबंधित अपराधों के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार के निदेशों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए करेगा।

(4) किसी अपराध का उपशमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(5) जब किसी अपराध का उपशमन किसी अभियोजन को प्रारंभ करने से पूर्व किया जाता है, तब अपराधी के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में, जिसकी बाबत इस प्रकार अपराध का उपशमन किया गया है, कोई अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जाएगा।

(6) जब किसी अपराध का उपशमन किसी अभियोजन को संस्थित करने के पश्चात् किया जाता है, तब ऐसे उपशमन को उस न्यायालय की जानकारी में उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा लिखित सूचना में लाया जाएगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और न्यायालय को अपराध के उपशमन की ऐसी सूचना पर व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का उपशमन किया गया है, उन्मोचित हो जाएगा।

(7) कोई व्यक्ति, जो उपधारा में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा।

### अध्याय 13

## नियोजन सूचना और मानीटरी

**139.** (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रत्येक स्थापन या स्थापनों के किसी वर्ग या श्रेणी का नियोजक, यथास्थिति, उस स्थापन या स्थापनों के ऐसे वर्ग या श्रेणी में किसी व्यवसाय में किसी रिक्ति को भरने से पूर्व ऐसे व्यवसाय केंद्रों को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उस रिक्ति

व्यवसाय केंद्रों को रिक्तियों की रिपोर्ट करना।

की रिपोर्ट करेगा या रिपोर्ट करवाएगा और तत्पश्चात् नियोजक ऐसी अध्यक्ष का अनुपालन करेगा।

(2) समुचित सरकार, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विहित कर सकेगी, अर्थात् :—

(i) वह रीति, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिक्तियों की इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा व्यवसाय केंद्रों को रिपोर्ट की जाएगी ;

(ii) वह प्ररूप, जिसमें ऐसी रिक्तियों की व्यवसाय केंद्रों को रिपोर्ट की जाएगी ; और

(iii) संबंधित व्यवसाय केंद्र को नियोजक द्वारा विवरणी फाइल करने की रीति और प्ररूप।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) की कोई बात नियोजक पर व्यवसाय केंद्र के माध्यम से किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी रिक्ति को भरने की बाध्यता अधिरोपित करने वाली केवल इस कारण से नहीं समझी जाएगी कि ऐसी रिक्ति की रिपोर्ट की गई है।

(4) कार्यपालक अधिकारी किसी नियोजक के कब्जे में किसी अभिलेख या दस्तावेज तक पहुंच रख सकेगा, जिसकी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है और वह किसी युक्तियुक्त समय पर किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकेगा, जहां उसके पास ऐसे अभिलेख या दस्तावेज होने का विश्वास है और वह अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा या उनकी प्रतियां ले सकेगा या अपेक्षित कोई सूचना अभिप्राप्त करने के लिए कोई आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा।

इस अध्याय के लागू होने से अपवर्जन।

**140.** (1) धारा 139 के उपबंध निम्नलिखित में रिक्तियों के संबंध में लागू नहीं होंगे—

(क) बागान में नियोजन से भिन्न प्राइवेट क्षेत्र में किसी स्थापन में कृषि (जिसके अंतर्गत बागान कृषि है) किसी नियोजन में ; या

(ख) घरेलू सेवा में किसी नियोजन में ; या

(ग) संसद या किसी राज्य विधान-मंडल के कर्मचारिवृंद से संपृक्त किसी नियोजन में ; या

(घ) ऐसे किसी नियोजन में जिसकी कुल अवधि नब्बे दिन से कम है ; या

(ङ) ऐसे स्थापनों के किसी वर्ग या श्रेणी में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ; और

(च) किसी स्थापन (सरकारी स्थापन से भिन्न), जिसमें बीस या कर्मचारियों की ऐसी संख्या जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ; और

(छ) किसी अन्य नियोजन में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(2) जब तक केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश न दे तब तक इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होंगे—

(क) वे रिक्तियां, जिनको उसी स्थापन की किसी शाखा या विभाग के अधिशिष्ट कर्मचारिवृंद की प्रोन्नति के माध्यम से या आमेलन द्वारा या स्वतंत्र भर्ती अभिकरणों, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग या किन्हीं अन्य अभिकरणों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, के माध्यम से भरने का प्रस्ताव है; या

(ख) किसी नियोजन में वे रक्तियां, जिनका मासिक पारिश्रमिक किसी ऐसी रकम से कम है, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

#### अध्याय 14

#### प्रकीर्ण

**141.** (1) असंगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित की जाएगी, और निधि के स्रोत निम्नलिखित के अधीन प्राप्त वित्तपोषण से मिलकर बनेंगे,—

सामाजिक सुरक्षा निधि।

(i) धारा 109 की उपधारा (3) के अधीन ;

(ii) धारा 114 की उपधारा (3) के अधीन ;

(iii) इस संहिता के अधीन अपराधों के शमन से प्राप्त वित्तपोषण और किसी अन्य केन्द्रीय श्रम विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा निधि से प्राप्त वित्तपोषण।

(2) खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) में से प्रत्येक खंड के अधीन उल्लिखित वित्तपोषण के लिए पृथक् खाता स्थापित किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामाजिक सुरक्षा निधि, उन प्रयोजनों के लिए खर्च की जाएगी जिनके लिए उपधारा (2) के अधीन पृथक् खाता स्थापित किया गया है और बनाए रखा गया है।

(4) सामाजिक सुरक्षा निधि को, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से स्थापित और प्रशासित किया जाएगा।

(5) असंगठित कर्मकार के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित से प्राप्त रकम जमा की जाएगी—

(i) राज्य सरकार से संबंधित इस संहिता के अधीन अपराधों के शमन से ; और

(ii) ऐसे अन्य स्रोत से जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए,

और निधि को ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए प्रशासित किया जाएगा और खर्च किया जाएगा।

**142.** (1) यथास्थिति, कोई कर्मचारी या असंगठित कर्मकार या कोई अन्य व्यक्ति—

आधार का लागू होना।

(क) किसी सदस्य या फायदाग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए ; या

(ख) वस्तु रूप में या नकद या चिकित्सा रुग्णता फायदा या पेंशन, उपदान या प्रसूति फायदा या किसी अन्य फायदा की वांछ या किसी निधि की निकासी के लिए ; या

(ग) कैरियर केन्द्र की सेवाओं का लाभ उठाने ; या

(घ) स्वयं बीमाकृत व्यक्ति के रूप में या अपने आश्रितों के लिए कोई संदाय या चिकित्सा परिचर्या प्राप्त करने के लिए,

इस संहिता या तदधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या विरचित स्कीमों के अधीन, यथास्थिति, अपनी या अपने कुटुंब के सदस्यों या आश्रितों की आधार संख्या के माध्यम से ऐसी रीति में पहचान स्थापित करेगा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए विहित किया जाए, ऐसे प्रयोजन के लिए 'आधार' पद का वही अर्थ होगा, जो उसका आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में है:

2016 का 18

परन्तु कोई विदेशी कर्मचारी आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (फ) के अर्थान्तर्गत निवासी होने पर यथाशीघ्र, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या अभिप्राप्त और प्रस्तुत करेगा।

2016 का 18

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार जारी किया जाएगा।

2016 का 18

स्थापन को छूट देने की शक्ति।

**143.** (1) इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिनके अंतर्गत छूट प्रदान करने से पूर्व पूरी की जाने वाली पात्रता शर्तें तथा छूट प्रदान करने के पश्चात् पूरी की जाने वाली शर्तें, जैसा इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार इस निमित्त किसी स्थापन या स्थापनाओं के वर्ग (जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन कारखाना या अन्य स्थापन हैं) या कर्मचारियों या कर्मचारियों के वर्ग को इस संहिता के किसी या सभी उपबंधों से, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, छूट प्रदान कर सकेगी और उसका ऐसी और अवधि के लिए ऐसी छूट का सदृश अधिसूचना द्वारा नवीकरण कर सकेगी:

परंतु ऐसी कोई छूट,—

(i) केंद्रीय बोर्ड के पूर्व परामर्श के बिना भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम, बीमा स्कीम के संबंध में ; और

(ii) निगम के पूर्व परामर्श के बिना अध्याय 4 के संबंध में,

अनुदत्त या नवीकृत नहीं की जाएगी और यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या निगम ऐसे परामर्श करने पर अपने विचारों को और समुचित सरकार को ऐसी समय सीमा के भीतर, जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए, अग्रेषित करेगा।

(2) समुचित सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में उन शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका यथास्थिति, छूट प्राप्त स्थापन या स्थापन का वर्ग या नियोजक या कर्मचारियों का वर्ग ऐसी छूट के पश्चात् अनुपालन करेगा :

परंतु भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम, बीमा स्कीम के संबंध में छूट प्रदान करने के प्रयोजन के लिए छूट के निर्बंधन और शर्तें ऐसी संबंधित स्कीम में विनिर्दिष्ट होगी।

(3) यथास्थिति, किसी स्थापन या स्थापन के वर्ग या कर्मचारियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गई छूट प्रारंभ में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी और उसका समुचित सरकार द्वारा ऐसी अवधि के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, विस्तार किया जा सकेगा:

परंतु भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम, बीमा स्कीम के संबंध में छूट प्रदान करने के प्रयोजन के लिए छूट का विस्तार ऐसी अवधि के लिए किया जा सकेगा जैसा संबंधित स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गई छूट केवल तभी प्रदान की गई जब इस प्रकार छूट प्राप्त स्थापन या स्थापनों के वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग अन्यथा संहिता के इस प्रकार छूट दिए जाने वाले उपबंधों में उपबंधित वैसे ही फायदों या उससे बेहतर सारवान् फायदे प्राप्त कर रहे हैं।

(5) निधि का प्रशासन, निवेश का प्रबंधन, अभिदायों के खातों का बनाए रखना, प्रत्याहरण, प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सृजित निधि के ब्याज के प्रत्यय के प्रयोजनों के लिए और कोई अन्य मामला जो किसी छूट प्राप्त स्थापन या स्थापन के वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग जो स्कीम में विनिर्दिष्ट हो, के लिए नियोजक द्वारा गठित किया जाएगा जो एक विधिक इकाई होगी जो वाद ला सकती है और जिसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है और न्यास के प्रबंध के लिए शर्तें छूट के लिए शर्तों के भाग के रूप में समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएगी :

परंतु निधि का प्रशासन, निवेश का प्रबंधन, अभिदायों के खातों का बनाए रखना, प्रत्याहरण, प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सृजित निधि के ब्याज के प्रत्यय के प्रयोजनों के लिए, भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम से छूट के संबंध में शर्तें संबंधित स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(6) जहां इस धारा के अधीन किसी स्थापन, स्थापन के वर्ग, कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को इस संहिता के किंहीं या सभी उपबंधों या अध्याय 3 के अधीन किसी स्कीम के प्रचालन से छूट प्रदान की जाती है, तो ऐसे स्थापन के संबंध में नियोजक इलेक्ट्रानिक रूप से ऐसी विवरणियां नियोजित व्यक्तियों, कर्मचारियों के संबंध में अनुरक्षित खातों, निधि से किए गए विनिधान के संबंध में प्रस्तुत करेगा, निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण के लिए प्रभार संदत्त करेगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(7) यदि किसी स्थापन या स्थापनों के वर्ग से संबंधित नियोजक या कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग जिनके संबंध में उपधारा (1) के अधीन छूट दी गई है, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है, तब ऐसी असफलता पर, समुचित सरकार, इस प्रकार प्रदान की गई छूट को रद्द कर सकती है।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन दी गई कोई छूट रद्द की जाती है वहां प्रत्येक कर्मचारी को, जिसको ऐसी छूट लागू होती है, उस स्थापन की जिसमें वह नियोजित है की छूट प्राप्त निधि में, अधिशेष और आरक्षितों की संपूर्ण रकम, यदि कोई है, और उसके खाते में संचित राशि, यथास्थिति, इस संहिता के अधीन सृजित संबंधित कानूनी निधि में ऐसे समय के अंदर और ऐसी रीति में अंतरित की जाएगी जो छूट के अनुदानों की शर्तों में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम से किसी छूट के रद्दकरण के संबंध में, छूट प्राप्त कर्मचारी के संचयों को छूट प्राप्त निधियों से ऐसी संबंधित निधियों में अंतरण की समय सीमा, प्ररूप और रीति ऐसी संबंधित स्कीमों में विनिर्दिष्ट होंगी।

(9) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का नियोजक, स्थापन के न्यासी बोर्ड के उस प्रभाव के संकल्प के पश्चात्, समुचित सरकार को एक आवेदन, आवेदन में विनिर्दिष्ट तारीख से उस उपधारा के अधीन प्रदान की गई छूट को अभ्यर्पित करने के लिए कर सकेगा और उस आवेदन की प्राप्ति पर समुचित सरकार आवेदन में विनिर्दिष्ट तारीख से इस संहिता के अधीन नियोजक को कानूनी निधि में अभिदाय को विप्रेषित करना अनुज्ञात कर सकेगी और छूट के रद्दकरण के लिए आवेदन कार्यवाही कर सकेगी तथा ऐसे रद्दकरण पर, नियोजक और न्यासी बोर्ड, प्रत्येक कर्मचारी के संचयन और अधिशेष तथा आरक्षितों को उपधारा (5) में निर्दिष्ट निधि से इस संहिता के अधीन संबंधित कानूनी निधि में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अंतरित करेंगे:

परंतु भविष्य निधि स्कीम, पेंशन स्कीम और बीमा स्कीम से छूट के किसी अभ्यर्पण के संबंध में, छूट प्राप्त कर्मचारियों के संचयन और उपधारा (5) में निर्दिष्ट निधि से अधिशेष और आरक्षितों की इस संहिता के अधीन संबंधित कानूनी निधियों से अंतरण की समय सीमा और प्ररूप और रीति वह होगी जो अध्याय 3 के अधीन विरचित संबंधित स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए।

**144.** अध्याय 3 या अध्याय 4 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 के अधीन संदेय नियोजक का अभिदाय या कर्मचारी का अभिदाय या दोनों को ऐसे स्थापन के संबंध में, जिसको वैश्विक महामारी, महामारी या राष्ट्रीय आपदा की दशा में सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग को, यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 4 लागू होते हैं, एक समय पर तीन मास तक की अवधि के लिए आस्थगित या अवनत कर सकेगी।

स्थगित या कम करने की शक्ति।

**145.** जब कोई नियोजक अपने संपूर्ण स्थापन का या उसके किसी भाग का विक्रय, दान, पट्टा या अनुज्ञप्ति या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, अंतरण कर देता है, तब नियोजक और व्यक्ति, जिसे इस प्रकार स्थापन अंतरित किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्: किन्हीं दायित्वों,

स्थापन के अंतरण की दशा में दायित्व।

उपकर की बाबत शोध रकम या इस संहिता के अधीन ऐसे अंतरण की तारीख तक की अवधियों के संबंध में संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के लिए दायी होंगे :

परंतु ऐसे अंतरण द्वारा अंतरिती का दायित्व उसके द्वारा अभिप्राप्त आस्तियों के मूल्य तक सीमित होगा।

सदस्यों,  
अधिकारियों और  
कर्मचारिवृंद का  
लोक सेवक होना।

**146.** किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन का प्रत्येक सदस्य और उसके अधिकारी और कर्मचारिवृंद, कोई निरीक्षक—सह—सुकरकर्ता, सक्षम प्राधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी, वसूली अधिकारी और कोई अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन किसी कृत्य का निर्वहन कर रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थातर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई  
कार्रवाई के लिए  
संरक्षण।

**147.** किसी ऐसी बात के लिए जो इस संहिता के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने या शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संहिता या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या बनाई गई विरचित स्कीम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है कार्रवाई—

- (i) केंद्रीय सरकार ;
- (ii) राज्य सरकार ;
- (iii) सामाजिक सुरक्षा संगठन ;
- (iv) सक्षम प्राधिकारी ;
- (v) किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन का कोई अधिकारी या सदस्य ; या
- (vi) किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी,

के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

फायदों का  
दुरुपयोग।

**148.** यदि समुचित सरकार का उसके द्वारा विहित रीति में यह समाधान हो जाता है कि कोई स्थापन या किसी अन्य व्यक्ति ने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों या विरचित स्कीम के अधीन उपबंधित किसी फायदे का दुरुपयोग किया है तो ऐसी सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसे स्थापन या अन्य व्यक्ति को ऐसे समय के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे फायदे से वंचित कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक, यथास्थिति, ऐसे स्थापन या अन्य व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यह और कि अध्याय 3 से संबंधित इस धारा के अधीन किसी फायदे के दुरुपयोग को अभिनिश्चित करने की रीति, यथास्थिति, भविष्य निधि स्कीम या पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

केंद्रीय सरकार की  
राज्य सरकार और  
सामाजिक सुरक्षा  
संगठन को निदेश  
देने की शक्ति।

**149.** केंद्रीय सरकार,—

- (i) किसी राज्य सरकार को या धारा 12 के अधीन गठित किसी राज्य बोर्ड को उस राज्य बोर्ड को उस राज्य में इस संहिता के किन्हीं उपबंधों को क्रियान्वित करने; या
- (ii) किसी भी सामाजिक सुरक्षा संगठन को, इस संहिता के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित किसी विषय के संबंध में निदेश दे सकेगी।

स्कीम बनाने की  
शक्ति।

**150.** समुचित सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए इस संहिता से संगत स्कीमों बना सकेगी।

कुर्की आदि के विरुद्ध  
संरक्षण।

**151.** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य की इस संहिता के अधीन या किसी छूट प्राप्त कर्मचारी की अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 7 के अधीन नियोजक के पक्ष में उसके नियोजक द्वारा अनुरक्षित भविष्य

निधि में जमा रकम पर किसी भी रूप में उसे समनुदेशित नहीं किया जाएगा या प्रभारित नहीं किया जाएगा और वह, यथास्थिति, ऐसे कर्मचारी सदस्य या छूट प्राप्त कर्मचारी द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी न्यायालय में किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की के लिए दायी नहीं होगा।

(2) निधि में किसी सदस्य के नाम में जमा या किसी छूट प्राप्त कर्मचारी की उसके नियोजक द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि में जमा, यथास्थिति, ऐसे सदस्य या छूट प्राप्त कर्मचारी की कोई रकम और जो निधि की स्कीम या नियमों के अधीन उसके नामनिर्देशिनी को या नामनिर्देशन की असफलता की दशा में उसके कुटुंब को संदेय है, यथास्थिति ऐसी स्कीम या नियमों द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती के अधीन रहते हुए, नामनिर्देशिनी या ऐसे कुटुंब में निहित की जाएगी और वह मृतक या उसके नामनिर्देशिनी द्वारा उसकी मृत्यु से पूर्व किसी ऋण या उपगत अन्य दायित्व से मुक्त होगी और वह किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की का दायी भी नहीं होगी।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट सम्यक् कोई रकम उस स्थापन की आस्तियों पर प्रभारित होगी, जिससे वह संबंधित है और उसका दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अनुसार पूर्विकता के आधार पर संदाय किया जाएगा।

2016 का 31

**152.** (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची का उसमें परिवर्धन या हटाकर संशोधन कर सकेगी और ऐसे परिवर्धन या हटाए जाने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जाएगी।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

(2) यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची का उसमें परिवर्धन न कि अन्यथा के माध्यम से संशोधन कर सकेगी और ऐसे परिवर्धन किए जाने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जाएगी।

**153.** इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए धारा 164 के अधीन निरसित अधिनियमितियों के अधीन गठित या स्थापित निम्नलिखित संगठन, अर्थात् :—

संक्रमणकालीन उपबंध।

1952 का 19

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5 (क) के अधीन गठित केंद्रीय बोर्ड ;

1952 का 19

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5कक के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति ;

1948 का 34

(iii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन स्थापित निगम;

1948 का 34

(iv) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अधीन गठित चिकित्सा प्रसुविधा परिषद् ;

1948 का 34

(v) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 8 के अधीन गठित निगम की स्थायी समिति ; और

1996 का 37

(vi) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड,

इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् इस संहिता के अधीन तत्स्थानी संगठनों के गठित होने तक या निरसित अधिनियमितियों के अधीन उनकी अपनी-अपनी समयावधि की समाप्ति तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो धारा 4 के अधीन गठित केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि न्यासी बोर्ड, धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन गठित कार्यकारिणी, समिति, धारा 5 के अधीन गठित कर्मचारी राज्य बीमा

निगम, धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन गठित चिकित्सा प्रसुविधा समिति, धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन गठित स्थायी समिति, धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, इस संहिता के अधीन तत्स्थानी संगठनों की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे करते रहेंगे मानो ऐसे निरसित अधिनियमितियों के अधीन, यथास्थिति, गठित या स्थापित ऐसे संगठन इस संहिता से संबंधित ऐसे उपबंधों के अधीन गठित किए गए हों।

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

**154.** (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उससे संगत नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अधीन फायदाग्राहियों की समूह बीमा योजना के प्रीमियम के संबंध में रकम, खंड (घ) के अधीन फायदाग्राहियों के बालकों के लिए शैक्षिक स्कीमें, खंड (ङ) के अधीन फायदाग्राही या उसके ऐसे आश्रितों की मुख्य बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय ;

(ख) धारा 37 की उपधारा (7) के खंड (ख) के अधीन वह रीति और समय जिसके अंदर बीमाकृत व्यक्ति या निगम द्वारा कर्मचारी बीमा न्यायालय में द्वितीय अपील फाइल की जा सकेगी;

(ग) कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के प्रारंभ की रीति और धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन फीस और उसकी प्रक्रिया ;

(घ) बैंक या अन्य वित्तीय संस्था जिनमें धारा 53 की उपधारा (1) के तीसरे परन्तुक के अधीन अवयस्क के फायदे के लिए उपदान का विनिधान किया जाएगा ;

(ङ) धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशन का समय, प्ररूप और रीति, उपधारा (4) के अधीन नया नामनिर्देशन करने का समय, उपधारा (5) के अधीन नामनिर्देशन में उपांतरण का प्ररूप और रीति और उपधारा (6) के अधीन नया नामनिर्देशन करने का प्ररूप;

(च) ऐसा समय जिसके भीतर और प्ररूप जिसमें धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन लिखित आवेदन किया जाएगा और उसकी उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करने का प्ररूप ;

(छ) धारा 57 की उपधारा (3) के अधीन नियोजक द्वारा स्थापन के रजिस्ट्रीकरण की रीति और अनुमोदित उपदान निधि के न्यासी बोर्ड की संरचना की रीति और ऐसी रीति जिसमें सक्षम प्राधिकारी उपधारा (4) के अधीन बीमाकर्ता से कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम वसूली कर सकेगा ;

(ज) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी की अर्हताएं और अनुभव;

(झ) प्राधिकारी जिसको धारा 72 की उपधारा (3) के अधीन अपील की जा सकेगी;

(ञ) धारा 82 की उपधारा (4) के अधीन कर्मचारियों का वर्ग और सूचना पुस्तिका का प्ररूप ;

(ट) धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्टर में ज्ञापन अभिलिखित करने की रीति ;

(ठ) धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए ऐसा अन्य अनुभव और अर्हताएं ;

(ड) धारा 101 के अधीन उपकर की रकम का संदाय करने की समय सीमा ;

(ढ) धारा 105 की उपधारा (2) के अधीन अपील के लिए फीस ;

(ण) धारा 120 की उपधारा (1) के अधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन, धारण, विक्रय या अन्यथा अंतरण करने के लिए शर्तें, उपधारा (2) के अधीन धनराशियां विनिधान करने, पुनः विनिधान करने या विनिधानों को वसूलने की शर्तें, उपधारा (3) के अधीन उधार लेने के निबंधन और ऐसे उधारों को चुकाने के लिए किए जाने वाले उपाय और उपधारा (4) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द या उनके किसी वर्ग के फायदे भविष्य निधि या अन्य फायदा निधि गठित करने के निबंधन;

(त) धारा 121 के अधीन अप्रतिसंहरणीय शोध्यों को बड़े खाते में डालने की शर्तें और रीति ;

(थ) धारा 122 की उपधारा (6) के खंड (ड) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता की अन्य शक्तियां ;

(द) धारा 123 के खंड (क) के अधीन अभिलेखों और रजिस्ट्रों का प्ररूप तथा अनुरक्षण करने की रीति और अन्य विशिष्टियां तथा ब्यौरे, खंड (ख) के अधीन कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर सूचनाएं प्रदर्शित करने की रीति और प्ररूप और खंड (घ) के अधीन अधिकारी या प्राधिकारी को विवरणी फाइल करने की रीति और अवधि ;

(ध) धारा 138 की उपधारा (4) के अधीन किसी अपराध के शमन के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति ;

(न) धारा 139 की उपधारा (2) के अधीन रिक्तियों को रिपोर्ट करने की रीति और प्ररूप और संबद्ध व्यवसाय केन्द्र के पास नियोजक द्वारा विवरणी फाइल करने का प्ररूप;

(प) ऐसा समय जिसके भीतर, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या निगम धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार को अपने विचार अग्रेषित करेगी, ऐसी शर्तें जिनका यथास्थिति, छूट प्राप्त स्थापन या स्थापनों का वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग उपधारा (2) के अधीन ऐसी छूट के पश्चात् अनुपालन करेंगे और उपधारा (5) के अधीन न्यास के प्रबंध की शर्तें ;

(फ) धारा 148 के अधीन स्थापन द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी फायदे के दुरुपयोग को अवधारित करने की रीति; और

(ब) कोई अन्य विषय, जिसको संहिता के उपबंधों के अधीन, समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है, विहित किए जाने की अपेक्षा की जाए।

**155.** (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उससे संगत नियम बना सकेगी।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 1 की उपधारा (5) के अधीन रीति और शर्तें जिसके अधीन रहते हुए अध्याय 3 के उपबंध केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा स्थापन को लागू नहीं होंगे और उपधारा (7) के अधीन रीति और शर्तें जिसके अधीन रहते हुए उस अध्याय 4 के उपबंध निगम के महानिदेशक द्वारा स्थापन को लागू नहीं होंगे ;

(ख) धारा 2 के खंड (9) के अधीन व्यवसाय केन्द्र और व्यवसाय सेवाओं के स्थान की रीति और अनुरक्षण, खंड (33) के उपखंड (ड) के अधीन आश्रित माता-पिता (जिसके अंतर्गत महिला कर्मचारी के ससुर और सास सम्मिलित हैं) की आय और खंड (52) के उपखंड (ग) के परन्तुक के अधीन अन्य प्राधिकरण जो अधिभोगी समझे जाएंगे और वे मामले जो प्रत्यक्षतः पोत की दशा से संबंधित हैं जिनके लिए पोत का स्वामी अधिभोगी समझा जाएगा ;

(ग) धारा 3 के अधीन स्थापन को रजिस्ट्रीकृत करने का समय और रीति रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन की रीति, शर्तें जिनके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द होगा और रद्दकरण की प्रक्रिया और स्थापन के संबंध में उससे संबंधित अन्य मामले जिसको अध्याय 3 और अध्याय 4 लागू होता है और जिसकी कारबार क्रियाकलाप बंद होने की प्रक्रिया में है ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय बोर्ड में निहित निधियों का प्रशासन करने की रीति, उपधारा (3) के अधीन कार्यपालक समिति द्वारा अपने कृत्यों का निष्पादन करने में केन्द्रीय बोर्ड की सहायता करने की रीति, उपधारा (6) के अधीन केंद्रीय बोर्ड और कार्यपालक समिति के सदस्यों के निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत उनकी पदावधि और उनके कर्तव्य सम्मिलित हैं और उपधारा (7) के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करने की रीति;

(ङ) धारा 5 के अधीन निगम का प्रशासन करने की रीति, उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन राज्यों का प्रतिनिधित्व करने की रीति, उपधारा (3) के अधीन स्थायी समिति के गठन की रीति, उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन निगम के कार्यों का प्रशासन करने, स्थायी समिति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करने की रीति, उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन चिकित्सा प्रसुविधा समिति कर्तव्य और शक्तियां और निबंधन तथा शर्तें, जिनके अंतर्गत पदावधि भी है, जिनके अधीन रहते हुए निगम और स्थायी समिति का सदस्य धारा 5 की उपधारा (7) के अधीन क्रमशः अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ;

(च) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निष्पादन करने की रीति, उपधारा (4) के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति उनकी पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और रिक्तियों को भरने की रीति तथा उपधारा (6) के अधीन कारबार का संव्यवहार करने संबंधी प्रक्रिया का समय, स्थान और नियम ;

(छ) धारा 7 की उपधारा (6) के खंड (ज) के अधीन कल्याणकारी उपाय और सुविधाएं;

(ज) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन वे अन्तराल जिन पर सामाजिक सुरक्षा संगठन या उसकी कोई समिति बैठक करेगी और बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया और उपधारा (4) के अधीन ऐसे सामाजिक सुरक्षा संगठन या समिति के सदस्यों की फीस और भत्ते ;

(झ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन निगम या केंद्रीय बोर्ड या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड या भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या समितियों के पुनर्गठन की रीति और उपधारा (2) के अधीन इस संहिता के सुसंगत उपबंधों के प्रशासन के प्रयोजन के लिए वैकल्पिक ठहराव ;

(ञ) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन स्थापन के संबंध में भविष्य निधि खाते के अनुरक्षण की रीति ;

(ट) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल करने का प्ररूप, रीति, समय सीमाएं और फीस ;

(ठ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन महानिदेशक या वित्तीय आयुक्त के वेतन और भत्ते और उपधारा (4) के अधीन उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य और उपधारा (7) के परंतुक के अधीन अधिकतम मासिक वेतन की सीमा ;

(ड) धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निधि या कोई अन्य धनराशि जो निगम द्वारा धारित है के विनिधान की रीति ;

(ढ) धारा 26 के खंड (ट) के अधीन व्यय चुकाने की सीमाएं ;

(ण) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति अर्जित करने की शर्तें, किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का विक्रय या अन्यथा अंतरण, उपधारा (2) के अधीन निगम द्वारा धनराशियों का विनिधान करने की शर्तें और उपधारा (3) के अधीन ऐसे उधार लेने के निबंधन और ऐसे उधारों को चुकाने के उपाय ;

(त) धारा 28 के अधीन कर्मचारियों का बीमा करने की रीति ;

(थ) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अभिदायों की दर ;

(द) धारा 30 के अधीन प्रशासनिक व्ययों का प्रकार तथा आय का प्रतिशत, जिसका व्ययों के लिए खर्च किया जा सकता है और ऐसे खर्च की सीमाएं ;

(ध) धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (च) के परंतुक के अधीन संदाय की रकम की सीमा और उपधारा (3) के अधीन दावा फायदा लेने की अर्हताएं, शर्तें, दर और उसकी अवधि;

(न) वे सीमाएं, जिनके भीतर धारा 33 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निधि से व्यय उपगत किया जा सकेगा ;

(प) ऐसी रीति और समय जिसके भीतर बीमाकृत व्यक्ति या निगम धारा 37 की उपधारा (7) के खंड (क) के अधीन अपील फाइल कर सकेगा ;

(फ) धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन आश्रितों के फायदे और उपधारा (2) के अधीन अन्य आश्रितों को संदाय करने की दरें, अवधि और शर्तें ;

(ब) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन किसी बीमाकृत व्यक्ति और उसके कुटुंब की चिकित्सा फायदे के दावा करने की अर्हता तथा शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए ऐसा फायदा दिया जा सकता है तथा उसका परिमाण और अवधि तथा उपधारा (3) के तीसरे परंतुक के अधीन अभिदाय का संदाय और अन्य शर्तें;

(म) धारा 40 की उपधारा (6) के अधीन कर्मचारियों को बीमारी, प्रसूति और नियोजन क्षति की दशा में कतिपय प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संगठन की संरचना, कृत्य, शक्तियाँ और क्रियाकलाप ;

(न) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन बीमा की विस्तारित अवधि, समाधान की रीति और कर्मचारी को संदेय प्रसुविधा की पूंजीकृत मूल्य की संगणना की रीति ;

(य) धारा 44 के अधीन निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए स्कीम का प्रचालन किया जा सकेगा ;

(यक) धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन या उसके किसी नियोजक या स्थापन से भिन्न प्रत्येक नियोजक द्वारा बीमा अभिप्राप्त करने की रीति और उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित उपदान निधि को छूट देने की शर्तें और रीति तथा उपधारा (3) के अधीन नियोजक द्वारा स्थापन को रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए समय ;

(यख) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का प्ररूप और उपधारा (5) के अधीन गर्भावस्था का सबूत और प्रसव का सबूत ;

(यग) धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन गर्भपात का सबूत या गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन उपधारा (2) के अधीन नलबंदी शल्यक्रिया का सबूत और उपधारा (3) के अधीन रूग्णता का सबूत ;

(यघ) धारा 66 के अधीन व्यवधान की अवधि ;

(यङ) धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन कर्मचारियों की संख्या और देखभाल शिशुकक्ष सुविधा के लिए दूरी ;

(यच) धारा 68 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन घोर अवचार ;

(यछ) धारा 77 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नियोजक द्वारा संदत्त ब्याज दर;

(यज) धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की रीति और उपधारा (3) के अधीन धनराशि पारेषित करने की रीति ;

(यझ) धारा 93 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप, रीति और फीस दावे या समझौते के लिए आवेदन;

(यञ) धारा 100 की उपधारा (2) के अधीन उपकर के संग्रहण की रीति और समय तथा धारा 100 की उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार संग्रहीत उपकर को जमा करने की रीति और उपधारा (4) के अधीन एक समान दर या अग्रिम उपक्रम की दरें ;

(यट) धारा 101 के अधीन उपकर के विलम्बित संदाय के मामले में ब्याज की दर;

(यठ) धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन उपकर के स्वनिर्धारण की रीति ;

(यड) धारा 104 के अधीन प्राधिकारी द्वारा जांच और शारित अधिरोपित करना ;

(यढ) धारा 105 की उपधारा (1) के अधीन अपील करने के लिए समय सीमा, अपील प्राधिकारी, अपील का प्ररूप और रीति ;

(यण) धारा 106 के अधीन फायदाग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकरण की रीति ;

(यत्) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन फायदाग्राही के फायदे ;

(यथ) धारा 113 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र आयु और खंड (ख) के अधीन प्ररूप और सूचना की रीति और उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप, रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज और स्वःरजिस्ट्रीकरण के लिए रीति;

(यद) धारा 114 की उपधारा (7) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट व्यवहार को कार्यान्वित करना;

(यध) धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के शमन की रीति ;

(यन) धारा 141 की उपधारा (4) के अधीन सामाजिक सुरक्षा निधि के स्थापन और प्रशासन की रीति;

(यप) धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन छूट प्रदान करने के पहले पूरी की जाने वाली पात्रता शर्तें और छूट के पश्चात् अनुपालन की जाने वाली शर्तें और उपधारा (3) के अधीन छूट की विस्तार अवधि ; और

(यफ) कोई अन्य विषय जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किए जाएं ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

**156.** (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए ऐसे नियम बना सकेगा जो इस संहिता से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के पालन की रीति, उपधारा (12) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति, उनके पद के निबंधन और सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा उनके कृत्यों के पालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और बोर्ड के सदस्यों के बीच रक्तियों

को भरने की रीति और उपधारा (14) के अधीन बैठकों का समय, स्थान और कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया के नियम ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा उन्हें संदेय वेतन और अन्य भत्ते, तथा ऐसे सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति ; उपधारा (5) के खंड (ग) के अधीन उक्त बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और उन्हें संदेय वेतन और भत्ते ;

(ग) धारा 50 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन नियमों के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) धारा 76 की उपधारा (7) के अधीन नियोजक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के साथ कर्मचारी की अन्वेषि के व्यय हेतु रकम का जमा कराना;

(ङ) धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन शर्तें जब चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाणपत्र के बिना पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जाता है ;

(च) धारा 84 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन चिकित्सा परीक्षा के लिए बारंबार अंतराल;

(छ) धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन नियोजक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कथन का प्ररूप;

(ज) धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष किसी विषय पर कार्रवाई किए जाने की रीति ;

(झ) धारा 93 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन के निपटारे की समय सीमा और कार्यवाहियों के आनुषंगिक खर्च ;

(ञ) धारा 97 के अधीन ज्ञापन के अधिप्रमाणन की रीति ;

(ट) धारा 141 की उपधारा (5) के अधीन वित्तपोषण के ऐसे अन्य स्रोत और प्रशासन करने की रीति तथा निधि का व्यय करना; और

(ठ) कोई अन्य विषय, जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

**157.** (1) निगम, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, निगम के मामलों के प्रशासन तथा अध्याय 4 के उपबंधों और उसके अध्याय से संबंधित इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए ऐसे नियम बना सकेगा जो इस संहिता से और उसके अधीन बनाए गए नियमों या विरचित स्कीमों से असंगत न हो।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 5 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन निगम के विनिश्चय के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले मामले और विषय, उपधारा (6) के अधीन समितियों की संरचना;

(ख) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वह क्षेत्र जिसके संबंध में निगम क्षेत्रीय बोर्डों और स्थानीय समितियों की नियुक्ति कर सकेगा और वह रीति जिसमें ऐसे बोर्ड तथा समितियां कृत्यों का पालन करेंगी तथा शक्तियों का प्रयोग करेंगी ;

(ग) धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक और वित्त आयुक्त के ऐसे अन्य कृत्य, उपधारा (8) के खंड (क) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते, अनुशासन तथा सेवाओं की अन्य शर्तें और उपधारा (9) के दूसरे परंतुक के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा;

(घ) धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन ऐसी इकाई जिसके संबंध में सभी अभिदाय का संदाय किया जाएगा, उपधारा (4) के अधीन ऐसे दिन जब अभिदाय देय होगा;

(ङ) धारा 31 की उपधारा (7) के अधीन संविदाकार द्वारा या उसके माध्यम से कर्मचारियों का रजिस्टर का रखरखाव तथा उपधारा (9) के अधीन अभिदाय के संदाय और संग्रहण से संबंधित या उसके आनुषंगिक कोई अन्य विषय ;

निगम की विनियम बनाने की शक्ति।

(च) धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रूग्णता को प्रमाणित करने वाले अन्य व्यक्ति की अर्हताएं और अनुभव, खंड (ख) के अधीन स्त्री की पात्रता प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी, उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन संदाय की पात्रता प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन चिकित्सा प्रसुविधाओं के विस्तार के लिए शर्तें और उपधारा (4) के अधीन प्रसुविधाओं प्रोद्भवमान तथा संदाय से संबंधित तथा उनके आनुषंगिक कोई अन्य विषय ;

(छ) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन वह निरंतर अवधि जिसमें कर्मचारी को उपजीविकाजन्य रोग लग जाता है ;

(ज) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन चिकित्सा बोर्ड का गठन और उपधारा (5) के अधीन चिकित्सा अपील अधिकरण का गठन ;

(झ) धारा 39 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन चिकित्सा फायदा की अवधि तथा उसकी प्रकृति जो किसी व्यक्ति को पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञात की जा सके, दूसरे परंतुक के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए शर्तें, तीसरे परंतुक के अधीन चिकित्सा फायदों को प्राप्त करने की पात्रता हेतु अभिदाय का संदाय तथा अन्य शर्तें तथा चौथे परंतुक के अधीन नियोजन क्षति के दौरान बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा फायदा प्रदान करने हेतु शर्तें, उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन वह समय जिसके लिए चिकित्सा शिक्षा संस्थान के छात्र निगम की सेवा करेंगे तथा वह रीति जिसमें बंधपत्र प्रस्तुत किया जाएगा और उपधारा (6) के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा कार्यदशा के निर्धारण हेतु उपजीविकाजन्य और महामारी विज्ञान का सर्वेक्षण कराए जाने की रीति और अध्ययन;

(ञ) धारा 41 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन वह क्षेत्र छोड़ने के लिए, जिसमें चिकित्सीय उपचार प्रदान किया गया है, अनुज्ञा देने के लिए अन्य प्राधिकारी, उपधारा (6) के अधीन नामांकन का प्ररूप और उपधारा (9) के अधीन प्रसुविधाओं के अवधारण के लिए प्राधिकारी;

(ट) धारा 44 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के अधीन चिकित्सा प्रसुविधाओं के लिए अन्य प्राधिकारी द्वारा संदत्त किए जाने वाले उपयोक्ता प्रभार ;

(ठ) धारा 51 के उपखंड (1) के दूसरे परंतुक के अधीन वह समय जिसके भीतर निगम द्वारा नियोजक से दावे, वसूली या अभिदाय तथा संविदाकार से नियोजक द्वारा अभिदाय की वसूली की जाएगी;

(ड) धारा 123 के खंड (घ) के दूसरे परंतुक के अधीन अभिलेखों और रजिस्टरों के प्ररूप तथा उनकी विवरणी का फाइल किया जाना;

(ढ) धारा 126 के अधीन निगम के संयुक्त निदेशक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का ऐसा अपील प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी तथा निगम द्वारा नियोजक को ब्याज का प्रतिदाय किया जाएगा;

(ण) धारा 128 के अधीन ऐसे नियोजक से जिसने किसी अभिदाय के संदाय में व्यतिक्रम किया है जिसका संदाय करने के लिए वह दायी है, नुकसानी के उद्ग्रहण और वसूली की रीति;

(त) परिस्थितियां जिनमें तथा वह शर्तें जिसके अधीन रहते हुए जिसमें किसी विनियम में छूट प्रदान की जा सकती है, ऐसी छूट का विस्तार, तथा वह प्राधिकरण जिसके द्वारा ऐसी छूट प्रदान की जाएगी; और

(थ) कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में इस संहिता द्वारा विनियम बनाए जाना अपेक्षित हो या अनुज्ञात हो।

नियमों, विनियमों आदि का पूर्व प्रकाशन।

**158.** इस संहिता के अधीन (अध्याय 3 के अधीन विरचित की जाने वाली स्कीमों के सिवाय) नियम, विनियम और स्कीम बनाने की शक्ति, निम्नलिखित रीति में, उनके बनाए जाने के पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :—

(क) विचाराधीन ऐसे नियमों, विनियमों और स्कीमों के प्रारूप के पश्चात् विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख, उस तारीख से पैंतालीस दिन से कम नहीं होगी जिसको प्रस्तावित नियमों, विनियमों और स्कीमों का प्रारूप राजपत्र में जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ;

(ख) ऐसे नियम, विनियम और स्कीमों अन्ततः राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी और ऐसे प्रकाशन पर, उनका वही प्रभाव होगा मानो उन्हें इस संहिता में अधिनियमित किया गया हो:

परंतु केन्द्रीय सरकार, महामारी, विश्वमारी या आपदा की परिस्थितियों में इस धारा के अधीन पूर्व प्रकाशन की शर्त से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी।

**159.** (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा अध्याय 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पास जमा धन के किसी विदेश में अन्तरण के लिए नियम बना सकेगी, जो ऐसे विदेश में निवास कर रहे या निवास करने वाले किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया है या शोध्य है और किसी विदेश में कर्मचारियों के प्रतिकर से संबंधित विधि के अधीन जमा किसी धन की राज्य में प्राप्ति, वितरण और प्रशासन के लिए है, जो किसी राज्य में निवास कर रहे या निवास करने वाले किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया है या शोध्य हो सके :

प्रतिकर के रूप में संदत्त धन के अन्तरण के लिए अन्य देशों के साथ ठहराव को प्रभावी करने के लिए नियम।

परंतु प्राणांतक दुर्घटनाओं के संबंध में अध्याय 7 के अधीन जमा कोई राशि, धारा 81 के अधीन इसका वितरण और प्रमाजन अवधारित करने का आदेश पारित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि को प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित नियोजक की सहमति के बिना इस प्रकार अन्तरित नहीं की जाएगी।

(2) जहां सक्षम अधिकारी के पास जमा धन इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार इस प्रकार अन्तरित कर दिया गया है, वहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके पास जमा राशि को प्रतिकर के वितरित किए जाने के संबंध में संहिता में अन्यत्र अन्तर्विष्ट उपबंध ऐसे किसी धन के संबंध में लागू नहीं होंगे।

**160.** (1) इस संहिता के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निगम द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, विनियम, अधिसूचना या विरचित स्कीम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम, विनियम, अधिसूचना या स्कीम में परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम, विनियम, अधिसूचना या स्कीम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु, यथास्थिति उस नियम, विनियम, अधिसूचना या स्कीम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियमों, विनियमों और स्कीमों आदि का रखा जाना।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन, बनाया गया प्रत्येक नियम और बनाई गई या विरचित स्कीम, और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसे बनाए जाने या विरचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

**161.** (1) इस संहिता के उपबंध, किसी अन्य विधि में या इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किए गए किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा संविदा के निबंधनों में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे :

इस संहिता से असंगत विधियों और करारों का प्रभाव।

परंतु जहां कोई व्यक्ति ऐसे किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा संविदा के अधीन या अन्यथा किसी ऐसे विषय के संबंध में ऐसे फायदों का हकदार है जो उसके लिए उन फायदों से अधिक अनुकूल है जिनका वह इस संहिता के अधीन हकदार होता वह व्यक्ति उस विषय के संबंध में उन अधिक अनुकूल फायदों का इस बात के होते हुए भी हकदार बना रहेगा कि वह संहिता के अधीन अन्य विषयों के संबंध में फायदे के प्राप्त करने का हकदार है।

(2) इस संहिता की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को किसी विषय के संबंध में उसको ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार, जो उसके लिए उनसे अधिक अनुकूल है जिनका वह इस संहिता के अधीन हकदार है, अनुदत्त कराने के लिए किसी नियोजक के साथ कोई करार करने से रोकती है।

**162.** समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी सभी या कोई शक्तियां और कृत्य जिनका सरकार प्रयोग या निष्पादन करे, ऐसे विषयों के संबंध में तथा ऐसी शर्तों के यदि कोई हों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, केन्द्रीय बोर्ड, निगम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड, भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अथवा केन्द्रीय बोर्ड, निगम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कर्मकार बोर्ड, भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

**163.** (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस संहिता के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

**164.** (1) निम्नलिखित अधिनियमितियों का निरसन किया जाता है, अर्थात् :—

1. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 ;	1923 का 8
2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948;	1948 का 34
3. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952;	1952 का 19
4. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959;	1959 का 31
5. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961;	1961 का 53
6. उपदान संदाय अधिनियम, 1972;	1972 का 39
7. सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981;	1981 का 33
8. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;	1996 का 28
9. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008।	2008 का 33

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,—

(क) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई, जिसके अन्तर्गत उसके अधीन बनाया गया कोई नियम, विनियम, अधिसूचना (जिसके अन्तर्गत राज्यों द्वारा जारी कोई अधिसूचना भी है), स्कीम, नियुक्ति, आदेश या निर्देश या ऐसी अधिनियमितियों के उपबंधों या किसी प्रयोजन के लिए उनके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं या स्कीमों के उपबंधों के अधीन उपबंधित या प्रदत्त कोई फायदा, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों, जिसके अन्तर्गत उनके अधीन बनाया गया कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, स्कीम, नियुक्ति, आदेश या निदेश भी है, के अधीन ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया या उपबंधित किया गया समझा जाएगा और उस सीमा तक प्रवर्तन में होगा, जहां तक वे इस संहिता के उपबंधों से असंगत नहीं है, जिसके अन्तर्गत उसके अधीन बनाए गए कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, स्कीम, नियुक्ति, आदेश या निदेश भी है, जब तक कि उन्हें इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन निरसित नहीं कर दिया जाता, जिसके अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा उसके अधीन बनाया गया कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, स्कीम, नियुक्ति, आदेश या निदेश भी है ;

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन विरचित या बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी जमा बीमा स्कीम, 1976 तथा कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1955, अभिकरण प्रक्रिया नियम, 1977 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन बनाए गए या विरचित नियम, विनियम और स्कीम उस विस्तार तक प्रवृत्त होंगे जिस तक वे इस संहिता के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस संहिता के उपबंध असंगत न हों ;

(ग) इस प्रकार निरसित किन्हीं अधिनियमितियों के अधीन दी गई कोई छूट तब तक प्रवर्तन में बनी रहेगी जब तक इसकी वैधता समाप्त नहीं हो जाती या वह इस संहिता के उपबंधों के अधीन या ऐसे प्रयोजन के लिए उसके अधीन किए गए किसी निदेश के अधीन प्रवर्तन में नहीं रह जाती है।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध ऐसी अधिनियमितियों के निरसन को लागू होंगे।

पहली अनुसूची  
[धारा 1(4), (8) और धारा 152 (1) देखिए]  
लागू होना

अध्याय संख्या	अध्याय शीर्षक	लागू होना
(1)	(2)	(3)
3.	कर्मचारी भविष्य निधि	प्रत्येक स्थापन, जिसमें बीस या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं।
4.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	<p>मौसमी कारखाने से भिन्न प्रत्येक स्थापन जिसमें दस या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं :</p> <p>परंतु अध्याय 4 उस स्थापन को भी लागू होगा जो ऐसा जोखिम पूर्ण या जीवन को संकट में डालने वाला व्यवसाय करता है जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, जिसमें केवल एक कर्मचारी भी नियोजित है :</p> <p>परंतु यह और कि किसी बागान का नियोजक बागान के संबंध में अध्याय 4 के लागू होने का विकल्प निगम को अपनी रजामन्दी देकर ले सकेगा जहां कर्मचारियों को उस अध्याय के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से बेहतर हैं जिन्हें नियोजक उन्हें प्रदान कर रहा है :</p> <p>परंतु यह भी कि किसी स्थापन के नियोजकों और कर्मचारियों से अभिदाय धारा 29 के अधीन उस तारीख से ही संदेय होगा जिसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित अध्याय 4 के अधीन कोई फायदे निगम द्वारा स्थापन के कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं और ऐसी तारीख केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।</p>
5.	उपदान	<p>(क) प्रत्येक कारखाना, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन और रेल कम्पनी ; और</p> <p>(ख) प्रत्येक दुकान या स्थापन जिसमें पिछले बारह महीनों के किसी दिन को दस या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं या नियोजित थे; और ऐसी दुकानें या स्थापन, जो समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं।</p>
6.	प्रसूति प्रसुविधा	<p>(क) प्रत्येक ऐसे स्थापन को जो कारखाना, खान या बागान है, जिसके अन्तर्गत सरकार का कोई ऐसा स्थापन भी है ; और</p> <p>(ख) प्रत्येक ऐसे दुकान या स्थापन को जिसमें पिछले बारह मास के किसी दिन को दस या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं या नियोजित थे; और ऐसी अन्य दुकानें या स्थापन जो समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं।</p>

(1)	(2)	(3)
7.	कर्मचारी प्रतिकर	दूसरी अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यह उन नियोजकों और कर्मचारियों को लागू होता है जिनको अध्याय 4 लागू नहीं होता।
8.	भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर	प्रत्येक स्थापन जो भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्य के अन्तर्गत आता है।
9.	असंगठित कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	असंगठित सेक्टर, असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार, प्लेटफार्म कर्मकार।
13.	रोजगार सूचना और मॉनीटरी	व्यवसाय केन्द्र, रिक्रिया, व्यवसाय केन्द्र और नियोजकों की सेवाओं की वांछा करने वाले व्यक्ति।

दूसरी अनुसूची

[धारा 2(26), धारा 74(3), (5), धारा 132 और धारा 152(2) देखिए]  
उन व्यक्तियों की सूची जो धारा 2 के खंड (26) के तीसरे  
परन्तुक के अर्थान्तर्गत कर्मचारी हैं

निम्नलिखित व्यक्ति धारा 2 के खंड (26) के तीसरे परन्तुक के अर्थान्तर्गत कर्मचारी हैं और उक्त परन्तुक के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, जो—

(i) रेल में नियोजित, किसी लिफ्ट या वाष्प या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत द्वारा नोदित यान को चलाने, उसकी मरम्मत करने या उसके अनुरक्षण के संबंध में या ऐसे किसी यान पर लदाई या उस पर से उतराई के संबंध में नियोजित है; अथवा

1948 का 63

(ii) ऐसे किसी परिसर में, जिसमें या जिसकी प्रसीमाओं के भीतर कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है, या ऐसे किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में, वह जो भी हो ऐसी किसी विनिर्माण प्रक्रिया या निर्मित वस्तु का आनुषंगिक या उससे संबद्ध है चाहे ऐसे किसी काम में नियोजन ऐसे परिसर में या प्रसीमाओं के भीतर हो या न हो और जिसमें वाष्प, जल या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत शक्ति प्रयोग किया जाता है, नियोजित है; अथवा

(iii) किसी ऐसे परिसर में वस्तु या किसी वस्तु के भाग के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिरूपण, अथवा उपयोग, परिवहन या विक्रय के लिए उसे अन्यथा अनुकूलित करने के प्रयोजन के लिए नियोजित है; अथवा

**स्पष्टीकरण**—ऐसे परिसर या प्रसीमाओं के बाहर, किन्तु ऐसे किसी कार्य में, जो किसी वस्तु या किसी वस्तु के भाग के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण या परिरूपण से अथवा उपयोग, परिवहन या विक्रय के लिए उसे अन्यथा अनुकूलित करने से संबंधित किसी कार्य के आनुषंगिक या उससे संबंधित कार्य में, नियोजित व्यक्ति इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे परिसर या प्रसीमाओं के अन्दर नियोजित समझे जाएंगे ; अथवा

(iv) नियोजक के व्यवसाय या कारबार के संबंध में विस्फोटकों के विनिर्माण या हथालने में नियोजित है; अथवा

1952 का 35

(v) खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित किसी खान में, किसी खनन संक्रिया में अथवा किसी खनन संक्रिया के या अभिप्राप्त खनिज के आनुषंगिक या उससे संसक्त किसी प्रकार के काम में, या भूमि के नीचे किसी भी प्रकार के काम में नियोजित है; अथवा

(vi) (क) पूर्णतः या भागतः वाष्प द्वारा या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत द्वारा नोदित किसी पोत के, या ऐसे पोत के, जो इस प्रकार नोदित पोत द्वारा अनुकर्षित किया जाता है, या जिसका ऐसे अनुकर्षित किया जाना आशयित है, अथवा

(ख) उपखंड (क) के अन्तर्गत न आने वाले किसी ऐसे समुद्रगामी पोत के, जिसके लिए केवल पालों द्वारा नौचालन के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपबन्धित है,

मास्टर या नाविक के रूप में नियोजित है ; अथवा

(vii) (क) किसी ऐसे पोत पर, जिसका वह मास्टर या कर्मीदल का सदस्य नहीं है, लदाई, उससे उतराई, उसमें ईंधन डालने, उसका सन्निर्माण करने, उसकी मरम्मत करने, उसे तोड़ डालने, साफ करने या उसका रंग-रोगन करने के या ऐसे माल जो किसी जलयान से उतारा गया है, या किसी जलयान में लादा जाना है, उस माल को, पतन अधिनियम, 1908 या महापतन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन रहते हुए, किसी पतन की सीमाओं के अन्दर हथालने या उसका परिवहन करने के प्रयोजन के लिए, अथवा

1908 का 15

1963 का 36

(ख) पोत को जलबन्ध से होकर खींचने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(ग) बन्दरगाह भित्तिबर्थों पर या प्रस्तंभों में पोतों के लंगर डालने या उठाने के प्रयोजनों के लिए, अथवा

(घ) जब जलयान सूखे डॉक में प्रवेश करे या उसे छोड़े तब सूखे डॉक के केसूनों को हटाने या पुनः रखने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(ङ) किसी जलयान को आपात की दशा में डॉक में लाने या वहां से ले जाने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(च) कयर की पलास रसियां और रोक-तार तैयार करने, जलबन्धों पर गहराई चिह्न रंगने, जब कभी आवश्यक हो तब चपलानों को हटाने या पुनः रखने, सीढ़ियां लगाने, मानक पर्यन्त रक्षाबोयों या तद्रूप किसी अन्य अनुरक्षण-संकर्म या वैसे ही किसी अन्य अनुरक्षण कर्म को बनाए रखने के प्रयोजन के लिए, अथवा

(छ) पोत की रस्सी को घाट तक लाने के लिए डोंगियों पर किसी काम के प्रयोजन के लिए, नियोजित है; या

(viii) (क) किसी ऐसे भवन के, जो भूमि के ऊपर ऊंचाई में एक मंजिल से अधिक या भूमि तल से लेकर छत के शिखाग्र तक बारह फुट या उससे अधिक होने के लिए परिकल्पित है या रहा है, अथवा

(ख) किसी ऐसे बांध या तटबन्ध के, जो अपने निम्नतम बिन्दु से लेकर उच्चतम बिन्दु तक ऊंचाई में बारह फुट या उससे अधिक है, अथवा

(ग) किसी सड़क, पुल, सुरंग या नहर के, अथवा

(घ) किसी घाट, पोतघाट, समुद्र-भित्ति या अन्य समुद्री संकर्म के, जिसके अन्तर्गत पोतों के लंगर डालने का स्थान आता है, सन्निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत या तोड़ने में नियोजित है; अथवा

(ix) किसी टेलीग्राफ, टेलिफोन लाइन या उसके खम्बे या किसी शिरोपरि विद्युत लाइन या केबिल या खम्बे या दण्ड या उनके लिए फिटिंग और फिक्सचर को स्थापित करने, अनुरक्षित रखने, उनकी मरम्मत करने या उतार लेने में नियोजित है; अथवा

(x) किसी आकाशी रज्जुमार्ग, नहर, पाइप लाइन या मलनाली के सन्निर्माण, उसको क्रियाशील रखने, उसकी मरम्मत करने, या उसे तोड़ने में, नियोजित है; अथवा

(xi) किसी अग्नि-शामक दल की सेवा में नियोजित है; अथवा

(xii) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (31) और धारा 197 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित रेल में ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो रेल प्रशासन के साथ किसी संविदा की पूर्ति कर रहा है, सीधे या किसी उप संविदाकार के माध्यम से नियोजित है; अथवा

1989 का 24

(xiii) निरीक्षक, डाक-रक्षक, डाक छांटने वाले या वैन पियन के रूप में रेल डाक-सेवा में या तार संकेतक के रूप में या डाक या रेल के संकेतक के रूप में नियोजित है, या भारतीय डाक और तार विभाग में किसी ऐसी उपजीविका में, जिसमें मामूली तौर पर बाहर का काम अन्तर्वलित हो, नियोजित है; अथवा

(xiv) प्राकृतिक पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस निकालने की संक्रिया के सम्बन्ध में, नियोजित है; अथवा

(xv) ऐसी किसी उपजीविका में, जिसमें विस्फोटक संक्रियाएं अन्तर्वलित हों, नियोजित है; अथवा

(xvi) ऐसे किसी उत्खनन करने में नियोजित है, जिसके लिए विस्फोटक प्रयुक्त किए गए हैं या जिसकी गहराई उसके उच्चतम बिन्दु से लेकर निम्नतम बिन्दु तक बारह फुट से अधिक है; अथवा

(xvii) दस व्यक्तियों से अधिक को वहन करने योग्य कोई पार नौका चलाने में नियोजित है; या

(xviii) किसी भू-संपदा में नियोजित, जिसका अनुरक्षण इलायची, सिनकोना, कॉफी, रबड़ या चाय उगाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है; या

(xix) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, रूपान्तरण, पारेषण या वितरण में अथवा गैस के उत्पादन या प्रदाय में नियोजित है; अथवा

(xx) भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 की धारा 2 के खंड (घ) में यथापरिभाषित दीपस्तंभ में नियोजित है; अथवा

1927 का 17

(xxi) लोक-प्रदर्शन के लिए आशयित चलचित्रों के निर्माण में, या ऐसे चित्रों को

प्रदर्शित करने में नियोजित है; अथवा

(xxii) हाथियों या जंगली जीव-जन्तुओं के प्रशिक्षण, पालने या उनसे काम लेने में, नियोजित है; अथवा

(xxiii) ताड़ के पेड़ों से रस निकालने या वृक्षों को गिराने या उनसे लट्टे बनाने में या अन्तर्देशीय जलमार्ग द्वारा काष्ठ के परिवहन में या दावानल के नियंत्रण या बुझाने में नियोजित है; अथवा

(xxiv) हाथियों या अन्य जंगली जीव-जन्तुओं को पकड़ने या उनका शिकार करने की संक्रियाओं में नियोजित है; अथवा

(xxv) गोताखोर के रूप से नियोजित है; अथवा

(xxvi) (क) किसी ऐसे भाण्डागार या अन्य स्थान की, जिसमें माल भंडारित किया जाता है; अथवा

(ख) किसी ऐसे बाजार की प्रसीमाओं में या उनके अन्दर माल हथालने या उसका परिवहन करने में नियोजित है; अथवा

(xxvii) किसी ऐसी उपजीविका में, जिसमें रेडियम या एक्स-रे साधित्र को हथालना और उसका अभिचालन या रेडियो ऐक्टिव पदार्थों का संस्पर्श अन्तर्वलित है, नियोजित है; अथवा

(xxviii) भारतीय वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 में यथापरिभाषित वायुयान के सन्निर्माण, बनाने, खोल डालने, चालन या अनुरक्षण में या उसके संबंध में नियोजित है; अथवा

(xxix) ट्रैक्टरों या अन्य यंत्रों द्वारा, जो वाष्प या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा या विद्युत द्वारा चलते हैं, उद्यान-कृषि संक्रियाओं, वनोद्योग, मधुमक्खी पालन या खेती करने में नियोजित है; अथवा

(xxx) नलकूप के सन्निर्माण, चालन, मरम्मत या अनुरक्षण में नियोजित है; अथवा

(xxxi) किसी भवन में विद्युत फिटिंग के अनुरक्षण, मरम्मत या नवीकरण में नियोजित है; अथवा

(xxxii) सर्कस में नियोजित है; अथवा

(xxxiii) किसी कारखाने या स्थापन में चौकीदार के रूप में नियोजित है; अथवा

(xxxiv) समुद्र में मछली पकड़ने की किसी संक्रिया में नियोजित है; अथवा

(xxxv) किसी ऐसे रोजगार में नियोजित है जिसमें विष निकालने के प्रयोजन के लिए या सांपों की देखभाल करने के प्रयोजन के लिए सांपों को हथालने अथवा किसी अन्य विषैले जीव-जन्तु या कीट को हथालने की अपेक्षा की जाती है; अथवा

(xxxvi) घोड़ों, खच्चरों और सांड जैसे जीव-जन्तुओं के हथालने संबंधी काम में नियोजित है; अथवा

(xxxvii) किसी यंत्रनोदित यान में लदाई या उससे उतराई के प्रयोजन के लिए अथवा ऐसे माल की, जिसकी ऐसे यानों में लदाई की गई है, उटाई-धराई करने में या उसका परिवहन करने में नियोजित है; अथवा

(xxxviii) किसी स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर मल नालियों या सेप्टिक टैंकों की सफाई में नियोजित है; अथवा

(xxxix) सर्वेक्षण और अन्वेषण, खोज अथवा नदियों के मापन या निरस्सारण प्रेक्षण में नियोजित है, जिसके अंतर्गत ड्रिलिंग संक्रियाएं, जल विज्ञानीय प्रेक्षण तथा बाढ़ पूर्वानुमान क्रियाकलाप भूगर्भ-जल सर्वेक्षण और खोज भी हैं; अथवा

(xl) ऐसे जंगलों के साफ करने में अथवा भूमि या तालाबों के ठीक करने में नियोजित है; अथवा

(xli) ऐसी भूमि पर खेती करने में या पशु धन के पालन-पोषण तथा अनुरक्षण या वन संक्रियाओं या मछली पकड़ने में नियोजित है; अथवा

(xlii) कूपों, नलकूपों, तालाबों, झीलों, जल धाराओं तथा वैसे ही स्रोतों से जल उत्पादन के लिए प्रयुक्त पंपिंग उपस्कर के संस्थापन, अनुरक्षण या मरम्मत में नियोजित है; अथवा

(xliii) किसी खुले कूप या खोदे गए कूप, बोर कूप, बोर-सह-खोदे गए कूप, फिल्टर प्वाइंट आदि के सन्निर्माण, उनके बोर करने या उन्हें गहरा करने में नियोजित है; अथवा

(xliv) कृषि संक्रियाओं या बागानों में कीटनाशी या नाशक जीव मार के फुहारन करने और उसके धूल झाड़न में नियोजित हैं; अथवा

(xlv) यांत्रिक फसल कटाई और गहाई संक्रियाओं में नियोजित हैं; अथवा

(xlvi) बुलडोजरों, ट्रैक्टरों, पावर टिलरों तथा वैसी ही मशीनों के चालन या मरम्मत या अनुरक्षण में नियोजित हैं; अथवा

(xlvii) भूमि तल से 3.66 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर विज्ञापन बोर्डों पर चित्र बनाने के लिए कलाकार के रूप में नियोजित हैं; अथवा

(xlviii) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में परिभाषित किसी समाचारपत्र स्थापन में नियोजित हैं और बाह्य कार्य में लगे हैं; अथवा 1955 का 45

(xlix) विक्रय संवर्धन कर्मचारी के रूप में नियोजित है ; अथवा

(xlx) किसी स्थापन या स्थापनों के वर्ग में नियोजित कोई अन्य कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग, जिसे इस संहिता के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी राज्य में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 लागू था। 1923 का 8

तीसरी अनुसूची

[धारा 2(51), धारा 36(1), धारा 74(1),(3), (5), धारा 131(5), धारा 132 और धारा 152(2) देखिए]

उपजीविकाजन्य रोगों की सूची

क्र० सं०	उपजीविकाजन्य रोग	नियोजन
(1)	(2)	(3)

भाग क

1.	संक्रामक और परजीवी रोग, जो उस उपजीविका से हुआ हो जहां संदूषण का विशिष्ट जोखिम हो।	(क) सभी कार्य जो स्वास्थ्य या प्रयोगशाला कार्य के लिए उच्छन्न करते हों ; (ख) सभी कार्य जो पशु चिकित्सा कार्य के लिए उच्छन्न करते हों ; (ग) जीव-जन्तुओं, जीव-जन्तु शवों, ऐसे जीव-जन्तु शवों के भागों या व्यापारिक माल के; जो जीव-जन्तुओं या जीव-जन्तु शवों द्वारा संदूषित हो गया हो, को हथालने से संबंधित कार्य ; (घ) अन्य कार्य जिसमें संदूषण की विशिष्ट जोखिम हो।
2.	संपीड़ित वायु में कार्य द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
3.	सीसा या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
4.	नाइट्रस धूमों द्वारा विषाक्तता।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
5.	कार्बनिक फास्फोरस सम्मिश्रणों द्वारा विषाक्तता।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।

भाग ख

1.	फास्फोरस या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
2.	पारद या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
3.	बैन्जीन या उसके विषैले समजातों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
4.	नाइट्रो और बैन्जीन के एमिडो विषैले व्युत्पन्नों या उसके समजातों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
5.	क्रोमियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।
6.	संखिया या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों।

(1)	(2)	(3)
7.	रेडियोएक्टिव पदार्थों और आयनकारी विकिरणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो रेडियोएक्टिव पदार्थों या आयनकारी विकिरणों के लिए उच्छन्न करते हैं।
8.	तारकोल, डामर, बिटूमेन, खनिज तेल, एन्थ्रसीन या इन पदार्थों के सम्मिश्रणों, उत्पादों या अवशेषों द्वारा कारित त्वचा का प्राथमिक एपिथेलियोमटस कैंसर।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
9.	हाइड्रोकार्बनों (ऐलिफैटिक एनडेरामेटिक आवलियों) के विषैले हैलोजेन व्युत्पन्नों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
10.	कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
11.	अवरक्त विकिरणों से उत्पन्न उपजीविका जन्य मोतियाबिन्द।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
12.	मैंगनीज या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
13.	शाशरिक, रासायनिक या जैविक कारकों द्वारा, जो अन्य मर्दों में सम्मिलित नहीं हैं; कारित त्वचा रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
14.	शोर द्वारा कारित श्रवण हानि।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
15.	प्रतिस्थापित डाइनाट्रोफीनॉल या ऐसे पदार्थों के लवणों द्वारा विषाक्तता।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
16.	बेरिलियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
17.	कैडमियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
18.	कार्य प्रक्रिया में अन्तर्विष्टि मान्यताप्राप्त सुग्राही कारकों द्वारा कारित उपजीविका-जन्य दमा।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
19.	प्लुओरीन या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
20.	नाइट्रोग्लिसरीन या अन्य नाइट्रोएसिड ऐस्टरों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
21.	एलकोहॉलों और कीटोनों द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
22.	श्वासरोध, कार्बनमोनोक्साइड और उसके विषैले व्युत्पन्नों, हाईड्रोजन सल्फाइड द्वारा कारित रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।

(1)	(2)	(3)
23.	एस्बैस्टॉस द्वारा कारित फेफड़ा कैंसर और मीजिथीलिओमा।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
24.	मूत्राशय या वृक्क या मूत्रवाहिनी की एपिथिलिअल लाइनिंग का प्राथमिक अर्बुद।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
25.	बरफ से घिरे क्षेत्रों में हिमांधता।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
26.	अत्यंत गरम जलवायु में गर्मी के प्रभाव से उत्पन्न रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
27.	अत्यंत ठंडी जलवायु में ठंड के प्रभाव से उत्पन्न रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।

**भाग ग**

1.	स्क्लेरोजेनिक खनिज धूल (सिलिकोसिस एन्थ्रसिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस) द्वारा कारित फुफ्फुस-धूलिमयता और सिकता यक्ष्मा परन्तु यह कि सिकतामयता परिणामी अक्षमता या मृत्यु कारित करने में आवश्यक घटक हो।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
2.	इक्षुधूलिमयता।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
3.	रुई, पलैक्स हैम्प और सीसल धूलि (बिसिनोसिस) द्वारा कारित श्वसनी फुफ्फुस रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
4.	कार्बनिक धूल के अभिश्वसन द्वारा कारित बहिरस्थ एलर्जी एल्बियोलाइटिज	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
5.	कठोर धातुओं द्वारा कारित श्वसनी-फुफ्फुस रोग।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।
6.	गम्भीर फुफ्फुस उच्च उन्नतांश शोफ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं।

## चौथी अनुसूची

[धारा 2(55), (56), धारा 76(1) और धारा 152(1) देखिए]

## भाग 1

उन क्षतियों की सूची जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उनके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण दिव्यांगता हुई है

क्र० सं०	क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1.	दोनों हाथों की हानि या उच्चतर स्थानों पर विच्छेदन	100
2.	एक हाथ और एक पाद की हानि	100
3.	टांग या उरू से दोहरा विच्छेदन, या एक ओर टांग या उरू से विच्छेदन और दूसरे पाद की हानि	100
4.	दृक् शक्ति की इस विस्तार तक हानि कि दावेदार ऐसा कोई काम करने में असमर्थ हो जाता है जिसके लिए दृक् शक्ति आवश्यक है	100
5.	चेहरे की बहुत गम्भीर विद्रूपता	100
6.	पूर्ण बधिरता	100

## भाग 2

उन क्षतियों की सूची जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक दिव्यांगता हुई है

क्र० सं०	क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1.	स्कंध-संधि से विच्छेदन	90
2.	स्कंध से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक अंसकूट के सिरे के [20.32 सेंटीमीटर] से कम हो	80
3.	अंसकूट के सिरे से [20.32 सेंटीमीटर, से कूर्पर के सिरे के नीचे [11.43 सेंटीमीटर] से कम तक विच्छेदन	70
4.	एक हाथ की या एक हाथ के अंगूठे और चारों अंगुलियों की हानि, या कूर्पर के सिरे से [11.43 सेटीमीटर], नीचे विच्छेदन	60
5.	अंगूठे की हानि	30
6.	अंगूठे की और उसकी करम-अस्थि की हानि	40
7.	एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि	50
8.	एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि	30
9.	एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि	20
10.	अंगूठे की अन्तिम अंगुलि-अस्थि की हानि	20
11.	अस्थि की हानि के बिना अंगूठे के सिरे का गिलोटिन विच्छेदन.	10
<b>विच्छेदन के मामले-अधःशाखा</b>		
12.	दोनों पादों का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	90

(1)	(2)	(3)
13.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि के निकट से दोनों पादों का विच्छेदन	80
14.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि के पादों की सब अंगुलियों की हानि	40
15.	निकटस्थ अंतरांगुलि-अस्थि संधि के निकट दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	30
16.	निकटस्थ अंतरांगुलि-अस्थि संधि के दूर दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	20
17.	नितम्ब पर विच्छेदन	90
18.	नितम्ब से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक वृहत् उरु-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर [12.70 सेंटीमीटर] से अधिक लम्बा न हो	80
19.	नितम्ब से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक वृहत् उरु-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर [12.70 सेंटीमीटर] से अधिक लम्बा हो, किन्तु मध्योरु से आगे न हो	70
20.	मध्योरु के नीचे से घुटने के [8.89 सेंटीमीटर] नीचे तक विच्छेदन	60
21.	घुटने से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक [8.89 सेंटीमीटर] से अधिक हो, किन्तु [12.70 सेंटीमीटर] से अधिक न हो	50
22.	घुटने से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक [12.70 सेंटीमीटर] से अधिक हो	50
23.	एक पाद का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	50
24.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि के निकट से एक पाद का विच्छेदन	50
25.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से एक पाद की सब अंगुलियों की हानि	20
<b>अन्य क्षतियां</b>		
26.	एक नेत्र की हानि, जब कि कोई अन्य जटिलता न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	40
27.	एक नेत्र की दृष्टि की हानि, जबकि नेत्रगोलक में जटिलता या विद्रूपता न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	30
28.	एक नेत्र की दृष्टि की आंशिक हानि	10
<b>निम्नलिखित की हानि—</b>		
<b>क-दाएं या बाएं हाथ की अंगुलियां</b>		
<b>तर्जनी</b>		
29.	संपूर्ण	14
30.	दो अंगुलि अस्थियां	11
31.	एक अंगुलि अस्थि	9
32.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	5
<b>मध्यमा</b>		
33.	संपूर्ण	12
34.	दो अंगुलि अस्थियां	9
35.	एक अंगुलि अस्थि	7
36.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	4
<b>अनामिका या कनिष्ठिका</b>		
37.	संपूर्ण	7
38.	दो अंगुलि अस्थियां	6
39.	एक अंगुलि अस्थि	5
40.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	2
<b>ख-दाएं या बाएं पाद की अंगुलियां</b>		
<b>अंगूठा</b>		
41.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से	14

(1)	(2)	(3)
42.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित कोई अन्य अंगुलि	3
43.	प्रपदांगुलि—अस्थि सन्धि से	3
44.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित अंगूठे को छोड़कर एक पाद की दो अंगुलियां	1
45.	प्रपदांगुलि—अस्थि सन्धि से	5
46.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित अंगूठे को छोड़कर एक पाद की तीन अंगुलियां	2
47.	प्रपदांगुलि—अस्थि सन्धि से	6
48.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित अंगूठे को छोड़कर एक पाद की चार अंगुलियां	3
49.	प्रपदांगुलि—अस्थि सन्धि से	9
50.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3

पांचवीं अनुसूची

[धारा 15(2) और धारा 152(1) देखिए]

वे विषय जिनके लिए स्कीमों में उपबंध किया जा सकेगा

धारा 15 के अधीन विरचित कोई स्कीम निम्नलिखित यथा विनिर्दिष्ट किन्हीं या सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकेगी—

भाग क

क्र० सं०	वे विषय जिन पर भविष्य निधि स्कीम उपबंध कर सकेगी
(1)	(2)
1.	वे कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग जो निधि में सम्मिलित होंगे, और वे शर्तें जिनके अधीन कर्मचारियों को निधि में सम्मिलित होने या कोई अभिदाय करने से छूट दी जा सकेगी।
2.	वह समय और रीति जिसमें नियोजकों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा अथवा उनकी ओर से (चाहे उसके द्वारा सीधे अथवा संविदाकार के माध्यम से नियोजित हो) निधि में अभिदाय किए जाएंगे, वे अभिदाय जिन्हें कोई कर्मचारी धारा 16 के अधीन, यदि वह ऐसी वांछा करता है, कर सकेगा और वह रीति जिसमें ऐसे अभिदाय वसूल किए जा सकेंगे।
3.	वह रीति जिसमें कर्मचारियों के अभिदाय संविदाकार द्वारा या ऐसे ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों से वसूल किए जा सकेंगे।
4.	नियोजक द्वारा ऐसी धनराशियों का संदाय जो निधि के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक हों और वह दर जिस पर और वह रीति जिसमें संदाय किया जाएगा।
5.	न्यासियों के किसी बोर्ड को सहायता करने के लिए किसी समिति का गठन।
6.	न्यासियों के किसी बोर्ड के क्षेत्रीय और अन्य कार्यालयों का खोला जाना।
7.	वह रीति जिसमें लेखे रखे जाएंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किन्हीं निदेशों या विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार निधि की धनराशियों का निवेश, बजट, संपरीक्षा लेखे तैयार करना और केन्द्रीय सरकार को अथवा किसी विनिर्दिष्ट राज्य सरकार को रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
8.	वे शर्तें जिनके अधीन निधि से धन निकासी अनुज्ञात की जा सकेगी और कोई कटौती या समपहरण की जा सकेगी तथा ऐसी कटौती या समपहरण की अधिकतम रकम।
9.	सदस्यों को संदेय ब्याज दर को संबंधित बोर्ड के न्यासियों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत करना।
10.	वह प्ररूप जिसमें कोई कर्मचारी अपने स्वयं के तथा अपने परिवार के बारे में विशिष्टियां जब कभी अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।
11.	किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात् उसके नाम जमा रकम को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करना तथा ऐसे नामांकन का रद्दकरण या परिवर्तन।
12.	कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख तथा नियोजकों या ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां।

- | (1) | (2)  |
|-----|--|
| 13. | किसी कर्मचारी की पहचान के प्रयोजन के लिए किसी पहचान पत्र, टोकन या डिस्क तथा उसको जारी करने, अभिरक्षा में रखने तथा बदलने के लिए प्ररूप और डिजाइन।                           |
| 14. | इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं प्रयोजनों के लिए उद्ग्रहीत की जाने वाली फीस।  |
| 15. | वे उल्लंघन या व्यतिक्रम जो धारा 135 के अधीन दण्डनीय होंगी।   |
| 16. | अतिरिक्त शक्तियां, यदि कोई हों, जो निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी।  |
| 17. | वह रीति जिसमें किसी विद्यमान भविष्य निधि में संचय, निधि में अन्तरित किया जाएगा और किन्हीं आस्तियों जो नियोजकों द्वारा इस निमित्त अंतरित की जा सकेंगी, के मूल्यांकन का ढंग। |
| 18. | वे शर्तें जिनके अधीन निधि से जीवन बीमा पर प्रीमियम को संदाय करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।  |
| 19. | कोई अन्य विषय जिसका स्कीम में उपबंध किया जाना हो या जो स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित हो।   |

#### भाग ख

#### वे विषय, जिनके लिए पेंशन स्कीम में उपबंध किया जा सकेगा

- वे कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग जिन्हें पेंशन स्कीम लागू होगी।
- भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय का हिस्सा, जो पेंशन निधि में जमा किया जाएगा तथा वह रीति जिसमें इसे जमा किया जाएगा।
- वह रीति जिसमें और वह सेवा की अवधि जिसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ है, का विनियमन।
- वह रीति जिसमें नियोजक द्वारा अभिदाय के संदाय में व्यतिक्रम के विरुद्ध कर्मचारियों के हित की संरक्षा की जाएगी।
- निवेश के ऐसे पैटर्न के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, अधीन रहते हुए, वह रीति जिसमें पेंशन निधि के लेखे रखे जाएंगे और पेंशन निधि की धनराशियों का निवेश किया जाएगा।
- वह प्ररूप जिसमें कोई कर्मचारी स्वयं के तथा अपने परिवार के सदस्यों के बारे में विशिष्टियां, जब कभी अपेक्षित हो प्रस्तुत करेगा।
- पेंशन स्कीम के प्रशासन के लिए अपेक्षित कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले प्ररूप, रजिस्टर और अभिलेख।
- पेंशन और पेंशनकारी फायदों का मापमान तथा कर्मचारियों को ऐसे फायदे देने के संबंध में शर्तें।
- वह रीति जिसमें छूट प्राप्त स्थापनों को पेंशन स्कीम में अभिदाय का संदाय करना है तथा उससे संबंधित विवरणियां प्रस्तुत करना है।
- पेंशन के वितरण का ढंग तथा ऐसे संवितरण करने वाले अभिकरणों के साथ किए जाने वाले ठहराव, जो इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- वह रीति जिसमें पेंशन स्कीम के प्रशासन के लिए व्ययों को पेंशन निधि की आय से पूरा किया जाएगा।

- | (1) | (2)  |
|-----|--|
| 12. | कोई अन्य विषय जिसका पेंशन स्कीम में उपबंध किया जाना हो या जो पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित हो। |

**भाग ग**

**वे विषय, जिनके लिए कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम में उपबंध किया जा सकेगा**

1. वे कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग जो बीमा स्कीम के अन्तर्गत आएंगे।
2. विनिधान के ऐसे पैटर्न जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश द्वारा अवधारित किया जाए, के अधीन रहते हुए, वह रीति जिसमें बीमा निधि के लेखे रखे जाएंगे और बीमा निधि की धनराशियों का विनिधान किया जाएगा।
3. वह प्ररूप जिसमें कोई कर्मचारी स्वयं के तथा अपने परिवार के सदस्यों के बारे में विशिष्टियां जब कभी अपेक्षित हो प्रस्तुत करेगा।
4. किसी कर्मचारी को उसकी मृत्यु के पश्चात् उसको देय बीमा रकम को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करना तथा ऐसे नामांकन का रद्दकरण या परिवर्तन।
5. कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख; किसी कर्मचारी या उसके नामनिर्देशियों या बीमा रकम को प्राप्त करने के हकदार उसके परिवार के सदस्य की पहचान करने के प्रयोजन के लिए किसी पहचान पत्र, टोकन या डिस्क का प्ररूप और डिजाइन।
6. बीमा फायदों का मापमान तथा कर्मचारियों को ऐसे फायदों के प्रदान करने संबंधी शर्तें।
7. वह रीति जिसमें स्कीम के अधीन नामनिर्देशिती या कर्मचारी के परिवार के सदस्य को शोध्य रकम संदत्त की जानी है, जिसके अन्तर्गत यह उपबंध है कि रकम बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी तत्स्थानी नये बैंक में ऐसे नामनिर्देशिती या परिवार के सदस्य के नाम में बचत बैंक खातों में निक्षेप के रूप में संदत्त की जाएगी अन्यथा नहीं।
8. कोई अन्य विषय जिसका कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम में उपबंध किया जाना है या जो उस स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित हो।

## छठी अनुसूची

[धारा 75, धारा 76(1) और धारा 152(1) देखिए]

स्थायी दिव्यांगता और मृत्यु की दशा में प्रतिकर रकम के एकमुश्त  
समतुल्य रकम की गणना के लिए गुणक

कर्मचारी को प्रतिकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती उसके अन्तिम जन्म दिवस को आयु के पूर्ण हुए वर्षों की संख्या		गुणक
(1)	(2)	(3)
16	से अधिक नहीं	228.54
17	से अधिक नहीं	227.49
18	से अधिक नहीं	226.38
19	से अधिक नहीं	225.22
20	से अधिक नहीं	224.00
21	से अधिक नहीं	222.71
22	से अधिक नहीं	221.37
23	से अधिक नहीं	219.95
24	से अधिक नहीं	218.47
25	से अधिक नहीं	216.91
26	से अधिक नहीं	215.28
27	से अधिक नहीं	213.57
28	से अधिक नहीं	211.79
29	से अधिक नहीं	209.92
30	से अधिक नहीं	207.98
31	से अधिक नहीं	205.95
32	से अधिक नहीं	203.85
33	से अधिक नहीं	201.66
34	से अधिक नहीं	199.40
35	से अधिक नहीं	197.06
36	से अधिक नहीं	194.64
37	से अधिक नहीं	192.14
38	से अधिक नहीं	189.56
39	से अधिक नहीं	186.90
40	से अधिक नहीं	184.17
41	से अधिक नहीं	181.37
42	से अधिक नहीं	178.49
43	से अधिक नहीं	175.54
44	से अधिक नहीं	172.52
45	से अधिक नहीं	169.44
46	से अधिक नहीं	166.29
47	से अधिक नहीं	163.70
48	से अधिक नहीं	159.80

(1)	(2)	(3)
49	से अधिक नहीं	156.47
50	से अधिक नहीं	153.09
51	से अधिक नहीं	149.67
52	से अधिक नहीं	146.20
53	से अधिक नहीं	142.68
54	से अधिक नहीं	139.13
55	से अधिक नहीं	135.56
56	से अधिक नहीं	131.95
57	से अधिक नहीं	128.33
58	से अधिक नहीं	124.70
59	से अधिक नहीं	121.05
60	से अधिक नहीं	117.41
61	से अधिक नहीं	113.77
62	से अधिक नहीं	110.14
63	से अधिक नहीं	106.52
64	से अधिक नहीं	102.93
65	या अधिक	99.37

सातवीं अनुसूची  
[धारा 114(4) देखिए]  
संकलनकर्ता का वर्गीकरण

क्र० सं०	संकलक का वर्गीकरण
1.	साइजा सवारी सेवाएं
2.	खाद्य और ग्रीसरी परिदान सेवाएं
3.	संभार—तंत्र सेवाएं
4.	माल और/या सेवाओं के थोक/खुदरा विक्रय के लिए ई—बाजार स्थल (जिसमें बाजार स्थल इन्वेंटरी मोडल दोनों सम्मिलित हैं) (बी2बी/बी2सी)
5.	वृत्तिक सेवा प्रदाता और
6.	स्वास्थ्य देख—रेख
7.	यात्रा और सत्कार
8.	अन्तर्वस्तु और मीडिया सेवाएं
9.	कोई अन्य माल और सेवा प्रदाता मंच